


तापीय विद्युत संयंत्र पर सूचना पुस्तिका

- थर्मल वॉच की पहल



सिटिजन कंज्यूमर एंड सिविक एक्शन ग्रुप [सीएजी]

9/5, II गली, पद्मनाभा नगर, अडयार, चेन्नई 600 020

www.cag.org.in

थर्मल वॉच, सिटिजन कंज्यूमर एंड सिविक एक्शन ग्रुप की एक पहल है जिसमें सम्पूर्ण दक्षिणी भारत के तापीय विद्युत संयंत्र के लिए वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में स्थानीय समुदायों को सशक्त करना है।

अधिक जानकारी के लिए, देखें www.thermalwatch.org.in

अनुक्रमणिका

शीर्षक

1	तापीय विद्युत संयंत्र	
1.1	प्रस्तावना	
1.2	कोयला व कोयला-आधारित ऊर्जा संयंत्र	
1.3	वातावरण समाशोधन प्रक्रिया	
2	ईआईए प्रक्रिया में समुदायों को सशक्त करना	
2.1	लोक परामर्श में प्रभावी भागीदारी	
2.2	समय-समय पर हस्तक्षेप	
2.3	सफल हस्तक्षेप	
2.4	अक्सर पूछे जाने वाले सवाल	
2.5	विशेष एनजीटी ऑर्डर्स	
2.6	महत्वपूर्ण पर्यावरण व वन मंत्रालय परिपत्र	
2.7	आरटीआई का प्रयोग	
3	अक्षय ऊर्जा में परिवर्तन	
	संलग्न	
क.	प्रपत्र 1 प्रारूप	
ख.	टीओआर प्रारूप	
ग.	ईआईए वईआईए संक्षिप्त प्रारूप	

संक्षेपण


1	एए: अपीलीय प्राधिकरण
2	सीआईसी: केन्द्रीय सूचना आयोग
3	सीआरजेड: तटीय नियामक क्षेत्र
4	ईएसी: विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5	ईसी: वातावरण समाशोधन
6	ईआईएवातावरण प्रभाव मूल्यांकन
7	एफसी: वन समाशोधन
8	एमओईएफ: पर्यावरण व वन मंत्रालय
9	एनजीटी: राष्ट्रीय हरित अधिकरण
10	पीआईओ: लोक सूचना अधिकारी
11	आरई: अक्षय ऊर्जा
12	आरटीआई: सूचना का अधिकार
13	एसईआईएए: राज्य वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण
14	एसईएसी: राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
15	एसपीसीबी: राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
16	एसआईसी: राज्य सूचना आयोग
17	टीओआर: विचारार्थ विषय
18	टीपीपी: तापीय विद्युत संयंत्र

1. तापीय विद्युत संयंत्र

1.1 प्रस्तावना

कोयला, तेल, जल, सौर, बायोमास जैसे विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग कर, बिजली उत्पन्न की जाती है। कोयला, गैस, डिजल और केरोसिन को तापीय स्रोत कहा जाता है और इन स्रोतों पर परिचालित संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र (टीपीपी) के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि आगामी वर्षों में अक्षय ऊर्जा में कामयाबी मिल जाएगी और तापीय ऊर्जा-विशेष रूप से कोयला- पर निर्भरता कम होने पर, ये निकट भविष्य में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टीपीपी स्थापन और परिचालन विधि से पर्यावरण पर भयंकर परिणाम होंगे।


भारत में विद्युत उत्पादन के स्रोत



वर्ष 2013 में, भारत में शुद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता 2,25,793.10 मेगावाट थी। विद्युत उत्पादन में स्थापित 153847.99 मेगावाट (68%) तापीय स्रोत का प्रमुख योगदान है। स्थापित पनबिजली क्षमता 39,623.40मेगावाट (18%) और स्थापित नाभिकीय विद्युत ऊर्जा क्षमता 4,780.00मेगावाट (2%) है। अक्षय ऊर्जा का स्थापित योगदान लगभग 27,541.71 मेगावाट है।¹

भारत की विद्युत के लिए कोयला पर निर्भरता एक गंभीर पर्यावरण समस्या है क्योंकि कोयले की खनन और उपयोग दोनों से वातावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कोयला-चालित विद्युत संयंत्र ही मानवनिर्मित-कार्बनडाइऑक्साइड, सल्फर और पारा उत्सर्जन के विशाल स्रोत होते हैं। यदि पर्याप्त सुधारात्मक उपाय नहीं अपनाये गये, तो कोयला संयंत्र से पानी, हवा और मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी और यह जैवविविधता और आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट, ग्रीनपीस इंडिया और अर्बन एमिशन द्वारा भारत में कोयला-चालित विद्युत संयंत्र से होने वाली मौत व रोगों का मूल्यांकन किया गया जिसमें पता चला है कि वर्ष 2011-12 में इन संयंत्रों से उत्सर्जित अपशिष्ट कणों के परिणामस्वरूप लगभग 80,000 से 115,000 समय-पूर्व मौतें हुईं और 20 मिलियन से अधिक अस्थमा के मामलों सामने आये,

तापीय ऊर्जा उत्पादन का विवरण



1 http://powermin.nic.in/indian_electricity_scenario/introduction.html

जिससे जनता व सरकार को लगभग 16,000 से 23,000 करोड़ रुपये (3500 से 3833 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ।

यद्यपि सभी ईंधनों द्वारा चालित विद्युत संयंत्रों के लिए वातावरण प्रभाव (ईआईए) प्रक्रिया होना आम बात है, लेकिन इस पुस्तिका में लोगों की बेहतर भागीदारी से सबसे खराब माने जाने वाला ईंधन, कोयला द्वारा चालित विद्युत संयंत्र पर आधारित प्रभाव को कम करने के लिए निर्धारित उपाय और सुझाव प्रस्तुत किये जाएंगे।

1.2 कोयला व कोयला—आधारित विद्युत संयंत्र

1.2.1 कोयल व इसकी गुणवत्ता

1.2.2 कोयला—आधारित संयंत्रों में विद्युत उत्पादन

1.2.3 कोयला—आधारित संयंत्रों का वातावरण व स्वास्थ्य पर प्रभाव

1.2.1 कोयला व इसकी गुणवत्ता

कोयले को स्थिति व हालत के आधार पर तीन मुख्य प्रकार— एन्थ्रेससाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट में वर्गीकृत किया गया है। एन्थ्रेससाइट, कोयले की सर्वाधिक पुरानी स्थिति होती है। बिटुमिनस एक प्रकार का मुलायम कोयला, लिग्नाइट से उच्च गुणवत्ता और एन्थ्रेससाइट से कम गुणवत्ता का होता है। लिग्नाइट सबसे कम उम्र का कोयला होता है। यद्यपि एन्थ्रेससाइट कठोर कोयला होता है और इसमें बहुत कम वाष्पशील सामग्री के नमीरहित कार्बन होते हैं, जबकि लिग्नाइट मुलायम कोयला होता है जिसमें उच्च वाष्पशील पदार्थ के नमीयुक्त अल्प कार्बन होते हैं।

कोयला के विविध घटक और इनके प्रभाव

a) निर्धारित कार्बन

निर्धारित कार्बन एक ठोस दहनशील पदार्थ होता है जो कोयला कण को गर्म करने के बाद भी बचा रहता है और वाष्पशील सामग्री निकल जाती है। कोयले की निर्धारित कार्बन सामग्री को सेम्पल से नमी, वाष्पशील सामग्री और भस्म प्रतिशत को घटाकर निर्धारित किया जाता है। निर्धारित कार्बन, वाष्पशील सामग्री को जलाने के बाद कोयले की कैलोरिफिक मान का अनुमान होता है।

b) वाष्पशील सामग्री

कोयले की वाष्पशील सामग्री दहनशील गैस जैसे मिथेन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोक्साइड, और कुछ अदहनशील गैस जैसे कार्बन डाईऑक्साइड व नाइट्रोजन होती है। अधिकांश वाष्पशील सामग्री यानि आग की लपटें बढ़ने पर कोयले का आसानी से दहन होता है।

c) भस्म

भस्म जलाई नहीं जा सकती है और यह जलने की क्षमता को कम करती है तथा दहन व बॉयलर कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। जिससे बॉयलर में धातुमल बनने लगता है और कोयला संचालन लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए, कोयले में ज्यादा भस्म अवांछनीय होती है।

d) नमी मात्रा

कोयले में उपस्थित नमी में दहन अवयव कम होने से कोयले की प्रति किलो ताप मात्रा (केसीएल/किग्रा.) कम हो जाती है। अतः उचित सीमा तक नमी मात्रा बनाये रखें।

e) सल्फर

कोयले के सल्फर से चिमनी, एयर हीटर और ईकोनोमाइजर जंग लग जाता है। इससे उपकरण की जीवन अवधि कम हो जाती है और यह अवांछनीय भी होता है।

भारत में कोयले की गुणवत्ता और उपलब्धता

कैलोरिफिक मान के आधार पर, कोयले को कोकिंग कोयले और गैर-कोकिंग कोयलें में वर्गीकृत किया गया है। कोकिंग कोयले को मुख्य रूप से धातुशोधन, इस्पात, सीमेंट और स्पंज लौह उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। देश में कोयला स्रोत का अधिकांश भाग गैर-कोकिंग कोयले का है। कोयले को ए से जी तक सात ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है। ए, बी और सी श्रेणी के कोयले उच्च गुणवत्ता के होते हैं और इन्हें सीमेंट, खाद और स्पंज लौह उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। भारत के अधिकांश कोयलाक्षेत्र में डी, ई, एफ और जी ग्रेड के कोयले होते हैं जो अल्प गुणवत्ता के होते हैं और इन्हें टीपीपी में प्रयोग किया जाता है।

लिग्नाइट और बिटुमिनस की उपलब्धता² के कारण इसे ज्यादातर भारतीय टीपीपी में प्रयोग किया जाता है। लिग्नाइट को कम भस्म मात्रा के कारण विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी, कोल इंडिया लि. द्वारा संविदा के आधार पर राष्ट्रीय खदानों से टीपीपी के लिए कोयला उपलब्ध कराया जाता है।

भारत में कैलोरिफिक मान के आधार पर प्रयुक्त किये जाने वाले कोयले का ग्रेड

ग्रेड	कैलोरिफिक मान सीमा (केसीएल/किग्रा)	भस्म मात्रा
ए	6200 से अधिक	
बी	5600 - 6200	19.50% से 24%
सी	4940 - 5600	24% से 28.70%
डी	4200 - 4940	28.70% से 34%
ई	3360 - 4200	34% से 40%
एफ	2400 - 3360	40% से 47%
जी	1300 - 2400	

आमतौर पर भारतीय विद्युत संयंत्र के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा डी, ई और एफ ग्रेड के कोयला उपलब्ध कराया जाता है।


भारतीय कोयला, न्यूनतम कैलोरिफिक मान युक्त अल्प गुणवत्ता और उच्च भस्म मात्रा का कोयला होता है।

- भस्म मात्रा सीमा 40 से 50 प्रतिशत
- नमी मात्रा सीमा 4 से 20 प्रतिशत
- सल्फर मात्रा सीमा 0.2 से 0.7 प्रतिशत
- कुल कैलोरिफिक मात्रा 2500 से 5000 किलो कैलोरी/किग्रा.
- वाष्पशील सामग्री मात्रा 18 से 25 प्रतिशत
- उपयुक्त कारकों से पता चलता है कि भारतीय कोयला निम्नस्तरीय गुणवत्ता के हैं।

² <http://www.productivity.in/knowledgebase/Energy%20Management/c.%20Thermal%20Energy%20systems/4.1%20Fuels%20and%20Combustion/4.1.3%20Properties%20of%20Coals.pdf> 2

कोयले की प्रभावहीनता ही एक ऐसा कारण है जिससे भारतीय विद्युत संयंत्र में एक समान उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अधिक खपत होती है।

1.2.2 कोयला-आधारित संयंत्र में विद्युत उत्पादन



कोयले की विद्युत रूपांतरण प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं:

बॉयलर भट्ठी -> ताप उत्पादन के लिए कोयले को भट्ठी में जलाया जाता है। कोयले में कार्बन और हवा में आक्सीजन की उपस्थिति के कारण, कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) उत्पन्न होता है।
बॉयलर -> ताप उत्पन्न होने के कारण बॉयलर में उपस्थित पानी भाप में बदल जाता है। ऐसा उच्च दाब व तापमान से होता है। बंद बर्तन में पानी को भाप में परिवर्तित करने पर दाब बढ़ जाता है।
टरबाइन और जनरेटर -> भाप को टरबाइन में भेजा जाता है जिससे इसके अंदर की पत्तियों घूमती हैं और यांत्रिक बल उत्पन्न होता है। बाद में यह भाप संघनित हो जाती है और इसे चक्र को प्रारंभ करने के लिए वापस बॉयलर में भेजा जाता है। टरबाइन के घूर्णन से जनरेटर रोटार घूमकर, बिजली उत्पन्न करती है।

प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

कोयला विद्युत संयंत्र के बॉयलर में ताप उत्पादित करने के लिए कोयले को जलाया जाता है जिसे उपस्थित पानी को उबालकर भाप उत्पन्न के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भाप टरबाइन की मोटर को घूमाती है जिससे जनरेशन रोटार घूमकर, बिजली उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया में कोयले की तैयारी, कोयला दहन के लिए पर्याप्त वायु आपूर्ति सुनिश्चित करना, भाप उत्पादन, शीत भाप को पुनःप्रयोग और अवशिष्ट पदार्थ (भस्म व ग्रिप गैस) निकास की जरूरत पड़ती है।

कोयले की तैयारी

कोयला यार्ड → कोयला सिलो (भण्डारण) → कोयला पल्वराइजर
 कोयला पल्वराइजर में, कोयले को प्रभावी व सरल तरीके से जलाने के लिए बहुत बारीक पीसा जाता है।

3 टीपीपी पर आईएल व एफएस पुस्तिका

कोयले में उपस्थित नमी को सुखाने के लिए, पल्वराइजर में पंखों से गर्म हवा उत्पन्न की जाती है। उत्पादित हवा भी सूखे हुए कोयला पाउडर को जहां इसे जलाया जाता है उस बॉयलर भट्ठी में लाती है।

बॉयलर के अंदर की प्रक्रिया

कोयला विद्युत संयंत्र का प्रमुख उपकरण बॉयलर होता है। यह ताप उत्पादित करने के लिए कोयले को जलाती है जिसे उपस्थित पानी को उबालकर, भाप उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रक्रिया 1— दहन:

बॉयलर में, एयर सिस्टम के माध्यम से आने वाली हवा की मदद से कोयले का दहन होता है। फॉर्सड ड्राफ्ट फैन, पर्यावरण से हवा खींचता है और इसे भट्ठी में झोंकता है। हीटर द्वारा दहन प्रभाव को बढ़ाने के लिए हवा को भट्ठी में प्रविष्ट कराने से पहले गर्म करता है।

दहन प्रक्रिया में ताप, भस्म और ग्रिप गैस उत्पन्न की जाती है। ताप, पानी को भाप में बदलता है जो टरबाइन को घूमाता है। ग्रिप गैस एक अवशिष्ट पदार्थ है जिसे इंड्रूस्ट ड्राफ्ट पंखे द्वारा भट्ठी से खींचकर, फलाई ऐश पकड़ने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में भेज दिया जाता है। फिर फलाई ऐश रहित ग्रिप गैस को स्टैक/चिमनी के माध्यम से पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। स्टैक बहुत ऊँचे होते हैं ताकि धुंआ जमीन स्तर की सांद्रता को प्रभावित न करें। विशाल टीपीपी के स्टैक (बड़ी चिमनी) की लगभग 250 से 280 मीटर ऊँचाई होती है। दहन का दूसरा अवशिष्ट पदार्थ भस्म होती है जो कोयले में उपस्थित निष्क्रिय सामग्री होती है। भट्ठी की सतह पर 15% भस्म एकत्रित हो जाती है और शेष भस्म इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में अधिकृत हो जाती है। इस रूप को बॉटम ऐश और बाद के रूप को, फलाई ऐश कहते हैं।

प्रक्रिया 2— भाप उत्पादन

फीड वाटर पम्प के माध्यम से पुनःसंचरित व पूर्व-तापित फीड वाटर द्वारा बॉयलर में उच्च दाब के पानी की निरंतर आपूर्ति की जाती है। यह पानी को भाप में रूपांतरित करने की क्षमता को बढ़ाती है और कोयला दहन में ताप की जरूरत को कम करता है। ईकोनोमाइजर एक उपकरण है जो फीड पानी को पहले से ही गर्म करता है। इसलिए, बॉयलर से निष्कासित पुनःप्राप्त गर्म गैसों को ईकोनाइजर द्वारा पानी को गर्म करने के लिए ग्रहण किया जाता है। इस गर्म पानी को भट्ठी के चारों तरफ घिरी हुई पानी की दीवारों में भेजा जाता है जहाँ पानी संचारित होकर भाप में रूपांतरित हो जाता है।

भाप को ड्रम में एकत्रित किया जाता है। यहाँ से, इसे सुपर हीटर कॉइल में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ भाप का तापमान व दाब बढ़ जाता है। अंत में जो भाप, टरबाइन में जाती है वह यही अति-तापित भाप होती है।

1.2.3 कोयला आधारित संयंत्र का पर्यावरण व स्वास्थ्य पर प्रभाव

प्रभाव

हवा	पानी	मिट्टी	लोग
श्वसन रोग होते हैं ऐतिहासिक संरचना प्रभावित होती है जलवायु परिवर्तन होती है	जल गुणवत्ता प्रभावित होती है और इस प्रकार मानव खपत के लिए उपलब्ध मात्रा में कमी आती है मत्स्य जीवन प्रभावित होता है क्योंकि गर्म पानी समुद्र में छोड़ने से वे मर जाती है या समुद्री प्रजातियां प्रवास कर जाती है	मिट्टी की क्षारीयता में वृद्धि होने के कारण खेती की फसल सीमित हो जाती है खेती की फसल सीमित होने के कारण खेती के लिए उपलब्ध जमीन कम हो जाती है पेड़-पौधे का विकास प्रभावित होता है	किसान व मछुवारे की आजीविका प्रभावित होती है जोखिमपूर्ण कार्य परिस्थितियों के कारण दुर्घटना होने के खतरे बढ़ जाते हैं

यदि कोयले को धोने के लिए प्रयुक्त पानी को सीधे जल निकाय में डाला जाता है, तो वे संदूषित हो जाती है। इन संयंत्रों की फ्लाई ऐश को जमीन पर डाला जाता है तो मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। इन संयंत्रों से निकलने वाली धुआं में प्रदूषक तत्व होते हैं जैसे सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कणिका तत्व, कार्बन मोनोक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और अन्य धातु की तरह पारा होता है जो कि स्वास्थ्य व सेहत⁴ को प्रभावित करते हैं।

प्रकृति के आधार पर चार प्रकार के पर्यावरण प्रभाव व प्रभाव की विशेषताएं हैं:

- ◆ प्रत्यक्ष प्रभाव— जैसे— विद्युत संयंत्र से अशोधित अपशिष्टजल को नदी या झरने में छोड़ने से समुद्री जीव प्रभावित होते हैं।
- ◆ अप्रत्यक्ष प्रभाव— जैसे— विद्युत संयंत्र SO₂ जमीन पर SO₄ के रूप जमा हो जाता है जो कि खेती को प्रभावित करता है।
- ◆ संचयी प्रभाव— जैसे— क्षेत्र में मौजूद व आगामी परियोजना के सभी उत्सर्जन (धुंए) से संयुक्त प्रभाव होता है।
- ◆ प्रेरित प्रभाव— जैसे—मौजूद प्राकृतिक स्रोत जैसे पानी, हवा पर आधारित संयंत्र होने के कारण क्षेत्रीय भूप्रयोग पद्धति और जनसंख्या में परिवर्तन होता है।

पर्यावरण पर प्रभाव

1. वायु प्रदूषण

कोयला विद्युत संयंत्र से कई प्रदूषक तत्व उत्सर्जित होते हैं। इसमें सल्फर डाईऑक्साइड(SO₂), कार्बन मोनोक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NO_x) और ओजोन(O₃) सम्मिलित है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम), लेड व गैर-मैथेन हाइड्रोकार्बन भी उत्सर्जित करते हैं।

किसी भी दहन प्रक्रिया से एनओएक्स उत्पन्न होता है। इनका निर्माण ईंधन में उपस्थित नाइट्रोजन और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के दहन के दौरान होता है। दहन का तापमान बढ़ने के साथ-साथ एनओएक्स का निर्माण भी बढ़ता है।

इसके अतिरिक्त प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों का निर्माण होता है—वायुमंडलीय ऑक्सीजन में CO मिश्रित होने से कार्बन डायोक्साइड (CO₂) का निर्माण होता है—वायुमंडलीय ऑक्सीजन में एनओएक्स मिलने पर—नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) का भी निर्माण होता है।

⁴ तापीय विद्युत केन्द्रों की कार्यनिष्पादन समीक्षा 2004-05 अनुभाग 14 पृष्ठ सं. 14.1, अनुभाग-14, विद्युत क्षेत्र के पर्यावरण पहलू

इसी तरह, एसओएक्स (सल्फर ऑक्साइड), ईंधन में सल्फर और हवा में ऑक्सीजन का संयोजन रूप है। सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), कोयला विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित सामान्य प्रदूषक तत्व है। कभी-कभी, अतिरिक्त ऑक्सीजन के कारण, SO₃ का भी निर्माण होता है, जो कि वायुमंडल के पानी में मिश्रित होने के कारण अम्लीय वर्षा होती है।

कोयला विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित एसपीएम मुख्य रूप से कालिख, धुंआ और बारीक धूल के कण होते हैं और इनसे अस्थमा और श्वसन रोग उत्पन्न होते हैं।

2. जल प्रदूषण

कोयला विद्युत संयंत्र में, पानी को कोयला धोने, बॉयलर भट्ठी में संचारित कर, भाप उत्पन्न करने तथा उपकरण को ठण्डा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोयला-साफ किये गये पानी के चूर्ण से भूमिगतजल प्रदूषित होता है। यदि गर्म पानी को ठंडा किये बगैर जल निकाय में डाला जाता है तो तापमान में वृद्धि होती है और जलीय वनस्पति व जीव-जन्तु प्रभावित होते हैं।

3. भू-अवक्रमण

कोयला विद्युत संयंत्र से निष्कासित अशोधित वायु व जल प्रदूषक तत्व, निकटतम क्षेत्रों के जल, वनस्पति व जीव-जन्तुओं को प्रभावित करते हैं जो इन्हें जीवन या आजीविका गतिविधियों के अयोग्य बना देते हैं।

स्वास्थ्य प्रभाव⁵

रासायनिक प्रदूषक	स्वास्थ्य प्रभाव
सल्फर डाईऑक्साइड	<ul style="list-style-type: none"> श्वसन तंत्र व फेफड़ों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है अस्थमा और जीर्ण श्वसनीशोध उत्पन्न करता है आँखों में जलन उत्पन्न करता है हृदय रोग उत्पन्न करता है
नाइट्रस ऑक्साइड्स	<ul style="list-style-type: none"> अस्थमा उत्पन्न करता है जीर्ण प्रतिरोधी फुफुसीय रोग उत्पन्न करता है फेफड़े के विकास को रोकता है हृदय रोग उत्पन्न करता है
कणिका तत्व (पीएम): मोटे कण (पीएम ₁₀), महीन कण (पीएम _{2.5})	<ul style="list-style-type: none"> अस्थमा उत्पन्न करता है जीर्ण प्रतिरोधी फुफुसीय रोग उत्पन्न करता है फेफड़े के विकास को रोकता है फेफड़े का कैंसर उत्पन्न करता है हृदय रोग उत्पन्न करता है कॉर्जेस्टिव हार्ट फेल उत्पन्न करता है
अमोनिया	<ul style="list-style-type: none"> श्वसन रोग उत्पन्न करता है त्वचा व आँखों में जलन उत्पन्न करता है
हाइड्रोजन क्लोराइड व फ्लोराइड	<ul style="list-style-type: none"> त्वचा, नेत्र, नाक, गला, श्वसन मार्ग में जलन उत्पन्न करता है

5. http://www.env-health.org/IMG/pdf/heal_report_the_unpaid_health_bill_how_coal_power_plants_make_us_sick_final.pdf

रासायनिक प्रदूषक

स्वास्थ्य प्रभाव

डाईऑक्सीन और फुरान

- पेट के कैंसर का संभावित कारण है
- प्रजनन, अंतःस्रावी और प्रतिरक्षा-तंत्र को प्रभावित करता है

पॉलीसाइक्लिक ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स

- जिगर, गुर्दे और वृषण को बुरी तरह प्रभावित करता है
- शुक्राणु कोशिकाओं को नष्ट और प्रजनन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है
- लघु कणिका कण से जुड़कर, फेफड़ों में जमा हो सकती है

पारा

- मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, गुर्दे, जिगर को नुकसान पहुंचाता है
- स्नायु व जन्म-दोष उत्पन्न करता है

लेड

- बच्चों की तंत्रिका-तंत्र को नुकसान पहुंचाता है
- बच्चों की सीखने, स्मृति और आचरण प्रवृत्ति को पूरी तरह प्रभावित करता है
- गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है
- हृदयवाहिनी रोग उत्पन्न करता है
- एनीमिया उत्पन्न करता है

अंजन, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, सेलेनियम, मैंगनीज

- कार्सिनोजन (फेफड़ें, मूत्राशय, गुर्दे, चर्म कैंसर) को प्रभावित करता है
- तंत्रिका, हृदयवाहिनी, त्वचा, श्वसन व प्रतिरक्षा-तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है

रेडियम

- संभावित कार्सिनोजन (फेफड़ें व अस्थि कैंसर)
- एनीमिया उत्पन्न करता है
- मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न करता है

यूरेनियम

- संभावित कार्सिनोजन (फेफड़े व लसिका-तंत्र)
- गुर्दे रोग उत्पन्न करता है

ध्वनि प्रदूषण

विद्युत संयंत्र में बॉयलर, टरबाइन और क्रशर जैसे उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न उच्च स्तर की ध्वनि के नियमित संपर्क में रहने पर, संयंत्र में काम करने वाले व्यक्ति प्रभावित होते हैं।

1.3 पर्यावरण समाशोधन प्रक्रिया

1.3.1 ईआईए अधिसूचना, 2006 का परिचय

1.3.2 प्रवाह संचित्र: टीपीपी के लिए ईआईए प्रक्रिया

1.3.3 नये टीपीपी के लिए ईसी प्राप्त करना

1.3.4 मौजूद परियोजना (विस्तार/आधुनिकीकरण/उत्पाद मिश्रण परिवर्तन) के लिए ईसी प्राप्त करना

1.3.5 टीपीपी (पश्च ईसी) की निगरानी करना

1.3.6 ईसी हस्तांतरण क्षमता

1.3.1 ईआईए अधिसूचना, 2006 का परिचय

पर्यावरण व वन मंत्रालय (एमओईएफ), केन्द्र सरकार में भारतीय पर्यावरण व वन नीति और कार्यक्रमों की योजना, संवर्धन, समन्वय और क्रियान्वयन की देखरेख करने वाली प्रमुख एजेंसी होती है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (ईपीए) द्वारा एमओईएफ को उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान की जाती है जिसमें कोई भी उद्योग, परिचालन या प्रक्रिया कार्यान्वित न किये जा सकें, या कुछ सुरक्षा नियमों के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है। (धारा 5, उप-खण्ड (2), ईपीए अनुच्छेद 3)।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 (ईआईए अधिसूचना) ईपीए के अंतर्गत जारी किया गया है।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) ईपीए के अंतर्गत 50 करोड़ व इससे अधिक रुपये के निवेश में सम्मिलित 39 विकासशील गतिविधि श्रेणियों के लिए अनिवार्य है।

ईआईए अधिसूचना निम्नलिखित के लिए पूर्व पर्यावरण समाशोधन को अनिवार्य बनाती है

- ◆ इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नयी परियोजनाएं व गतिविधियां।
- ◆ इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध मौजूद परियोजनाओं का विस्तार/आधुनिकीकरण

टीपीपी को अधिसूचना अनुसूची के अंतर्गत मद 1 (डी) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

◆ टीपीपी से ईसी कब प्राप्त करें?

- 1) नया संयंत्र स्थापित करने से पहले
- 2) मौजूद संयंत्र का विस्तार या आधुनिकीकरण करने से पहले
- 3) मौजूद संयंत्र के उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन करने के लिए

◆ कौनसा प्राधिकरण ईसी जारी कर सकता है?

- 1) पर्यावरण व वन मंत्रालय (एमओईएफ)
- 2) राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए)

ईआईए अधिसूचना में इन दो प्राधिकरण को विनियामक प्राधिकरण कहा जाता है। सूची ए श्रेणी में आने वाली बड़ी परियोजनाओं के लिए, एमओईएफ द्वारा ईसी जारी किया जाता है। श्रेणी बी-लघु परियोजनाओं के लिए, एसईआईएए-प्रत्येक राज्य में परिचालित केन्द्र सरकार प्राधिकरण द्वारा समाशोधन जारी किया जाता है।

एसईआईएए

एसईआईएए, राज्य सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय सरकारी प्राधिकरण है लेकिन यह एमओईएफ के पक्ष में काम कर, इसे सूचना देती है।

संयोजन व कार्य पद्धति

एसईआईएए के तीन सदस्य होते हैं:

(i) सदस्य-सचिव-संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र के सेवारत अधिकारी, जो पर्यावरण नियमों से परिचित हो।

(ii) अध्यक्ष 3 वर्षीय कार्यकाल ईआईए प्रक्रिया में विशेषज्ञ

(iii) गैर-पदेन सदस्य- 3 वर्षीय कार्यकाल ईआईए प्रक्रिया में विशेषज्ञ

यदि राज्य में एसईआईएए का गठन नहीं किया गया है, तो एमओईएफ द्वारा ईसी अपेक्षित सभी परियोजनाओं पर

विचार किया जाएगा।

जहां तक संभव हो एसईआईएए के सभी निर्णय मितिग में सर्वसम्मति से लिये जाएंगे। यदि बहुमत से निर्णय लिया जाता है, तो इसके पक्ष व विपक्ष के मत विवरण को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किये जाएंगे और इस कार्यवृत्त की प्रतिलिपी एमआईईएफ को भेजी जाएगी।

गतिविधि	ईसी जारीकर्ता प्राधिकरण	पर्यावरण व वन मंत्रालय (एमओईएफ) श्रेणी ए	राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) श्रेणी बी
कोयला / लिग्नाइट / केरासिन / गैस आधारित विद्युत उत्पादन ≥ 500 मेगावाट			< 500 मेगावाट
बायोमास को छोड़कर रिफाइनरी अवशिष्ट तेल अपशिष्ट पदार्थ सहित पेट कोक डिजल और अन्य सभी ईंधन के प्रयोग से विद्युत उत्पादन		≥ 50 मेगावाट	5 मेगावाट - 49 मेगावाट
ईंधन के रूप में बायोमास या जोखिमरहित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रयोग से विद्युत उत्पादन		≥ 20 मेगावाट	16 मेगावाट - 19 मेगावाट

◆ प्राधिकरण से परियोजना के लिए ईसी जारी करने की सिफारिश कौन करता है?

- 1) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी)
- 2) राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी)

एमओईएफ द्वारा ईएसी सिफारिश के आधार पर मूल्यांकित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए ईसी जारी किया जाएगा। इसी तरह, एसईआईएफ द्वारा एसईएसी सिफारिश के आधार पर ईसी जारी किया जाएगा।

एसईएसी

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की सलाह से एसईएसी का गठन किया जाता है। यदि किसी राज्य में एसईएसी का गठन नहीं किया जाता है, तो एमओईएफ द्वारा ईसी अपेक्षित सभी बी श्रेणी की परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा।

ईएसी व एसईएसी का संयोजन:

ईएसी और एसईएसी में निम्नलिखित क्षेत्र के विशेषज्ञ या अनुभवी पेशेवर वाले 15 सदस्य हो सकते हैं:

- ◆ पर्यावरण गुणवत्ता
- ◆ विभिन्न परियोजना प्रबंधन क्षेत्र
- ◆ पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया
- ◆ जोखिम मूल्यांकन
- ◆ वनस्पति व जीव प्रबंधन (जीव विज्ञान विशेषज्ञ)
- ◆ वानिकी व वन्य जीव
- ◆ पर्यावरण अर्थशास्त्र (विशेषज्ञ परियोजना मूल्यांकन में अनुभवी हो)

अध्यक्ष संबंधित विकास क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ-साथ उत्कृष्ट व अनुभवी पर्यावरण नीति विशेषज्ञ या प्रबंधन या लोक प्रशासन में विशेषज्ञ हो।

अनुभवी पेशेवरों के लिए योग्यताएं:

व्यक्ति में निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए

- ◆ एमए/एमएससी डिग्री के संबंधित विषय में 5 वर्षीय औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण, या
- ◆ यदि इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला विषय के मामले में बी.टेक/बी.ई/बी.आर्क क्षेत्र में निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ-साथ पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 4 वर्षीय औपचारिक प्रशिक्षण, या
- ◆ किसी अन्य पेशेवर डिग्री (अर्थात्-विधि) के मामले में 5 वर्षीय औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण के साथ-साथ निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण, या
- ◆ संबंधित व्यावसायिक संघ (अर्थात्-चार्टर्ड अकाउंटेंसी) द्वारा संचालित निर्धारित शिक्षुता/आर्टिकलशिप और उत्तीर्ण परीक्षा, या

- ◆ विश्वविद्यालय में 2 वर्षीय औपचारिक प्रशिक्षण से प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री या सेवा अकादमी (अर्थात्—एमबीए / आईएएस / आईएफएस)।
- ◆ विशेषज्ञ / अनुभवी पेशेवरों का चयनित करने में, उनके द्वारा संबंधित विषय में प्राप्त अनुभव पर ध्यान दिया जाएगा।

विशेषज्ञ के लिए योग्यताएं:

पेशेवर को निम्नलिखित अर्हताओं के साथ उपर्युक्त पात्रता मापदण्ड को पूरा करना होगा:


- ◆ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव, या
- ◆ संबंधित क्षेत्र में उच्च पदवी (अर्थात्.पीएचडी) और न्यूनतम 10 वर्ष का संबंधित अनुभव
- ◆ विशेषज्ञ 70 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति हो। हालांकि, यदि प्रदत्त क्षेत्र में विशेषज्ञ उपलब्ध न होने पर, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति सदस्य की अधिकतम उम्र 75 वर्ष हो सकती है।

एसईएसी व ईएसी के कार्य:

- ◆ अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का 3 वर्षीय कार्यकाल अधिकतम दो बार होगा।
- ◆ मासिक बैठकों का आयोजन करना।
- ◆ एजेंडा व कार्यवृत्त को लिखना।
- ◆ बैठकों के कार्यवृत्त को 5 कार्यदिवस में पूरा कर, एमओईएफ वेबसाइट अपलोड करना।

≥ 500 मेगावाट क्षमता के साथ तापीय विद्युत संयंत्र के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया

1.3.2 प्रवाह संचित्र: टीपीपी के लिए ईआईए प्रक्रिया



* न्यूनतम क्षमता की टीपीपी के लिए, एमओईएफ द्वारा एमओईएफ से और ईएसी को एसईएसी से प्रतिस्थापित किया जाता है।

1.3.3 नये टीपीपी के लिए ईसी प्राप्त करना

ईसी प्रक्रिया:

- i) परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा एमओईएफ/एसईआईए में आवेदन-पत्र जमा करना
- ii) एमओईएफ/एसईआईए द्वारा संदर्भ शर्तें जारी करना
- iii) परियोजना/आवेदक द्वारा ईआईए जमा करना और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (एसपीसीबी) द्वारा लोक परामर्श का आयोजन करना
- iv) एमओईएफ/एसईआईए द्वारा ईसी जारी/आवेदन निरस्त करना

I परियोजना प्रस्तावक द्वारा एमओईएफ/एसईआईए में आवेदन-पत्र जमा करना

1. परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा प्रत्याशित जगह को चिन्हित करने के बाद ही ईसी के लिए आवेदन करना होता है। प्रपत्र 1 (प्रपत्र 1 प्रारूप के लिए संलग्न देखें) में आवेदन-पत्र तैयार किया जाता है और प्रस्तावक संयंत्र क्षमता के आधार पर परियोजना पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रतिलिपी एमओईएफ या एसईआईए को प्रस्तुत की जाती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित प्रपत्र 1 में टीओआर सम्मिलित किया जाता है।
 2. ईसी प्राप्त करने से पहले, परियोजना प्रस्तावक को भी आवेदक के रूप में जाना जाता है, और उसे निर्माण स्थान पर मजदूरों के लिए मूलभूत सुविधाओं सहित सफाई और बाड़ा लगाना या अस्थायी आश्रय बनाने के अलावा किसी भी गतिविधि को प्रारंभ करने की अनुमति नहीं होती है।
 3. इस चरण में, एसईआईए में प्रस्तुत आवेदन-पत्र को प्राधिकरण द्वारा पुनः श्रेणी बी1 और बी2 में वर्गीकृत किया जाएगा*। इस प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहा जाता है।
 4. बी2 परियोजनाओं में ईआईए की जरूरत नहीं पड़ती है।
- * एमओईएफ द्वारा परियोजना का बी1 व बी2 में वर्गीकरण करने पर समय-समय पर अधिसूचना जारी की जाती है। वर्तमान में, 5 मेगावाट से अधिक क्षमता के सभी कोयला, लिग्नाइट, केरोसिन और गैस-आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों को बी1 परियोजना में वर्गीकृत किया गया है और इसमें ईआईए की जरूरत पड़ती है।

II. एमओईएफ/एसईआईए द्वारा संदर्भ शर्तें जारी

अधिदिष्ट समय-सीमा-60 दिन

1. आवेदन-पत्र प्राप्त करने पर, एसईआईए/एमओईएफ द्वारा यह जांच की जाती है कि क्या सभी दस्तावेज जमा कर दिये हैं या नहीं
2. यदि अतिरिक्त विवरण की मांग की जाती है, तो परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा उन्हें यह विवरण प्रस्तुत करना होगा।
3. आवेदन-पत्र अनुमोदित होने पर, एमओईएफ/एसईआईए द्वारा जहाँ इस परियोजना का मूल्यांकन किया जाना है वहाँ परियोजना प्रस्तावक/आवेदक को ईएसी/एसईएसी के साथ मिटिंग करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

4. मिटिंग में, एमओईएफ/एसईआईएए द्वारा ईआईए अध्ययन संचालन के लिए सभी पर्यावरण समस्याओं को संबंधित करने वाले टीओआर जारी किये जाएंगे। इस प्रक्रिया को स्कोपिंग कहा जाता है।

ध्यान दें:

यदि आवेदन मूल्यांकन के दौरान ईएसी/एसईएसी चाहते हैं कि इनके सदस्यों को टीओआर (टीओआर सामग्री के लिए संलग्न देखें) तैयार करने के लिए निर्माण-स्थल का दौरा करना आवश्यक है, तो निर्माण-स्थल को दौरा करने के बाद ही टीओआर जारी किया जाएगा। इसके लिए, एमओईएफ/एसईआईएए द्वारा परियोजना प्रस्तावक/आवेदक को 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा, जो निरीक्षण कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करेगा।

निम्नलिखित आधार पर टीओआर निर्धारित किया जाता है

- ◆ प्रपत्र 1
- ◆ परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा प्रस्तावित टीओआर
- ◆ ईएसी या एसईएसी (यदि संचालित किया जाता है) उप-समूह द्वारा निर्माण-स्थल का दौरा किया जाता है
- ◆ ईएसी/एसईएसी से अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है

ईएसी/एसईएसी द्वारा प्रपत्र 1 प्राप्त करने के 60 दिन के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक/आवेदक को टीओआर भेज दिया जाएगा। यदि नहीं भेजा जाता है, तो परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा प्रस्तावित टीओआर को ईआईए प्रयोजन के लिए अनुमोदित टीओआर माना जाएगा।

अनुमोदित टीओआर को एमओईएफ व संबंधित एसईआईएए वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। तट के साथ स्थित संयंत्रों के टीओआर में आवश्यक अतिरिक्त अध्ययन विवरण को शामिल करना होगा।

इस चरण पर ईएसी/एसईएसी की सिफारिश के आधार पर एमओईएफ/एसईआईएए द्वारा स्वयं आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो निरस्तीकरण के कारण के फैसले को आवेदन-पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक/आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक को टीओआर जारी करने से पहले टीओआर और प्रपत्र 1 को एमओईएफ/एसईआईएए वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा

III. टीओआर प्राप्त करने के बाद, परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा ईआईए अध्ययन संचालन व ईआईए प्रारूप रिपोर्ट तैयार करने के लिए मान्यताप्राप्त परामर्शक की नियुक्ति की जाती है।

1. टीओआर प्राप्त करने के बाद, परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा ईआईए अध्ययन संचालन व ईआईए प्रारूप रिपोर्ट (इस प्रारूप में न्यूनतम 3 महीने लग सकते हैं क्योंकि यह अध्ययन संचालन के लिए टीओआर में उल्लेखित कई ऋतुओं पर आधारित होती है) तैयार करने के लिए मान्यताप्राप्त परामर्शक की नियुक्ति की जाती है।

2. इसी के साथ-साथ, परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा लोक परामर्श आयोजन के लिए एसपीसीबी को निवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

3. लोक परामर्श के दो भाग हैं:

- स्थानीय प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण-स्थल पर या इसके निकटतम स्थान पर लोक सुनवाई आयोजित करना
- परियोजना या गतिविधि के सामाजिक-पर्यावरण पहलुओं में संबंधित व्यक्ति की संभावित भागीदारी से लिखित प्रत्युत्तर प्राप्त करना।

ईआईए प्रारूप रिपोर्ट में शामिल है:

◆ परियोजना विवरण

◆ अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण मूलाधार आंकड़ें, जनसांख्यिकी, भूवैज्ञानिक विवरण और पारिस्थितिकी संवेदनात्मक विशेषताओं का विवरण

◆ परियोजना के पूर्वानुमानित पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव

◆ वैकल्पिक स्रोतों का विश्लेषण

एमओईएफ/एसईआईए और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा परियोजना के बारे में लिखित प्रत्युत्तर के लिए आमंत्रित किया जाता है।

लोक परामर्श का आयोजन करना होता है और एसपीसीबी द्वारा लोक सुनवाई रिपोर्ट जिसमें सुनवाई प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, जनता द्वारा उठाये मुद्दों के वक्तव्य और आवेदक की टिप्पणियां, मिटिंग की विडियो रिकॉर्डिंग और प्राप्त लिखित प्रत्युत्तरों को परियोजना प्रस्तावक/आवेदक से निवेदन-पत्र प्राप्ति से 45 दिन के अंतर्गत एमओईएफ/एसईआईए को जमा कराना होगा।

अधिक जानकारी के लिए, लोक परामर्श प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी पर अध्याय देखें

लोक सुनवाई रिपोर्ट को एसपीसीबी के अलावा पंचायत, जिला परिषद और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालयों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा भी इसे अपनी (एसपीसीबी) पर अपलोड किया जाएगा और एमओईएफ/एसईआईए द्वारा लोक परामर्श प्रक्रिया अंग के रूप में प्राप्त सभी प्रत्युत्तरों को परियोजना प्रस्तावक के साथ व्यक्त किया जाएगा।

IV. एमओईएफ/एसईआईए द्वारा ईसी जारी/आवेदन निरस्तीकरण: अधिदिष्ट समय-सीमा- 135 दिन

- परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा लोक परामर्श प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्त सामाजिक-पर्यावरण समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा और ईआईए प्रारूप रिपोर्ट में उचित परिवर्तन किया जाएगा। इस संशोधित दस्तावेज को अंतिम ईआईए रिपोर्ट कहते हैं।
- इस अंतिम ईआईए रिपोर्ट को मूल्यांकन के लिए एमओईएफ/एसईआईए में जमा कराना होता है। (वैकल्पिक रूप से, परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा लोक परामर्श के दौरान अभिव्यक्त सभी समस्याओं को

संबोधित करने वाली पूरक रिपोर्ट जमा कराई जा सकती है। यह रिपोर्ट और प्रारूप ईआईए अंतिम ईआईए होती है।)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा एमओईएफ/एसईआईए को निम्नलिखित दस्तावेज जमा किये जाएंगे:

- ◆ अंतिम ईआईए रिपोर्ट (20 कागजी प्रतिलिपी, 1 इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपी)
- ◆ अंतिम मसौदा योजना की प्रतिलिपी (20 प्रतिलिपी)
- ◆ **परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट** (1 प्रतिलिपी)

प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई प्रक्रिया की विडियोटेप या सीडी की एक प्रतिलिपी भी जमा की जा सकती है।

3. इन दस्तावेजों की प्राप्ति के 30 दिन के अंतर्गत, एमओईएफ द्वारा इनकी टीओआर में उल्लेखित शर्तों की अनुपालना में बारीकी से जांच की जाएगी और इसे किसी भी वर्णित कमी सहित अवलोकन रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से ईएसी/एसईएसी को भेजी जाती है। इसके साथ-साथ, अंतिम ईआईए रिपोर्ट, लोक परामर्श रिपोर्ट और प्रपत्र 1 की प्रतिलिपी संलग्न की जाती है। विचाराधीन प्रस्ताव की ईएसी/एसईएसी मिटिंग की अधिसूचित तिथि के बारे में उल्लेखित किया जाएगा।
4. यदि आवश्यक हो, तो एमओईएफ/एसईआईए द्वारा व्यक्तिगत या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को मिटिंग में भाग लेने व स्पष्टीकरण तैयार करने के लिए एक पत्र भेजा जाता है। ईएसी/एसईएसी मिटिंग के बारे में कम से कम 15 दिन पहले परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाएगा।
5. ईएसी/एसईएसी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्राप्ति के 60 दिन के अंतर्गत आवेदन मूल्यांकन पूर्ण करना होता है। यदि ईएसी/एसईएसी द्वारा ईसी जारी करने की सिफारिश की जाती है, तो इस कार्यवृत्त में विशिष्ट पर्यावरण सुरक्षा नियम और शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। यदि आवेदन का निरस्त करने की सिफारिश की जाती है, तो इसके कारणों का भी उल्लेख करना होगा।
6. ईएसी/एसईएसी मिटिंग कार्यवृत्त 5 कार्य दिवस में पूरी होगी और इसके बाद इसे एमओईएफ/एसईआईए वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाता है।
7. एमओईएफ/एसईआईए द्वारा ईएसी/एसईएसी से सूचना प्राप्ति के 45 दिन के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक को ईसी जारी करने या आवेदन निरस्त करने के बारे में सूचित किया जाएगा।

इसके बाद, परियोजना के लिए ईसी स्वीकृति या निरस्तीकरण पर ईएसी/एसईएसी सिफारिशें सार्वजनिक प्रलेख बन जाती है। इस प्रकार, यदि बिन्दु 7 में उल्लेखित समय-सीमा के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक को एमओईएफ/एसईआईए फैसले की सूचना नहीं दी जाती है, तो प्रस्तावक आगे की कार्यवाही कर सकता है चाहे ईएसी/एसईएसी की अंतिम सिफारिशों के आधार पर ईसी स्वीकृत की गई हो या निरस्त की गई हो।

पर्यावरण समाशोधन को सात दिन में एमओईएफ/एसईआईए वेबसाइट में अपलोड करने के अलावा प्रतिदिन छपने वाले अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करना होगा। ईसी को एमओईएफ के सूचना पट्ट व इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के परिसर में भी 30 दिन तक प्रकाशित सूचना पट्ट पर रखना होगा। प्रस्तावक परियोजना की वेबसाइट में भी स्थायी रूप से ईसी प्रकाशित किया जाएगा।

ईसी फैसले पर पुनर्विचार: 135 दिन

आमतौर पर एमओईएफ/एसईआईए द्वारा ईसी/एसईएसी सिफारिशों को स्वीकृत किया जाता है। सिफारिशों की असहमति के मामलों में, एमओईएफ/एसईआईए द्वारा अपनी अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए ईसी/एसईएसी फैसले पर पुनर्विचार करने का निवेदन-पत्र भेजा जा सकता है। इस निवेदन-पत्र को सिफारिश मिलने से 45 दिन के अंतर्गत भेजना होता है।

इसी के साथ-साथ, इस फैसले का प्रज्ञापन भी परियोजना प्रस्तावक को भेज दिया जाता है।

ईसी/एसईएसी को 60 दिन के अंतर्गत एमओईएफ/एसईआईए की टिप्पणियों पर विचार कर, अपने मंतव्य प्रस्तुत करना होता है।

एमओईएफ/एसईआईए द्वारा ईसी/एसईएसी के मंतव्य पर विचार कर, ईसी जारी करने पर निर्णय करना होता है। एमओईएफ/एसईआईए का यह निर्णय अंतिम होता है, और इसे परियोजना प्रस्तावक को अगले 30 दिन के अंतर्गत प्रेषित करना होता है।

ईसी वैधता

टीपीपी के लिए ईसी वैधता ईसी स्वीकृति तिथि से उत्पादन परिचालन प्रारंभ होने तक 5 वर्ष होती है।

ईसी नवीनीकरण के लिए, एमओईएफ/एसईआईए में वैधता अवधि के अंतर्गत अद्यतन प्रपत्र 1 के साथ आवेदन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर एमओईएफ/एसईआईए द्वारा ईसी/एसईएसी से परामर्श किया जा सकता है।

ईसी का निरस्तीकरण

यदि परियोजना प्रस्तावक ने जानबूझकर कोई जानकारी छुपाई है या ईसी प्राप्त करने के लिए गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की है और परियोजना से पर्यावरण या सामाजिक-आर्थिक पर घातक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ईसी को रद्द किया जा सकता है। एमओईएफ/एसईआईए द्वारा परियोजना प्रस्तावक की व्यक्तिगत सुनवाई के बाद और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों की अनुपालन में यह निर्णय लिया जाता है।

1.3.4 मौजूद संयंत्रों (विस्तार/आधुनिकीकरण/उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन) के लिए ईसी प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. निम्नलिखित कार्य हेतु पूर्व ईसी की मांग करने वाले सभी आवेदन-पत्रों के लिए नवीन प्रपत्र 1 जमा करना होता है

- ◆ संयंत्र का विस्तार

◆ ईआईए अधिसूचना की अनुसूची में उल्लेखित सीमा-रेखा से अधिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने पर मौजूद संयंत्र का आधुनिकीकरण।*

◆ मौजूद संयंत्र के उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन

विस्तार सीमा के आधार पर आवेदन-पत्र एसईआईए/एमओईएफ में जमा किया जाता है।

2. ईएसी/एसईएसी द्वारा आवेदन-पत्रों पर 60 दिन में विचार करना होता है।

3. ईएसी/एसईएसी द्वारा ईआईए तैयारी और लोक परामर्श सहित सम्यक उद्यम आवश्यकता पर निर्णय करना होता है। ईसी स्वीकृति के तदनुसार आवेदन का मूल्यांकन किया जाता है।

*टीपीपी की सीमा, जिसके लिए एसईआईए द्वारा ईसी जारी करना होता है वह है 500 मेगावाट। इसलिए, यदि 300 मेगावाट क्षमता के संयंत्र का आधुनिकीकरण करने के बाद 500 मेगावाट से अधिक क्षमता हो जाती है, तो इसमें एमओईएफ से ईआईए प्रक्रिया के सभी चरणों सहित पूर्व पर्यावरण समाशोधन की जरूरत पड़ती है।

1.3.5 पश्च पर्यावरण समाशोधन निगरानी

परियोजना प्रस्तावक द्वारा एमओईएफ/एसईआईए को ईसी में निर्धारित नियम व शर्तों के अनुरूप प्रतिवर्ष 1 जून और 1 दिसम्बर को अर्द्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट की कागजी प्रतिलिपी और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपी भेजनी होती है। ये प्रत्येक दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज है और इसे एमओईएफ/एसईआईए में आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है।

नवीनतम अनुपालन रिपोर्ट को एमओईएफ/एसईआईए और परियोजना प्रस्तावक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

1.3.6 ईसी हस्तांतरण क्षमता

परियोजना के लिए परियोजना प्रस्तावक को प्रदत्त ईसी को वैधता अवधि के दौरान परियोजना ग्रहण के लिए निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, इस आशय के आवेदन पत्र के साथ हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी द्वारा लिखित में "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जमा कराना होगा।

ईसी में निर्दिष्ट नियम व शर्तें और वैधता अवधि प्रभावी रहेगी। ईएसी/एसईएसी द्वारा इनसे संबंधित किसी भी तरह की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

2. ईआईए प्रक्रिया में समुदायों को सशक्त करना

2.1 लोक परामर्श प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी

2.1.1 संक्षिप्त लोक प्रशासन प्रक्रिया

2.1.2 लोक परामर्श की संरचना व आशय

2.1.3 लोक परामर्श की समय-सीमा

2.1.4 लोक परामर्श प्रक्रिया का प्रवाह-संचित्र

2.1.5 एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

2.1.6 लोक सुनवाई में अपने अधिकार रखना!

2.1.1 संक्षिप्त लोक परामर्श प्रक्रिया

वर्तमान में टीपीपी प्रस्तावित क्षेत्र के पर्यावरण के सहभागी स्थानीय समुदाय और सभी लोगों के सवालों को स्पष्टीकरण प्राप्त करने, समस्याओं को व्यक्त करने और यदि परियोजना से उनके अधिकार वैध रूप से प्रभावित होते हैं तो अपने विरोध को रिकॉर्ड करने के लिए लोक परामर्श (पीसी) बेहतरीन अवसर और विशाल मंच उपलब्ध है। लोक परामर्श प्रक्रिया का परिणाम प्रतिभागी संख्या और जनता की प्रभावी भागीदारी पर निर्भर करता है। लोगों के सवाल, समस्याओं और विरोध पर ध्यान देना होता है, यदि ये सही पाये जाते हैं, तो विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा एमओईएफ या एसईआईए को ईआईए प्रारूप जमा कराने और इसी के साथ-साथ संबंधित एसपीसीबी को पीसी आयोजित करने के लिए निवेदन पत्र जमा कराने के बाद पीसी का आयोजन होता है।

इस पत्र को प्राप्त करने के 45 दिन के अंतर्गत, एसपीसीबी को पीसी प्रक्रिया पूर्ण कर, इसकी रिपोर्ट एमओईएफ/एसईआईए को प्रस्तुत करनी होती है। यदि एसपीसीबी द्वारा समय-सीमा के अंतर्गत पीसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है, तो एमओईएफ/एसईआईए द्वारा सुनवाई संचालन के लिए अन्य एजेंसी नियुक्त की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा इन बिन्दुओं को ध्यान में रखना होता है और इसी अनुरूप ईआईए प्रारूप संशोधन करना होता है। प्रस्तुत अंतिम ईआईए के आधार पर विनियामक प्राधिकरण ईसी स्वीकृत/आवेदन का निरस्त कर सकती है। ?

लोक परामर्श के दो भाग हैं:

1. लोक सुनवाई: सरकारी अधिकारी द्वारा सभी टीपीपी के लिए संचालित की जाने वाली यह अनिवार्य मिटिंग होती है, चाहे उनकी क्षमता और स्थान कुछ भी हो। यहाँ, परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा उपस्थित जनता के सामने परियोजना का स्पष्टीकरण किया जाता है। यह जनता का एक ऐसा मंच है जहाँ

लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से परियोजना के बारे में सवाल कर सकते हैं और आशंका व समस्याएं व्यक्त कर सकते हैं। अधिकारियों को इन प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड करना होता है।

2. लिखित प्रत्युत्तर: लोक सदस्य भी एसपीसीबी और विनियामक प्राधिकरण को परियोजना के बारे में अपने सवाल व समस्याओं को लिखित में भेज सकते हैं।

2.1.2 पीसी संरचना और आशय

प्रचार

लोक परामर्श (लोक सुनवाई और लिखित प्रत्युत्तर) की घोषणा करने वाले विज्ञापनों को स्पष्ट व उपयुक्त रूप से जारी करें।

उस राज्य में प्रचलित रोजाना छपने वाले एक अंग्रेजी व एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्रों में रोजाना विज्ञापन दें।

लोक सुनवाई

सूचना अवधि

एसपीसीबी द्वारा आगामी सुनवाई के बारे में जनता को कम से कम एक माह पूर्व सूचना देनी होती है।

कार्यक्रम-स्थल

1. लोक-सुनवाई का कार्यक्रम स्थल, परियोजना स्थल के निकट होना चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) आज्ञापति में स्पष्ट किया गया है कि जहाँ तक संभव हो, परियोजना स्थल से 1 किमी की दूरी के अंतर्गत सुनवाई स्थल होना चाहिए। (कृषि विज्ञान आरोग्य संस्थान और अन्य बनाम एमओईएफ व अन्य)
2. चयनित कार्यक्रम स्थल, परियोजना स्थल के निकटतम उपलब्ध जगह होनी चाहिए⁷। उदाहरण के लिए, यदि निर्माण-स्थल से दो किलोमीटर की दूरी पर उपयुक्त कार्यक्रम स्थल है, तो एसपीसीबी द्वारा इससे दूरी पर उपलब्ध अन्य कार्यक्रम स्थल का चुनाव नहीं किया जा सकता है।
3. यदि कार्यक्रम स्थल परियोजना के पास नहीं है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोगों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाने की व्यवस्था करना होता है। चाहे परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवहन की व्यवस्था की जा रही है, तो भी लोक सुनवाई को परियोजना स्थल से अत्यधिक दूरी पर आयोजित नहीं किया जा सकता है⁸।

निम्नलिखित सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य

1. जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पद से नीचे न हो।
2. एसपीसीबी के प्रतिनिधि

लोक भागीदारी

1. लोक सुनवाई में भाग लेने के इच्छुक स्थानीय समुदाय और लोक सदस्य।

लोक सुनवाई में स्थानीय निकाय प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। पार्टी के झण्डें दिखाने या नारे लगाने की अनुमति नहीं है।
—एनजीटी फैसला
(ओसी फर्नाडिस व अन्य बनाम एमओईएफ व अन्य में)

7. जीत सिंह कंवर और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य। (10-2011 (टी))

8. कृषि विज्ञान आरोग्य संस्थान व अन्य बनाम एमओईएफ व अन्य। (7-2011 (टी)) + ओसी फर्नाडिस व अन्य बनाम एमओईएफ व अन्य

2. किसी भी निर्दिष्ट संख्या उपस्थिति की जरूरत नहीं।
3. कार्यक्रम स्थल पर सभी लोगों की उपस्थिति को दर्ज करना होगा।
4. यदि लोग उपस्थित अधिकारियों के पास पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें मंच तक पहुंचने का मार्ग प्रदान किया जाए।

(मंच क्षेत्र की घेराबंदी न करें)

कार्यवाही की रिकॉर्डिंग

एसपीसीबी द्वारा लोक सुनवाई के लिए विडियोग्राफी करने की व्यवस्था की जाएगी।

एसपीसीबी अधिकारियों द्वारा मिटिंग कार्यवृत्त का उचित रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा।

शिकायतें

जनता द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों को सुनवाई या रिकॉर्डिंग कार्यवृत्त व सुनवाई पाठन के समक्ष प्रस्तुत परियोजन के बारे में किसी भी तरह की त्रुटि या परिवर्तित तथ्य या दस्तावेज में इसके प्रभाव की सूचना दी जा सकती है।

नवीनतम सुनवाई की मांग के साथ लोक सुनवाई के आचरण में किसी भी तरह की प्रक्रियागत खामियों के बारे में एमओईएफ/एसईआईएए को सूचित किया जा सकता है।

लिखित प्रत्युत्तर

लोक सुनवाई के लिए प्रदत्त एक महिने की नोटिस अवधि के दौरान, एसपीसीबी द्वारा जनता से लिखित प्रत्युत्तर प्राप्त किया जाता है।

लिखित प्रत्युत्तर की प्राप्ति हेतु एसपीसीबी की लोक परामर्श विज्ञापन में ईमेल और डाक पते का प्रकाशन किया जाएगा। एसपीसीबी द्वारा इन प्रत्युत्तरों को एकत्रित किया जाता है और इन्हें लोक परामर्श रिपोर्ट में सम्मिलित कर, एमओईएफ/एसईआईएए को प्रस्तुत किया जाता है।

एमओईएफ द्वारा लोक परामर्श प्रक्रिया अंग के रूप में प्राप्त प्रत्युत्तरों को 'त्वरित उपलब्ध संसाधनों' के माध्यम से परियोजना परियोजक/आवेदक के पास पहुंचाना होता है। प्राप्त लिखित प्रत्युत्तर, एसपीसीबी द्वारा प्रस्तुत लोक सुनवाई रिपोर्ट का भाग होंगे, और इन्हें एसपीसीबी वेबसाइट के अलावा पंचायत, जिला परिषद, जिला मजिस्ट्रेट और एसपीसीबी कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

चरण

1

1 दिन: प्रस्तावक द्वारा एसपीसीबी को लोक परामर्श

संचालित करने के लिए निवेदन किया जाता है

इसी के साथ-साथ, अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में ईआईए कार्यकारी संक्षिप्त विवरण और ईआईए प्रारूप निम्नलिखित को प्रस्तुत करना होता है

- एमआईईएफ और इसके क्षेत्रीय कार्यालय
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
- जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/उपायुक्त
- जिला परिषद/नगर निगम/पंचायत संघ
- जिला उद्योग कार्यालय
- शहरी स्थानीय निकाय/पंचायत/विकास प्राधिकरण

चरण

2

7 दिन से पहले: एसपीसीबी द्वारा लोक परामर्श

विवरण की घोषणा की जाती है

- I. लोक सुनवाई
- II. लिखित प्रत्युत्तर

I. लोक सुनवाई

- लोक सुनवाई विवरण को रोजाना स्थानीय व अंग्रेजी भाषा में विज्ञापित करना होगा
- ऐसे स्थान जहाँ समाचार-पत्र नहीं पहुंचते हैं, वहाँ पर रेडियो/टीवी और 'ढोल बजाकर' इस विषय की जानकारी दी जाएगी।
- ईआईए प्रारूप के संक्षिप्त विवरण को एसपीसीबी वेबसाइट व एमओईएफ वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- ईआईए प्रारूप और ईआईए प्रारूप के कार्यकारी संक्षिप्त विवरण को चरण 1 में उल्लेखित कार्यालयों पर और समाचार-पत्र विज्ञापन/घोषणा-पत्र में सूचित स्थान पर कागजी/इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जाएगी।

II. लिखित प्रत्युत्तर:

- लोक सुनवाई के विज्ञापन/घोषणा-पत्र में भेजे जाने वाले लिखित प्रत्युत्तर में पता व ई-मेल पता का उल्लेख करना होता है
- लिखित प्रत्युत्तरों को लोक सुनवाई तिथि तक 1 महिने के लिए स्वीकार किया जाते हैं।
- चरण 1 में उल्लेखित सभी कार्यालयों को भी लिखित प्रत्युत्तर के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

चरण

3

45 दिन के पहले: एसपीसीबी द्वारा पीसी पूर्ण कर, रिपोर्ट को एमओईएफ/एसईआईएए को भेजना होता है।

I. लोक सुनवाई प्रक्रिया:

1. जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/जिला कलेक्टर को कार्यक्रम-स्थल पर उपस्थित रहना होता है।
2. एसपीसीबी द्वारा सभी प्रतिभागियों का नाम दर्ज करना, कार्यवृत्त लिखना और कार्यवाही प्रक्रिया का रिकॉर्ड करना और सभी व्यक्तियों की सार्थक भागीदारी के लिए उचित अवसर प्रदान करना होता है।
3. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना (विशेष रूप से सामाजिक व पर्यावरण प्रभाव) और ईआईए प्रारूप का कार्यकारी संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना होता है।
4. प्रतिभागियों को सवाल पूछना और वैध समस्याएं, यदि कोई हो, के प्रति आवाज उठाना होता है।
5. परियोजना प्रस्तावक को स्पष्टीकरण और प्रस्तावित शमन उपायों के साथ जवाब देना होता है।
6. एसपीसीबी को सभी की सहमति से यदि कोई संशोधन हो तो उनके साथ रिकॉर्ड की गई कार्यवृत्त को स्थानीय भाषा में पढ़कर, स्पष्ट करना होगा।
7. जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/जिला कलेक्टर को कार्यक्रम-स्थल पर ही कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करना होगा।
8. एसपीसीबी द्वारा एमओईएफ/एसईआईएए को लोक सुनवाई रिपोर्ट जमा करना होगा।

II. लोक सुनवाई रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा:

- ◆ लोक सुनवाई का संक्षिप्त विवरण
- ◆ जनता द्वारा उठाये गये प्रत्येक मुद्दे और परियोजना प्रस्तावक के संबंधित जवाब/प्रत्युत्तर के सारणीबद्ध रूप में कथन
- ◆ लोक सुनवाई की विडियों रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपी
- ◆ परियोजना के बारे में प्राप्त लिखित प्रत्युत्तर
- ◆ एसपीसीबी द्वारा सुनवाई के लिए अपनाये गये प्रचार उपायों का विवरण, जो यह साबित करते हैं कि अनुपालित प्रक्रिया पर्याप्त थी।

III. लोक सुनवाई रिपोर्ट की उपलब्धता:

इस रिपोर्ट को अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा में स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना होगा:

- ◆ पंचायत
- ◆ जिला परिषद
- ◆ जिला मजिस्ट्रेट
- ◆ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
- ◆ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल वेबसाइट

2.1.4 विद्युत संयंत्र के लिए लोक परामर्श प्रक्रिया

1 दिन

1 परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई निवेदन-पत्र के साथ-साथ अंग्रेजी व क्षेत्री भाषा में कार्यकारी संक्षिप्त विवरण और (प्रारूप पर्यावरण निगरानी योजना सहित) ईआईए प्रारूप रिपोर्ट को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सदस्य सचिव को जमा कराना होगा

2 इसी के साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यकारी संक्षिप्त विवरण सहित ईआईए प्रारूप रिपोर्ट की एक कागजी प्रतिलिपी व एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय, नगर निगम (एमसी)/जिला परिषद (जेडपी) कार्यालय, जिला उद्योग कार्यालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय (एमओईएफ) व इसके क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराना होगा

7 दिन से पहले

3 एसपीसीबी द्वारा लोक सुनवाई, ईआईए प्रारूप और लिखित प्रत्युत्तर की मांग के विवरण को रोजाना अपनी वेबसाइट में अंग्रेजी व 1 स्थानीय भाषा में प्रकाशित करने के अलावा विज्ञापनों के माध्यम से घोषणा करना होगा। एसपीसीबी और एमओईएफ वेबसाइट पर ईआईए प्रारूप कार्यकारी संक्षिप्त विवरण और परियोजना प्रस्तावक के प्रपत्र 1 आवेदन-पत्र को प्रकाशित करना होगा।

8 से 44 दिन

4. एसपीसीबी द्वारा ऐसे क्षेत्र जहाँ समाचार-पत्र आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं वहाँ के लोगों को 'दोल बजाकर' व टीवी/रेडियो विज्ञापन के माध्यम से सूचित करना होगा। डीएम, एमसी/जेडपी और जिला उद्योग कार्यालयों में भी लोक सुनवाई का प्रचार व लिखित प्रत्युत्तर के लिए आमंत्रित करना होगा।

5. स्थानीय समुदाय द्वारा उपर्युक्त कार्यालयों या एमओईएफ के नई दिल्ली कार्यालयों या एसपीसीबी विज्ञापन में उल्लेखित अन्य स्थानों से ईआईए प्रारूप (सीडी/कागजी प्रतिलिपी) प्राप्त किया जा सकता है। यदि ईआईए रिपोर्ट में टीओआर सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो स्थानीय समुदायों द्वारा इसे एमओईएफ/एसईआईए वेबसाइट या कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।

6. स्थानीय समुदायों द्वारा टीओआर के अनुरूप ईआईए प्रारूप, स्थानीय वातावरण के विवरण की शुद्धता, अधिग्रहित प्रारंभिक आधारभूत अध्ययन का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा।

7. स्थानीय समुदाय/व्यक्तियों द्वारा संभावित पर्यावरण प्रभाव और प्रस्तावित पर्याप्त शमन उपायों से संबंधित पर्यावरण विशेषज्ञ से परामर्श कर सकते हैं।

45 दिन पहले

8. स्थानीय समुदाय/व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित लोक सुनवाई उपायों में निहित किसी तरह की खामियों के बारे में जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट, एमओईएफ, एसपीसीबी को सूचित करते हैं और एमओईएफ द्वारा अधिदिष्ट सुनवाई को याचिका पेश कर, रूकवाई जा सकती है।

9. स्थानीय समुदाय/व्यक्तियों को एमओईएफ/एसईआईएए कार्यालय के अतिरिक्त एसपीसीबी द्वारा उल्लेखित पते पर लिखित प्रत्युत्तर भेजना होता है।

10. एसपीसीबी द्वारा लोक सुनवाई का संचालन व सुनवाई तिथि तक लिखित प्रत्युत्तर प्राप्त करना होता है।

11. स्थानीय समुदाय/व्यक्तियों द्वारा लोक सुनवाई के संचालन में किसी भी तरह की खामियों के बारे में एमओईएफ/एसईआईएए व एसपीसीबी को सूचित करना होता है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक समस्याओं के निस्तारण के लिए ईआईए प्रारूप रिपोर्ट के आवश्यक परिवर्तन और अनुमोदित लोक सुनवाई (वैकल्पिक) की प्रतिलिपी सहित अंतिम ईआईए रिपोर्ट (संशोधित ईएमपी सहित), परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट और अंतिम मसौदा योजना को एमओईएफ/एसईआईएए को प्रस्तुत करनी होती है।

13. एमओईएफ/एसईआईएए व एसपीसीबी द्वारा प्राप्त लिखित प्रत्युत्तरों को 'त्वरित उपलब्ध संसाधनों' के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक के साथ व्यक्त करना होता है।

12. एसपीसीबी द्वारा लोक सुनवाई रिपोर्ट (सुनवाई का संक्षिप्त विवरण, की गई आपत्तियों के कथन, सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी, प्राप्त लिखित प्रत्युत्तर) को एमओईएफ/एसईआईएए को जमा कराना होगा।

2.1.5 एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. क्या मैं लोक सुनवाई में भाग लेकर, लिखित प्रत्युत्तर भी भेज सकता हूँ/सकती हूँ?
हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं।
2. मैं प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट नहीं रहता हूँ—तो क्या मैं भी लोक सुनवाई में भाग लेकर अपनी समस्याएं उठा सकता हूँ?
हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास प्रस्तुत की जाने वाली वैध सामाजिक व पर्यावरण समस्याएं हो!
3. मेरे पास लोक सुनवाई में प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रमुख पर्यावरण मुद्दा नहीं है। फिर भी, मैं सामाजिक व रोज़गार संबंधित समस्याओं के बारे में सवाल उठाना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ?
हाँ, लोक सुनवाई का मतलब प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव पर केन्द्रित है। हालांकि, 'पर्यावरण' शब्द की व्यापक व्याख्या की जाती है और सामाजिक व आर्थिक (आजीविका सहित) प्रभाव से संबंधित मुद्दे, ईआईए अध्ययन के भाग हैं। इसलिए इन्हें लोक सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सामाजिक मूल्यांकन, पुनर्वास व पुनर्स्थापन योजना, ईआईए अध्ययन का भाग है और इनसे संबंधित समस्याओं को सुनवाई के दौरान उठाया जा सकता है।
4. परियोजना के बारे में लिखित प्रत्युत्तर कौन भेज सकता है?
स्थानीय समुदायों के अलावा, परियोजना पर्यावरण पहलू या गतिविधि में भाग लेने वाले कोई भी संभावित व्यक्ति जैसे कार्यकर्ता और मिडिया कर्मी लिखित प्रत्युत्तर भेज सकते हैं।
5. यदि लोक सुनवाई आयोजित किए बिना किसी परियोजना को ईसी प्रदान कर दी जाए तो क्या करना होगा?
राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ईसी के विरुद्ध याचिका दायर करनी होती है। ऐसा ईसी सूचना की तिथि से 30 दिन के अंतर्गत करना होता है, यदि विलम्ब का कोई उचित कारण हो तो इसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
6. क्या दो परियोजनाओं की लोक सुनवाई एकसाथ, एक ही समय और एक ही कार्यक्रम—स्थल पर आयोजित किया जा सकता है?
नहीं, अप्रैल 2010 में एमओईएफ द्वारा जारी कार्यालय—ज्ञापन के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है।
7. क्या लोक सुनवाई को स्थगित किया जा सकता है?
हाँ, लेकिन सिर्फ आपातकालीन स्थिति में। अन्यथा, लोक सुनवाई तिथि, समय व कार्यक्रम—स्थल में परिवर्तन किया जा सकता है।

पर्यावरण' शब्द' की व्यापक व्याख्या की जाती है और सामाजिक व आर्थिक प्रभाव व आजीविका से संबंधित मुद्दे को लोक सुनवाई के दौरान उठाये जा सकते हैं।

9 http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/pub_hear_EIA.pdf

- ◆ जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर / उपायुक्त की सिफारिश पर ही सुनवाई को स्थगित किया जा सकता है।
- ◆ जिस तरह सुनवाई प्रक्रिया की घोषणा की जाती है उसी तरह अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में विज्ञापन के माध्यम से सुनवाई स्थगन की घोषणा की जाती है। इसे मुख्य रूप से एसपीसीबी द्वारा चयनित सभी कार्यालयों में भी प्रकाशित किया जाएगा।
- ◆ इसके बाद सीपीसीबी सदस्य-सचिव द्वारा जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर / उपायुक्त के साथ विचार-विमर्श करने पर ही लोक परामर्श की नवीनतम तिथि, समय व कार्यक्रम-स्थल निर्धारित किये जाएंगे और नये सिरे से सूचना दी जाएगी।
- ◆ स्थानीय परिस्थिति के कारण, यदि निर्दिष्ट तरीके से लोक सुनवाई नहीं की जा सकती है, तो एसपीसीबी द्वारा इसके बारे में एमओईएफ / एसईआईए को सूचित करती है जो उचित सोच-विचार के बाद यह फैसला सुना सकती है कि उस विशिष्ट मामले में लोक परामर्श में लोक सुनवाई को शामिल करने की जरूरत नहीं है।
- ◆ हालांकि, नवीनतम एनजीटी ऑर्डर में बताया गया है कि लोगों की आक्रामक व उत्तेजित स्थिति में, लोक सुनवाई को रद्द किया जाता है और बाद में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होने पर आयोजित किया जाता है।

8. क्या जनता लोक सुनवाई स्थगन की मांग कर सकती है?

हाँ, लेकिन सिर्फ सुनवाई संचालन में किसी तरह की प्रक्रियात्मक खामियां हो-जैसे-कार्यक्रम-स्थल बहुत दूर हो या सूचित स्थानों पर ईआईए प्रारूप उपलब्ध न हो। लोग, जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर या उपायुक्त के लिए संयुक्त प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

9. क्या लोक सुनवाई में कितने लोग बात कर सकते हैं, पर कोई अधिनियम है?

नहीं, कोई सीमा नहीं है! सुनवाई के दौरान उपस्थित सभी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है।

10. क्या लोक सुनवाई के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा है?

नहीं! जब तक लोक प्रश्नोत्तरी चलती है, तब तक सुनवाई जारी रहती है।

लोक सुनवाई से एक माह पहले जिला उद्योग कार्यालय और एमओईएफ क्षेत्रीय कार्यालय के अलावा जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपायुक्त, जिला परिषद/नगर निगम/पंचायत संघ कार्यालयों पर प्रत्येक ईआईए प्रारूप की 10 कागजी व इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जाएगी।

11. किसी परियोजना का अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में प्रस्ताव किया गया है। क्या मैं एक परियोजना की लोक सुनवाई में सभी प्रदूषक परियोजनाओं के सम्पूर्ण प्रभाव के बारे में पूछ सकता हूँ?

हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं! ईआईए अध्ययन में प्रस्तावित और परियोजना क्षेत्र की आगामी परियोजनाओं के संचयी प्रभाव के मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है। इन परियोजना के संचयी प्रभाव से संबंधित मुद्दे को लोक सुनवाई में उठाया जा सकता है।

12. यदि दो राज्यों की परिसीमा में परियोजना स्थल आता है, तो लोक सुनवाई का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऐसे मामलों में, संबंधित एसपीसीबी द्वारा दोनों राज्यों के लिए संयुक्त रूप से सुनवाई का आयोजन किया जाएगा।
13. क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे एसपीसीबी द्वारा प्रकाशित किये गये लोक सुनवाई के तरीके का पता लगाया जा सकता है?

हाँ! यह जानकारी, लोक सुनवाई रिपोर्ट में उपलब्ध होगी। एमओईएफ द्वारा अप्रैल 2010 में जारी कार्यालय-ज्ञापन में एसपीसीबी को लोक सुनवाई प्रक्रिया में यह उल्लेख करना होता है कि सुनवाई समय, कार्यक्रम-स्थल और दिनांक के बारे में स्थानीय लोगों को सूचित करने के लिए किस तरह की पर्याप्त उपायों को अपनाया गया था। एसपीसीबी को यह प्रमाणित करना होता है कि सुनवाई के लिए अनुपालित प्रक्रिया पर्याप्त थी।¹⁰

2.1.6 लोक सुनवाई में अपने अधिकारों का दावा करना

लोक सुनवाई में अपने अधिकारों का दावा करना!

1. लोक सुनवाई की घोषणा करने पर, ईआईए प्रारूप और ईआईए संक्षिप्त विवरण के दस्तावेज़ प्राप्त करना।
2. परियोजना के लिए एमओईएफ/एसईआईए द्वारा संदर्भ शर्तों की प्रतिलिपी प्राप्त करना।
3. सुनिश्चित करें कि निर्धारित टीओआर के अनुसार ईआईए प्रारूप तैयार किया गया है।
4. सुनवाई के समय, आग्रह करें कि परियोजना की प्रस्तुतीकरण को सभी प्रतिभागियों की समझ में आने वाली स्थानीय भाषा में बनायें।
5. परियोजना के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण प्रभाव पर संयंत्र-केन्द्रण के बारे में विशिष्ट विवरण की मांग करना।
6. जैसे ही लोक सुनवाई का समय नजदीक आये, तो सुनिश्चित करें कि आपकी समस्याओं को कार्यवृत्त में यथावत रूप से रिकॉर्ड किया गया है—जिसे स्थानीय भाषा में पढ़ना और स्पष्ट करना होगा।
7. अपनी समस्याओं को दर्ज करने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए लोक सुनवाई प्रक्रिया की प्रतिलिपी प्राप्त करें।
8. फाइनल ईआईए की प्रतिलिपी प्राप्त कर, यह सुनिश्चित करें कि स्थानीय लोगों की समस्याओं और प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रत्युत्तरों को शामिल किया गया है।
9. सुनिश्चित करें कि लोक सुनवाई में प्रस्तावक द्वारा दिये गये सभी नये आश्वासनों को फाइनल ईआईए और संशोधित परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट में दर्शाया गया है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के समय परियोजना प्रभावित समुदायों को पानी आपूर्ति करने की सहमति जताई है, तो इस अंतिम ईआईए के लिए बजट आवंटन होगा।

10 http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/pub_hear_EIA.pdf

2.2 समय पर हस्तक्षेप

- I. आवेदन जमा करने से पहले
- II. प्रपत्र 1 जमा करने पर
- III. संदर्भ शर्तें जारी करने पर
- IV. लोक सुनवाई की घोषणा करने पर
- V. लोक परामर्श पूर्ण करने और अंतिम ईआईए जमा करने पर
- VI. पर्यावरण समाशोधन जारी करने पर

I. आवेदन-पत्र जमा करने से पहले

नयी परियोजनाएं/विस्तार के बारे में कैसे पता लगाएं

- ◆ समाचार-पत्रों को निरंतर देखना-नयी परियोजनाओं की घोषणाओं के लिए स्थानीय व कारोबार समाचार-पत्र भी देखें।
- ◆ बड़े पैमाने पर भू-अधिग्रहण के बारे में देखें व पूछताछ करें-विशेष रूप से तटीय इलाकों में। मालिक का पता लगायें कि इस भूमि को किस प्रयोजन के लिए खरीदा जा रहा है।
- ◆ यदि किसी विशिष्ट विद्युत कम्पनी के लिए ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित की गई है तो परियोजना या योजना विस्तार की किसी भी घोषणा हेतु ईंधन आपूर्ति कम्पनी और विद्युत उत्पादक की आपूर्ति घोषणा का पता लगाएं और उसकी वेबसाइट की जांच करें।
- ◆ ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कम्पनियां -जैसे एनटीपीसी (<http://www.ntpc.co.in/>) और एनएलसी (<http://www.nlcindia.com/>), जिसके पास कई विद्युत संयंत्र हैं, का अनुसरण करें। नयी परियोजना/विस्तार घोषणाओं के लिए उनकी वार्षिक आम सभा और वेबसाइट को पढ़ें।
- ◆ राज्य ऊर्जा विभाग और बिजली बोर्ड की वार्षिक नीति टिप्पणियों को पढ़ें, जो कि नयी परियोजना/विस्तार की किसी भी योजना के लिए उनकी संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।
- ◆ किसी भी परियोजना घोषणा के लिए निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कम्पनी की वार्षिक आम सभा बैठक प्रक्रिया की जांच करें:

रिलायंस (<http://www.reliancepower.co.in/>), अडानी (<http://www.adanipower.com/>), टाटा पावर (<http://www.tatapower.com/>), लैंको (<http://www.lancogroup.com/>)

आप क्या कर सकते हैं

1. कोई संगठित संस्था या संघ बनायें या उसका भाग बनें ताकि संयंत्र या उसके आपत्तिजनक पहलूओं का विरोध कर सकते हैं। या तो किसी मौजूद समूह का भाग बनें, जैसे किसान/मछुआरा संघ, व्यापार संघ, सक्रिय एनजीओ या संभावित प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का समूह बनायें। स्थानीय लोगों से समर्थन प्राप्त करें और समूह के रूप में अपनी समस्याएं उठावें।
2. ऐसे समूह से जुड़ें जो स्थापित संयंत्र से लड़ रही है ताकि प्रस्तावित संयंत्र/विस्तार का विरोध कर सकते हैं।
3. मौजूद संयंत्र होने पर स्थानीय लोगों को होने वाली समस्याओं की सूची बनायें। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा एमओईएफ/एसपीसीबी को जमा की गई अनुपालन रिपोर्ट एक्सेस करें और इसी स्थिति में किसी तरह की खामियों की जांच करें।
4. अपने वातावरण पर संचयी प्रभाव की गणना कर रिपोर्ट तैयार करें, यदि आपके पड़ोस में पहले से ही अन्य उद्योगों से जनता व प्राधिकरण प्रदूषित हो रही हो।
5. संयंत्र और इसके प्रति अपनी आपत्तियों के बारे में सब मिलकर अपने पंचायत नेता/एमओईएफ को लिखें
6. अपने क्षेत्र की परियोजना के लिए पंचायत नेता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी न करने की प्रार्थना करें, या आपके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर जारी करें।
7. सभी पत्र व डाक की पावती प्राप्त करें

II. प्रपत्र 1 जमा करने पर

दस्तावेज प्राप्त करना

1. प्रपत्र 1 में निम्नलिखित विस्तार पूर्वक वर्णन होंगे:

- ◆ भूमि का वर्तमान प्रयोग
- ◆ सर्वे नम्बर
- ◆ प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग
- ◆ संयंत्र की कार्यप्रणाली

इससे अधिग्रहित की जाने वाली जमीन व इसके आकार सीमा के बारे में जानकारी मिलेगी, संभावित संयंत्र के प्रदूषक तत्व व प्रभाव के बारे में।

2. पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा:

- ◆ गंभीर प्रदूषक तत्व
- ◆ परियोजना आकार
- ◆ लागत
- ◆ पर्यावरण शमन लागत
- ◆ सामाजिक-आर्थिक शमन लागत

आप क्या कर सकते हैं—नये टीपीपी

1. संयंत्र के संभावित पर्यावरण व सामाजिक—आर्थिक प्रभाव के लिए प्रपत्र 1 और पूर्व—व्यवहार्यता रिपोर्ट का अध्ययन करना
2. मिथ्या—कथन या त्रुटि के लिए प्रपत्र 1 की जांच निम्न बिंदुओं पर करें
 - ◆ परियोजना स्थल,
 - ◆ भू—वर्गीकरण
 - ◆ वनस्पति व जीव—जन्तु
 - ◆ जल निकाय
 - ◆ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं
3. पर्याप्त शमन लागत सहित सामाजिक—आर्थिक प्रभाव / समुदाय जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व—व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच करें
4. यदि निर्माण—स्थल स्थितियों का जमीन सत्यापन कराने की जानकारी गलत है तो एमओईएफ को सूचित करें।
5. यह जांच करें कि एमओईएफ वेबसाइट में राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की मासिक मितिगों के कार्यवृत्त से सीआरजेड समाशोधन की जरूरत है, और यदि जरूरत है, तो देखें कि सीआरजेड की सिफारिश की गई है और अनुपालन सीआरजेड मानदण्ड जारी किये गये हैं।
6. यदि मानदण्डों के विरुद्ध सीआरजेड जारी किये गये हैं और एमओईएफ द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मुकदमा दर्ज करें

आप क्या कर सकते हैं—टीपीपी विस्तार

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एमओईएफ / एसपीसीबी को जमा की गई अनुपालन रिपोर्ट एक्सेस करना
2. किसी भी खामियों के लिए मौजूद संयंत्र की ईसी शर्तों की जांच करना
3. ईसी शर्तों में यदि कोई खामियां नजर आती है, तो उनके बारे में पंचायत और एमओईएफ को लिखित में दर्ज करें।

III. संदर्भ शर्तें जारी करने पर

दस्तावेज प्राप्त करना

1. एमओईएफ/एसईआईएए द्वारा जारी टीओआर: टीओआर से संयंत्र के संभावित प्रभाव के बारे में मूलभूत जानकारी मिलती है, और इसके अध्ययन में प्रभाव सीमा का एक्सेस शामिल है।

नोट:—एमओईएफ/एसईआईएए द्वारा टीओआर जारी करने की समय-सीमा 60 दिन है। यदि समय पर कार्यवाही नहीं की जाती है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन संचालन के लिए प्रपत्र 1 के साथ जमा 'प्रस्तावित' टीओआर का प्रयोग किया जा सकता है। टीओआर जारी करने के बाद, ईआईए को तैयार करने में लगभग तीन महिने लगेंगे।

2. एसईएसी/ईएसी मितिग के एजेंडे व कार्यवृत्त में परियोजना पर विशेषज्ञ दृष्टिकोण, परियोजना विकास पर लिये गये निर्णय व सूचना व्यक्त होगी।
3. निर्माण-स्थल दौरा रिपोर्ट में ईएसी/एसईएसी टीम द्वारा निर्माण-स्थल दौरे के दौरान अवलोकित संयंत्र के संभावित प्रभाव के बारे में जानकारी मिलेगी।

आप क्या कर सकते हैं—नये टीपीपी

1. ईएसी/एसईएसी मितिगों का ट्रेक कर पता लगायें कि एमओईएफ/एसईआईएए टीओआर जारी करने के लिए समय-सीमा का पालन कर रही है।
2. जारी किये गये टीओआर उपलब्धता की जांच करें और, यदि उपलब्ध नहीं है, तो एमओईएफ/एसईआईएए वेबसाइट में तुरंत अपलोड करने की मांग करें
3. टीओआर शर्तों में सुझाये गये परियोजना प्रभाव को समझने के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ईआईए तैयारी अवधि का प्रयोग करें और स्थानीय व पड़ोसी लोगों के सहयोग से एकत्रित होकर संयंत्र के प्रदूषक पहलुओं का विरोध करें।
4. टीओआर में प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र की जांच करें और यदि अध्ययन किया गया है तो सत्यापित करें।
5. परियोजना समस्याओं को समझने के लिए निर्माण-स्थल दौरा रिपोर्ट का अध्ययन करें
6. निर्माण-स्थल दौरा रिपोर्ट की समस्याओं के समावेश के लिए जारी टीओआर की जांच करें
7. यदि निर्माण-स्थल दौरा रिपोर्ट की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया है, तो एमओईएफ/एसईआईएए से अनुकूलित टीओआर पुनःजारी करने की मांग करें

आप क्या कर सकते हैं—टीपीपी विस्तार

1. यदि टीओआर में ईसी और सीआरजेड समाशोधन* शर्तों के अनुरूप मौजूद संयंत्र की कार्यप्रणाली को एक्सेस करने की क्रियाविधि शामिल नहीं की जाती है तो **एमओईएफ में याचिका दायर करें**।
 2. ईसी* में अधिनिष्ठ शर्तों के अनुसार **मौजूद संयंत्र अनुपालन का अध्ययन करना**।
- * टीओआर में भस्म कुण्ड का विवरण ओर मौजूद भस्म कुण्ड में और इसके आसपास भारी धातुओं के अध्ययन के लिए कार्य योजना जरूरी होती है।
- ** आरटीआई के अंतर्गत, परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसपीसीबी को प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट, एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट, और एसपीसीबी में जमा वार्षिक पर्यावरण विवरण तथा स्थिति परिचालन स्वीकृति प्राप्त किया जा सकता है।

IV लोक सुनवाई की घोषणा करने पर

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा में जमा **ईआईए प्रारूप रिपोर्ट, ईआईए कार्यकारी संक्षिप्त विवरण की प्रति प्राप्त करें**।

नोट:

- ◆ दोनो दस्तावेजों को, जिस तरह उपलब्ध हो उसी तरह कागजी व इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपी में जमा करना कराना होता है अतः उपलब्ध होंगे।
 - ◆ ईआईए प्रारूप रिपोर्ट में किये गये अध्ययन, प्रयुक्त कार्यप्रणाली, अपनाये जाने वाले शमन उपाय, और सीएसआर के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों का शमन मूल्य होगा।
 - ◆ ईआईए प्रारूप रिपोर्ट में पर्यावरण प्रबंधन योजना में शमन लागत के विश्लेषित आंकड़े के साथ विविध शमन उपायों का निस्तारण होगा।
 - ◆ पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंग के रूप में आपदा प्रबंधन योजना का प्रक्रिया गतिविधि, संचालित किये जाने वाले जोखिमकारक रसायन के प्रकार, आपातकालीन तैयारी व प्रत्युत्तरों के आधार पर उल्लेख किया जाएगा।
2. **टीओआर** (चरण II में एक्सेस किया गया): टीओआर में प्रारंभ में की जाने वाले अध्ययन का उल्लेख किया जाएगा।

आप क्या कर सकते हैं—नये टीपीपी

1. यदि लोक सुनवाई घोषणा, समाचार-पत्र में दिये जाने वाले प्रचार, ईआईए प्रारूप रिपोर्ट उपलब्ध कराने में प्रक्रियागत खामियां हो या परियोजना स्थल से सुनवाई कार्यक्रम स्थल बहुत दूर हो, तो उचित व समय पर संशोधन कराने हेतु अधिनिष्ठ लोक सुनवाई को रोकने के लिए जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट/उपायुक्त को याचिका दायर करें।
 2. यह देखें कि टीओआर सहित ईआईए रिपोर्ट की तुलना में सभी निर्धारित अध्ययनों का उचित सूत्रपात किया गया है।
 3. यह देखें कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निर्दिष्ट प्रारूप की अनुपालन में ईआईए प्रारूप रिपोर्ट के अध्याय अनुक्रम है।
 4. प्रस्तावित शमन उपाय पर्याप्त है, की जांच करने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञ से परामर्श करें।
 5. यदि कोई भी मूल प्राथमिक आंकड़े नहीं है तो एमओईएफ/एसईआईए को तुरंत सूचित करें।
 6. संयंत्र के बारे में अपनी आपत्तियों व समस्याओं लिखकर, क्षेत्रीय जिला पर्यावरण अभियंता को सूचित करें।**
 7. लोक सुनवाई में की जाने वाली आपत्तियों की एक चेकलिस्ट बनायें।
 8. लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों की अत्यधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।
 9. संयंत्र का विरोध या इसके चिंताजनक पहलुओं पर आपत्ति जताने के लिए अपने पंचायत नेता को सम्मिलित करने के लिए निवेदन करें।
 10. यदि लोक सुनवाई में अधिदिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो एमओईएफ/एसईआईए को तुरंत सूचित करें और नवीनतम सुनवाई की मांग करें या एनजीटी के पास पहुंचें।
- * एनजीटी फैसले (विनोद आर. पटैल बनाम गुजरात राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण) के अनुसार, परियोजना प्रस्तावक व ईआईए परामर्शक को प्रारंभिक सामाजिक-आर्थिक डेटा सर्वेक्षण का संचालन करना आवश्यक है।
- * ऐसा लोक सुनवाई की तिथि तक किया जा सकता है। समूह प्रतिनिधि बनाना न भूलें।

आप क्या कर सकते हैं—टीपीपी विस्तार

1. यदि ईआईए प्रारूप रिपोर्ट में मौजूद इकाई की कार्यप्रणाली को सही-सही सूचित नहीं किया गया है तो इसकी जांच करें और इसके बारे में एमओईएफ को तुरंत सूचित करें।
2. स्थानीय समुदाय के सदस्यों से लोक सुनवाई में भाग लेने के लिए निवेदन करें।
3. लोक सुनवाई में मौजूद संयंत्र से हो रही समस्याओं का उल्लेख करें।
4. लोक सुनवाई में अभिव्यक्त समस्याओं के कार्यवृत्त में सुनिश्चित रूप से रिकॉर्डिंग करें

V. लोक सुनवाई पूर्ण करने और अंतिम ईआईए जमा करने पर

दस्तावेज प्राप्त करना

1. एसपीसीबी द्वारा संकलित लोक सुनवाई के कार्यवृत्त
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम ईआईए में प्राप्त और प्रत्युत्तरित लिखित प्रत्युत्तर।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अंतिम ईआईए व संशोधित परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट*
4. ईआईए की टीओआर अनुपालन पर एमओईएफ/एसईआईए को रिपोर्ट: एमओईएफ/एसईआईए रिपोर्ट में अंतिम ईआईए की यदि कोई कमियां हैं, तो उन्हें प्रकट करें। इसे ईसी स्वीकृत होने पर लोगों की सहायता से याचिका दर्ज की जा सकती है।
5. परियोजना से संबंधित ईएसी/एसईएसी मिटिंग का कार्यवृत्त

*अंतिम ईआईए में लोक परामर्श की जन समस्याओं का उल्लेख व निस्तारण किया जाएगा। संशोधित परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट में अतिरिक्त गतिविधियां और सुनवाई के समय उठाये गये मुद्दों सहित पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए किये गये बजट आवंटन को शामिल किया जाएगा।

आप क्या कर सकते हैं

1. लोक सुनवाई में लोगों की समस्याओं की उचित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करना।
2. लोक सुनवाई कार्यवृत्त में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदत्त प्रत्युत्तरों की लोक परामर्श रिपोर्ट से तुलना करें।
3. लोक सुनवाई कार्यवृत्त और लिखित प्रत्युत्तरों की अंतिम ईआईए से तुलना करें और सत्यापित करें कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक समस्याओं का निस्तारण किया गया है।*

4. यह देखें कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई कार्यवृत्त और लिखित प्रत्युत्तर में दर्ज अतिरिक्त शमन उपायों को सम्मिलित करने के लिए गंभीर योजना बनायी है, को सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट में अतिरिक्त उपायों को शामिल किया गया है और इसके लिए फंड आवंटित किया गया है।
 5. अंतिम व प्रारूप ईआईए रिपोर्ट की तुलना करें और यदि कोई विसंगतियां दिखाई दें तो इसके बारे में एमओईएफ/एसईआईए को सूचित करें।**
 6. लोक सुनवाई रिपोर्ट की जांच करें और यदि जन समस्याओं में चूक की जाती है तो एमओईएफ को सूचित करें।
 7. समिति द्वारा उठाये गये मुद्दे और परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये उपयुक्त प्रत्युत्तर के लिए ईएसी/एसईएसी मिटिंग के कार्यवृत्त का निरीक्षण करें।***
 8. ईएमपी अध्याय, ईआईए प्रारूप रिपोर्ट और अंतिम ईआईए रिपोर्ट में शमन उपाय व संबंधित लागत के विश्लेषण-विवरण की जांच करें।****
 9. सहमत सीएसआर उपाय, संबंधित लागत और क्रियान्वयन योजना की जांच करना और इनके त्वरित क्रियान्वयन की मांग करना।
 10. संभावित आपातकालीन और तैयारी के "लोक प्रकाशन" की मांग करना।
- * अंतिम ईआईए में शमन उपाय आवंटन व लागत सहित जन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है।
 - ** अंतिम ईआईए के मूलाधार आंकड़ों में कोई भी नवीन या अतिरिक्त अध्ययन को न तो जोड़ा गया है और न ही परिवर्तन किया गया है।
 - *** प्रस्तावक की तरफ व्यक्त पूर्वाग्रहग्रस्त ईएसी/एसईएसी का अवलोकन के आधार पर स्थानीय समुदाय एमओईएफ को लिखकर या एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की जा सकती है।
 - **** ईआईए प्रारूप रिपोर्ट से अंतिम ईआईए रिपोर्ट तक शमन उपाय व लागत में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए।

VI. पर्यावरण समाशोधन जारी करने पर

दस्तावेज प्राप्त करना

1. एमओईएफ/एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरण समाशोधन*
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एमओईएफ/एसईआईएए को प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट
3. एसपीसीबी की निरीक्षण रिपोर्ट
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, एसपीसीबी व एमओईएफ को प्रस्तुत वार्षिक फ्लाइ ऐश उपयोगिता रिपोर्ट
5. एसपीसीबी द्वारा जारी 'स्थापन स्वीकृति' और 'परिचालन स्वीकृति'

*ईसी में निर्दिष्ट शर्तें, एमओईएफ के मुद्दें व बाधाएं/शमन के लिए सूचक उपायों के संकेतक हैं। संयंत्र निगरानी के लिए ये मुख्य क्षेत्र हो सकते हैं।

आप क्या कर सकते हैं

1. यदि स्थानीय समुदाय कारण सहित यह मानते हैं कि ईसी जारी नहीं किया जाना चाहिए तो एनजीटी में याचिका दर्ज करें।*
2. यदि निरीक्षण व अनुपालन रिपोर्ट में ईसी शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो एमओईएफ को सूचित करें और जरूरत पड़ने पर एनजीटी में याचिका दर्ज करें।
3. यदि एसपीसीबी द्वारा जारी 'स्थापन-स्वीकृति की शर्तें मेल नहीं खाती है या ईसी शर्तें में कोई चूक नजर आती है तो इसके लिए एमओईएफ, इसके क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करें और एसपीसीबी में शिकायत दर्ज करें।

* पहले के चरणों में हुई प्रक्रियात्मक खामियां ही याचिका दर्ज करने का आधार होंगे।

2.3 विद्युत संयंत्र के विरुद्ध सफल हस्तक्षेप

2.3.1 सोम्पेटा तापीय विद्युत संयंत्र

विनिर्देशन	विद्युत संयंत्र विवरण
विद्युत संयंत्र का नाम	सोम्पेटा तापीय विद्युत संयंत्र
स्थान	सोम्पेटा, श्रीकाकुलम, आंध्रप्रदेश
परियोजना प्रस्तावक	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी (एनसीसी)
संयंत्र क्षमता	2640 मेगावाट
विरोध के लिए कारण	<ul style="list-style-type: none"> ◆ प्रवासी पक्षियों के लिए आद्रभूमि व घोंसला आवास में संयंत्र स्थल ◆ ईआईए में तथ्यों का गलत-प्रस्तुतीकरण ◆ लोक सुनवाई से पहले ईआईए रिपोर्ट का एक्सेस न करना
परिणाम	मई 2012 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा परियोजना को स्थानांतरण का कारण बताकर, समाशोधन बर्खास्त किया गया

वर्ष 2008 में, आंध्रप्रदेश राज्य सरकार द्वारा नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी को सोम्पेटा, आंध्रप्रदेश में 2,640 मेगावाट क्षमता का तापीय विद्युत संयंत्र निर्माण करने की अनुमति दी गई।

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा प्रथम उद्घरण में यह कहते हुए संदर्भ शर्तें जारी नहीं की हैं कि परियोजना स्थल में दलदल जमीन को सम्मिलित किया गया है, और परियोजना प्रस्तावक से सीआरजेड विनियमों के अनुरूप कीचड़दार जमीन से दूर वैकल्पिक स्थल का पता लगाने के लिए कहा गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएसी को यह सूचना दी गई कि परियोजना स्थल न तो आद्रभूमि है और न ही सीआरजेड क्षेत्र में आता है और इसके द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सूचना त्रुटियों पर आधारित थी। ईएसी उप-समिति द्वारा किये गये निर्माण-स्थल दौरा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि परियोजना क्षेत्र शुष्क व कृषि भूमि थी। निर्माण-स्थल दौरा रिपोर्ट के आधार पर, परियोजना प्रस्तावक से विशिष्ट 400 एकड़ क्षेत्र को निकालने की मांग करते हुए मई 2009 में टीओआर जारी किया गया। अगस्त में लोक सुनवाई का संचालन किया गया, और दिसम्बर में एमओईएफ द्वारा पर्यावरण समाशोधन स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात, 2010 के प्रारंभ में, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलिय प्राधिकरण (एनईएए) में समाशोधन के विरुद्ध याचिका दर्ज की गई थी।

परियोजना में दलदली भूमि अधिग्रहण सम्मिलित करने के कारण, वहां के निवासीगण इस परियोजना के बारे में जागरूक हो गये। प्रारंभ में उनकी समस्याओं को क्षेत्रीय एनजीओ, पर्यावरण परीक्षण समिति (पीपीएस) द्वारा उठाया गया, इसके लिए उन्होंने एसपीसीबी, क्षेत्रीय एमओईएफ कार्यालय और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। लोक सुनवाई संयंत्र का विरोध करने के लिए लोगों को भारी बहुमत जुटाने के लिए कहा जाता है। जमीन प्रकार से संबंधित गलत तथ्यों के बारे में ही लोगों की प्राथमिक आपत्ति थी।

सरकारी भूमि को कम्पनी से अलग करने के बारे में श्रीकाकुलम के कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकारी द्वारा एनसीसी को जमीन आवंटित की गई। इसमें कृषि भूमि और तटीय नियमन क्षेत्र में

आने वाली 44.6 हैक्टेयर जमीन को निकाल दिया गया था। वर्ष 2009 के बाद में, एक अन्य आदेश के माध्यम से, इन्हें कम्पनी को आवंटित किये जाने वाले क्षेत्र में शामिल किया गया था। कलेक्टर की रिपोर्ट वहां परिचालित तीन लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का खुलासा करने में असफल रही। इस तथ्य के बावजूद वर्ष 2003 में, सरकार द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश जारी किया कि वे जल निकाय वाली सभी जमीन को गांव 'निषेधात्मक आदेश पुस्तिका' में शामिल करें ताकि इस तरह की जमीन को विपथन व नुकसान से अलग किया जा सकता है। कलेक्टर की रिपोर्ट में इस तथ्य को दबा दिया गया और यह विवादास्पद जमीन को "बंजर भूमि" और "गैर-कृषि योग्य" जमीन के रूप में उल्लेख किया, ताकि इसे एनसीसी को आवंटन करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

इस परियोजना स्थल में ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आकर बसते और पालन-पोषण करते थे, जिसने इस क्षेत्र का पिछले छः महिने से दौरा किया और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम (ईपीए), 1986 के अधीन आद्रभूमि में कोई भी औद्योगिक गतिविधि नहीं की जा सकती है।

यदि यह परियोजना-लागू हो गई- तो किसान व मछुआरों दोनों का बसेरा गांव रूशिकुद्धा, गोलगुंदा, बारुवपेटा और बेंकिली प्रभावित होंगे।

स्थानीय लोगों इस परियोजना के लिए जारी किये समाशोधन का यह दावा करते हुए विरोध किया कि यह समाशोधन भ्रामक तथ्यों पर स्वीकृत की गई थी। पीपीएस ने पर्यावरण समाशोधन के विरुद्ध यह दावा करते हुए याचिका दायर की कि इसे ईआईए में भ्रामक तथ्यों के आधार पर स्वीकृत किया गया था।

इसी बीच, जुलाई 2010 में, परियोजना प्रस्तावक ने भूमि-अधिग्रहण करना प्रारंभ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप एक तरफ परियोजना प्रस्तावक और पुलिस तथा दूसरी तरफ हजारों ग्रामीणों के बीच लड़ाई छिड़ गई। स्थानीय पुलिस ने किसानों व मछुआरों पर गोली चलाकर, दो मछुआरों को मार दिये। इसके अतिरिक्त, 45 पुलिस सहित 150 लोग घायल हुए।

पुलिस फायरिंग के दो दिन बाद, एनईएए ने यह कहते हुए परियोजना के लिए प्रदत्त पर्यावरण समाशोधन को रद्द कर दिया कि:

"निरीक्षण करने पर, प्राधिकरण को पता चला है कि यह जमीन विशाल पारिस्थितिकी महत्व की विशिष्ट आद्रभूमि है और निकटतम गांवों के लिए जलस्रोत है जिस पर सरकार की तीन महत्वपूर्ण लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं निर्भर करती है। ईएसी की उप-समिति सहित विभिन्न रिपोर्ट में इसे भ्रामक बताया गया", (पैरा-6) और "प्राधिकरण का कोई संदेह नहीं है कि विवादास्पद क्षेत्र, विशाल पारिस्थितिकी महत्व की विशिष्ट आद्रभूमि है और कोई भी कानून इसे विद्युत संयंत्र के लिए रोक लगाने के बावजूद, इस प्रयोजन के लिए प्रयोग की अनुमति नहीं देगी" (पैरा-9)।"

एनईएए आदेश का पालन करते हुए, परियोजना प्रस्तावक ने छः समीक्षा याचिका दायर की, जिसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया। मई 2012 में, एनजीटी द्वारा परियोजना को जारी किये गये समाशोधन को स्थगित कर दिया गया।" न्यायपीठ यह टिप्पणी की कि टीओआर जारी करने से पहले मूलाधार आंकड़े एकत्रित किये गये थे,

11. <http://epaper.timesofindia.com/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Archive&Source=Page&Skin=E-TNEW&BaseHref=ETD/2012/05/24&PageLabel=17&EntityId=Ar01702&ViewMode=HTML>

और ईआईए रिपोर्ट में कई सर्वे के समय का उल्लेख नहीं किया गया था। अधिकरण ने यह टिप्पणी की कि लोक सुनवाई प्रक्रिया में, लोगों को परियोजना की जानकारी से वंचित रखा गया था क्योंकि ईआईए रिपोर्ट तक पहुंच नहीं थी। इन टिप्पणियों के आधार पर, एनजीटी ने कहा कि परियोजना के लिए इसी स्थगित रहेगी।¹² इसी बीच, परियोजना प्रस्तावक कम्पनी ने घोषणा की कि परियोजना पुनः कृष्णापट्टनम में स्थानांतरित कर दिया गया है।¹³

2.3.2 चेल्लीनाद पॉवर प्लांट

विनिर्देशन	विद्युत संयंत्र विवरण
विद्युत संयंत्र का नाम	चेल्लीनाद पॉवर प्लांट
स्थान	तारांगामबाड़ी तालुक, नागपट्टनम जिला, तमिलनाडु
परियोजना प्रस्तावक	चेन्नई पॉवर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
संयंत्र क्षमता	1320 मेगावाट (मूल प्रस्तावित क्षमता 1200मेगावाट)
विरोध का कारण	<ul style="list-style-type: none"> ईआईए प्रारूप में उल्लेखित टीओआर शर्तों का पालन न करना टीओआर देने से पहले और लोक सुनवाई के बाद मूलाधार आंकड़े का चयन प्रारूप व अंतिम ईआईए के बीच अंतर
परिणाम	एनजीटी द्वारा समाशोधन को स्थगित कर दिया गया, जिसे बाद में अतिरिक्त शर्तों के साथ पुनःजारी किया गया; एनजीटी फैसले में भी लोक सुनवाई आयोजित करने का सुझाव दिया गया।

परियोजना प्रस्तावक ने अक्टूबर 2009 में आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया, जिसके लिए ईआईए अध्ययन हेतु संदर्भ शर्तें जनवरी 2010 में जारी की गईं। तत्पश्चात, अप्रैल 2010 में ईआईए प्रारूप जमा की गईं, और मई में लोक सुनवाई आयोजित की गई थी।

नागपट्टनम में परियोजना प्रस्तावित की गई, जहाँ इस तरह की कई परियोजनाएं समाशोधन के लिए व्यवस्थित थीं। एनजीओ, नेटवर्क, कोस्टल एक्शन नेटवर्क (सीएएन) ने लोक सुनवाई कार्यक्रम स्थल को बदलने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका दर्ज की गई, क्योंकि प्रस्तावित परियोजना ऐसे संयंत्र परिसर के अंतर्गत थी जहाँ उन्हें परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी गई धमकी का डर था। न्याय खण्डपीठ ने प्रतिभागियों के लिए परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए परियोजना प्रस्तावक को निर्देश देते हुए, निर्धारित समय व कार्यक्रम स्थल पर सुनवाई संचालित करने की अनुमति दी। उन्होंने सुनवाई का निरीक्षण करने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति की भी घोषणा की।

घोषित तिथि पर सुनवाई आयोजित हुई, और परियोजना के ईएसी मूल्यांकन के बाद जनवरी 2011 में पर्यावरण समाशोधन जारी किया गया।

घोषित तिथि पर सुनवाई आयोजित हुई, और परियोजना के ईएसी मूल्यांकन के बाद जनवरी 2011 में पर्यावरण समाशोधन जारी किया गया।

¹² <https://www.elaw.org/system/files/SompetaJudgment.pdf>

¹³ http://www.infrawindow.com/news/national-green-tribunal-cancels-clearances-to-sompeta-powerproject_3502/

कोस्टल एक्शन नेटवर्क ईआईए प्रक्रिया में परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई कई प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से अनुरोध किया। सीएएन ने दावा किया कि ईआईए प्रारूप की तुलना में अंतिम ईआईए में कई रूपांतरण/संशोधन किये गये थे और परियोजना क्षेत्र को गलत तरीके से अर्द्ध-शुष्क उल्लेख किया गया। सरकारी रिकॉर्ड से यह निष्कर्ष निकला कि प्रस्तावित जमीन 'आद्रभूमि' थी। सीएएन ने दावा किया कि परियोजना से क्षेत्रीय कृषि गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

प्रारूप व अंतिम ईआईए विसंगतियों की टिप्पणियों को सत्यापित करने के लिए, एनजीटी की प्रमुख न्यायपीठ ने एमओईएफ से ईआईए प्रारूप प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया। मंत्रालय ने जवाब दिया कि इस दस्तावेज के कोई रिकॉर्ड नहीं है। अपीलार्थी द्वारा जमा ईआईए प्रारूप प्रतिलिपी का प्रयोग करते हुए, न्यायपीठ ने यह टिप्पणी की कि ईआईए प्रारूप की तुलना में अंतिम ईआईए रिपोर्ट का रूपांतरित या आंशिक संशोधन किया गया था।

1. परिवार का नाम और प्रदत्त क्षतिपूर्ति/किया जाने वाला प्रति एकड़ जमीन भुगतान विवरण सहित जमीन अधिग्रहण का पूरा विवरण प्रदान नहीं किया गया था।
2. सीएसआर संघटक-बजट सहित संकल्पना प्रस्ताव, ईआईए प्रारूप का भाग नहीं है।
3. समुद्री पारिस्थितिकी पर विस्तृत अध्ययन- दोनों ईआईए रिपोर्ट में सिर्फ प्रबंधन योजना व बजट के बिना सामान्य कार्यकारी संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया था।
4. परिवेशी वायु गुणवत्ता-पीएम2.5 और एचीजी के डेटा, ईआईए रिपोर्ट में मौजूद नहीं थे।
5. ईंधन विश्लेषण-भारी धातु के डेटा ईआईए प्रारूप में मौजूद नहीं थे।

हालांकि, न्यायपीठ यह माना कि इन विसंगतियों से पर्यावरण पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यह टिप्पणी दी कि सिर्फ प्रक्रियात्मक खामियां ही पर्यावरण समाशोधन स्वीकृति को रद्द करने का कारण नहीं हो सकती है। न्यायपीठ द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी:

- ◆ टीओआर जारी करने से पहले स्थलीय पारिस्थितिकी मूलाधार आंकड़ें एकत्रित किये गये थे और जिसमें इसकी पूरी तरह पालन नहीं की गई थी। अंतिम ईआईए रिपोर्ट में अपडेट/रूपांतरित डेटा को ईएसी मूल्यांकन के लिए प्रयोग नहीं किया गया था।
- ◆ यद्यपि टीओआर में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रिपोर्ट आवश्यक थी, फिर भी ईआईए रिपोर्ट में प्रासंगिकता व तथ्यात्मक सामग्री से रहित अत्यंत सामान्य कार्यकारी संक्षिप्त रिपोर्ट प्रदान की गई। यह लोक सुनवाई या आगामी ईएसी मूल्यांकन के समय उपलब्ध नहीं थी।
- ◆ दोनों ईआईए में ओलिव रिडले टर्टल्स की उपस्थिति के बारे में प्राथमिक या द्वितीयक आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन तमिलनाडु मत्स्य विभाग की रिपोर्ट में परियोजना स्थल को पक्षी आवास क्षेत्र बताया।

◆ परियोजना प्रस्तावक ने ईआईए में स्वदेशी व आयातित कोयला मिश्रण के प्रयोग का विरोध किया, लेकिन ईएसी को परियोजना प्रस्तुत करते समय, परियोजना प्रस्तावक ने सिर्फ आयातित कोयला प्रयोग का उल्लेख किया। ईसी में 34 प्रतिशत भस्म मान सहित कोयला प्रयोग का वर्णन किया—इसमें पूरी तरह स्वदेशी कोयले (जिसका भस्म मान 30 प्रतिशत है) का प्रयोग किया जा सकता है, जिसका वायु गुणवत्ता का प्रभाव आयातित कोयले से अलग होगा।

- ◆ ईआईए ने निर्माण चरण में जल स्रोत का उल्लेख नहीं किया।

इन टिप्पणियों का पालन करते हुए, न्यायपीठ द्वारा अंतिम ईआईए रिपोर्ट में स्थलीय व समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र दोनों अद्यतन किये जाने तक परियोजना के लिए पर्यावरण समाशोधन को स्थगित करने का आदेश दिया। अद्यतन की गई ईआईए को एमओईएफ वेबसाइट पर अपलोड करने और आपत्तियाँ/सुझावों को स्पष्ट करने का आदेश दिया।

ईएसी से लोक प्रतिक्रिया सहित परियोजना मूल्यांकन करने, और एमओईएफ वेबसाइट पर ईसी जारी करने पर इसकी अनुशंसा अपलोड करने की मांग की।¹⁴

परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित ईआईए प्रस्तुत करने पर, ईएसी ने यह समीक्षा की कि इसमें एनजीटी द्वारा निर्दिष्ट सभी शर्तों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने दीर्घकालीन कछुए संरक्षण सहित ओलिव रिडले टर्टल्स पर परियोजना प्रस्ताव अध्ययन को जमा करने की मांग की। परियोजना प्रस्तावक संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधित ईआईए रिपोर्ट—उल्लेखित ईएसी को प्रमाणित शपथ—पत्र जमा की जाएगी। शपथ—पत्र जमा करने पर, मूल समाशोधन में प्रदत्त शर्तों के अलावा समाशोधन में तेरह निर्धारित अतिरिक्त शर्तें जारी की गईं।

“ लोक सुनवाई पर एनजीटी

हमारे विचार में आये कई मामलों की विडियों सीडी देखने पर, हमें लोक सुनवाई दिखावटी लगी। “सहयोग” या “विरोध” की मामूली रिकॉर्डिंग को छोड़कर पीएच निरर्थक है। ”

14 <http://www.indiankanoon.org/doc/5723251/>

2.4 एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

2.4.1 सामान्य

2.4.2 नये संयंत्र के लिए पर्यावरण समाशोधन व ईआईए प्रक्रिया

2.4.3 मौजूद संयंत्र

2.4.4 अन्य समाशोधन

2.4.5 प्रतिकार

2.4.1 सामान्य

2.4.1 (अ) उद्योग वर्गीकरण

प्र: उद्योगों में टीपीपी का किस तरह वर्गीकरण किया गया है?

उ: पर्यावरण व वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने टीपीपी को 17 लाल संवर्ग उद्योगों में से एक माना है। लाल संवर्ग का मतलब भारी प्रदूषक उद्योग है।

ईसी प्राप्त करने के लिए:

◆ संवर्ग क परियोजनाएं हैं:

≥ 500 मेगावाट कोयला / लिग्नाइट / केरोसिन और गैस आधारित ईंधन

≥ 50 मेगावाट रिफायनरी अवशिष्ट तेल अपशिष्ट पदार्थ (बायोमास को छोड़कर) सहित पेटकोक, डिज़ल और अन्य सभी ईंधन

≥ 20 मेगावाट ईंधन के रूप में बायोमास आधारित या जोखिमरहित एमएसडब्ल्यू (नगरीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ)

◆ संवर्ग ख परियोजनाएं हैं:

< 500 मेगावाट कोयला / लिग्नाइट / केरोसिन और गैस आधारित ईंधन

< 50 मेगावाट या ≥ 3 मेगावाट रिफायनरी अवशिष्ट तेल अपशिष्ट पदार्थ (बायोमास को छोड़कर) सहित पेटकोक, डिज़ल और अन्य सभी ईंधन

< 20 मेगावाट या ≥ 15 मेगावाट बायोमास आधारित या जोखिमरहित एमएसडब्ल्यू (नगरीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ)

2.4.1 (ख) संयंत्र स्थापना

प्र. समुद्री तट के साथ टीपीपी के विस्तार क्यों?

उ: समुद्री तट के साथ-साथ संयंत्र अनुबंध करने से परियोजना प्रस्तावक को दो महत्वपूर्ण लाभ होते हैं:

1. बंदरगाह और बंदीघाटों के माध्यम से आयातित कोयले का आसान परिवहन।

2. शीतलन और बॉयलर-फीड जल उत्सर्जन के लिए निर्माण-स्थल समुद्री जल अलवणीकरण प्रौद्योगिकी हेतु समुद्री जल को आसानी से उपलब्ध करना। इसमें तापीय विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए ताजे जल की जरूरतों में कमी आती है।

प्र. क्या ऐसी जगह का कोई विनियमन है जहाँ टीपीपी स्थित किया जा सकता है?

उ. हाँ। टीपीपी स्थित करने के लिए तीन मापदण्ड समूहों को अवलोकन किया जाता है। जो इस प्रकार है:

1. ईआईए अधिसूचना, 2006 में सूचीबद्ध मापदण्ड
2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (सीपीसीबी) के औद्योगिक निर्दिष्ट दिशानिर्देश
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निर्दिष्ट नियम

ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईए) द्वारा प्रदत्त 500 मेगावाट से कम क्षमता के टीपीपी-को 10 किमी. के दायरे में स्थित करने के लिए एमओईएफ से समाशोधन की मांग करनी होगी यदि:

- ◆ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र
- ◆ केन्द्र प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर अधिसूचित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र
- ◆ अधिसूचित पारिस्थितिकी रूप से गंभीर क्षेत्र
- ◆ अंतर-राज्य परिसीमा और अंतर्राष्ट्रीय परिसीमा

अक्टूबर 2013 के अनुसार, सीपीसीबी द्वारा निम्नलिखित जगह को गंभीर रूप से प्रदूषित चिन्हित किया गया:

- ◆ अंकलेश्वर (गुजरात)
- ◆ चन्द्रापुर (महाराष्ट्र)
- ◆ पाली (राजस्थान)
- ◆ वातवा (गुजरात)
- ◆ वेल्लोर (तमिलनाडु)
- ◆ नजफगढ़ ड्रेन बेसिन (दिल्ली)
- ◆ जोधपुर (राजस्थान)

इन क्षेत्रों में टीपीपी स्थापित नहीं की जा सकती है।

इन क्षेत्रों के अतिरिक्त, राज्य सरकारों के पास ऐसे स्थानों की भी सूची है जहाँ विकास गतिविधियाँ प्रतिबंधित है।

तमिलनाडु एसपीसीबी द्वारा प्रमुख नदियों (निम्नलिखित लिंक में उल्लेखित) के भराव क्षेत्र के 1 किमी क्षेत्र और कावेर और इसकी सहायक नदियाँ, पेनियार, पलार, वेगाई और ताम्राबारानी के भराव क्षेत्र से 5 किमी क्षेत्र के अंतर्गत गंभीर रूप से प्रदूषित उद्योगों (जिसमें टीपीपी शामिल है) को प्रतिबंध करने का ऑर्डर पारित किया।

आंध्रप्रदेश एसपीसीबी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उद्योग निर्माण-स्थल की सीमा और राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा के बीच की दूरी 100 मीटर, राज्य राजमार्ग-50मी. और ग्रामीण सड़क-25मी. होगी। हालांकि ये दिशानिर्देश औद्योगिक भूसंपत्ति में स्थित भूखण्डों के लिए लागू नहीं होगी।¹⁵

कर्नाटक में, निम्नलिखित नदियों के तटबंध (भराव क्षेत्र) से 1.5 किमी. के अंतर्गत कोई भी नये उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकते हैं।

- ◆ कावेरी, काबिनी, अर्कावती शिम्सा, पेन्नार, हेमावती, लक्ष्मणतीर्थ, गुंडल नदी, लोकापावनी, पलार, थुंगभद्र, कृष्णा, वरदा, घाटप्रभा, महाप्रभा, वेदावती, कारंजा, हागरी
- ◆ सभी पश्चिमी प्रवाहित झरने/नदियां
- ◆ मौसमी या सदाबहार सभी झरने/नदियां
- ◆ सभी प्रमुख बांध
- ◆ सतह पेयजल स्रोत
- ◆ सभी प्रमुख सिंचाई नहरें
- ◆ यदि कोई भी जल निकाय, पेयजल का स्रोत है, तो जहाँ प्रदूषक तत्वों का बहाव, पेयजल को प्रभावित न करें, वहाँ उद्योग स्थापित किया जाएगा।
- ◆ टीपीपी को नगरपालिका/शहरी सीमा और आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

निर्दिष्ट दिशानिर्देश के बारे में अधिक जानकारी के लिए, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संपर्क करें।

प्र. सीईपीआई (व्यापक पर्यावरण प्रदूषण निर्देशिका) क्या है? यह टीपीपी स्थान को कैसे प्रभावित करती है?

उ: सीईपीआई एक संख्या होती है जो प्रदूषण स्थान की पर्यावरण गुणवत्ता के लिए चिन्हित किया जाता है। सीपीसीबी द्वारा समय-समय पर सीईपीआई अंकों की गणना की जाती है ताकि उनकी वायु, जमीन और पानी का निरीक्षण करने से गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र और औद्योगिक समूहों को पहचाना जा सकता है।

सीईपीआई ऐसे क्लस्टर को पहचानने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जहाँ औद्योगिक विकास गतिविधियों को उनके प्रदूषण स्तर के कारण प्रतिबंधित किया गया है। वर्ष 2010 में, यदि परियोजनाओं को 43 गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित किये गये, तो एमओईएफ द्वारा ईसी के लिए परियोजना विचार पर पाबंदी लगा दी। इन नम्बरों को सितम्बर 2013 तक 7 क्लस्टर तक कम कर दिया गया। जिस जगह पर पाबंदी लगा दी है वहाँ टीपीपी स्थित नहीं किये जा सकते हैं।

15 <http://www.appcb.ap.nic.in/cm/siting.htm>

16 <http://kspcb.gov.in/sitingguidelines.html>

2.4.1 (ग) कोयला परिवहन

प्र. आमतौर पर कोयले को बंदरगाह से विद्युत संयंत्र तक कैसे पहुंचाया जाता है?

उ: सड़क, रेल या बंद वाहक पट्टे के माध्यम से। यदि कोयले को पहुंचाने के लिए लम्बी दूरी तय करनी होती है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्माण—स्थल तक रेल परिवहन की संभावना पर विचार किया जा सकता है। स्रोत पर साइलो/वाहक पट्टे के माध्यम से माल—डिब्बा लदाई को महत्व दें।

2.4.2 नये संयंत्र के लिए पर्यावरण समाशोधन और ईआईए प्रक्रिया

2.4.2 (क) लोक परामर्श प्रक्रिया

लोक परामर्श प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी का अध्याय देखें

2.4.2 (ख) पर्यावरण समाशोधन से पहले

प्र. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईसी से पूर्व परियोजना भूमि से संबंधित कौनसी गतिविधियां चालू की जा सकती हैं?

उ: एमओईएफ परिपत्र के अनुसार ईसी से पूर्व अनुमत गतिविधियां¹⁷:

- ◆ अतिक्रमण से बचाने के लिए निर्माण—स्थल की तारबंदी करना
- ◆ अस्थायी गार्ड शेड का निर्माण

प्र: आमतौर पर संयंत्र के लिए ईसी प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

यह संयंत्र आकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर आवेदन दाखिल करने के बाद संयंत्र के लिए ईसी प्राप्त करने में 1 से 1 1/2 वर्ष का समय लगता है। ईआईए अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित समयबद्ध गतिविधियां हैं:

ईसी निर्गमन (जारी करना): प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अंतिम ईआईए से 135 दिन में ईसी जारी की जाती है।

2.4.2 (ग) कोयला मिश्रण व कोयला संयोजन

प्र. यदि ईसी प्राप्त संयंत्र के लिए विशिष्ट कोयला मिश्रण में परिवर्तन करना है तो परियोजना प्रस्तावक को क्या करना होगा?

उ: परियोजना प्रस्तावक द्वारा नये ईंधन मिश्रण के लिए नवीन ईसी हेतु आवेदन करना होता है। (ईआईए अधिसूचना में निर्दिष्ट [2 (iii)])

¹⁷ <http://envfor.nic.in/downloads/public-information/Act-prior-EC.pdf>

प्र: क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईसी प्राप्त करने से पहले कोयला संयोजन किया जा सकता है?

उ: हाँ! वास्तव में, ईसी स्वीकृत करने के लिए पूर्व आवश्यकता होती है। संबंधित कोयला खदान या कोयल ब्लॉक स्रोत के वन व पर्यावरण समाशोधन स्थिति—को भी ईआईए में उल्लेख करना होगा। यदि आयातित कोयले का प्रयोग करना है, तो ईआईए में कोयला आपूर्तिकर्ता और परियोजना प्रस्ताव के बीच एमओयू शामिल करना आवश्यक है¹⁸।

कोयला मंत्रालय स्थायी संयोजन समिति या ईंधन आपूर्ति अनुबंध द्वारा प्रदत्त विशिष्ट खदान, बास्केट ऑफ माइन्स या समर्पित कोयला ब्लॉक के माध्यम कोयला संयोजन हो सकता है।

प्र: यदि ईसी कोयला गुणवत्ता/प्रकार (अर्थात्. कोयला मापदण्ड), जारी किये गये ईसी के तथ्यों अलग है, तो परियोजना प्रस्तावक को क्या करना होगा?

यदि कोयला मानदण्ड परिवर्तित हो गया है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बात के बारे में एमओईएफ को सूचित किया जाएगा, जिसके द्वारा आवश्यकतानुसार नये व अतिरिक्त शर्तों का मूल्यांकन व सम्मिलन किया जाएगा।

2.4.2 (ईआईए प्रक्रिया में लोक प्राधिकरण)

प्र: (घ)ईसी प्रक्रिया में कौनसे लोक प्राधिकरण/सरकारी कार्यालय सम्मिलित किये जाते हैं?

उ: एमओईएफ और एसईआईए ही ईसी जारी करने वाली विनियामक प्राधिकरण है। एमओईएफ द्वारा संवर्ग ए परियोजना के लिए समाशोधन प्रदान किये जाते हैं, जबकि एसईआईए द्वारा संवर्ग बी परियोजना के लिए समाशोधन जारी किया जाता है।

एमओईएफ के लोक परामर्श को संचालित करने का कार्य और लोक परामर्श रिपोर्ट को जमा करने की जिम्मेदारी एसपीसीबी को दी जाती है।

प्र: क्या एसईआईए राज्य या केन्द्र सरकार की निकाय है?

उ: यह केन्द्र सरकार की निकाय है! फिर भी, संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसके सदस्य सचिव और अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। सदस्य सचिव को संबंधित राज्य सरकार का सेवारत अधिकारी होनी चाहिए।

2.4.2 (ई) क्षेत्रीय भाषा में दस्तावेज उपलब्ध कराना

प्र: ईआईए प्रक्रिया के कौनसे दस्तावेजों को अंग्रेजी के अतिरिक्त क्षेत्रीय (स्थानीय)भाषा में उपलब्ध कराना होगा?

उ: ये दस्तावेज हैं:

1. लोक सुनवाई के आगे, कार्यकारी ईआईए का संक्षिप्त विवरण

¹⁸ <http://moef.nic.in/downloads/public-information/Coal-blocks.pdf>

2. जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों और परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाबों का विवरण। इसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एकत्रित किया जाता है।

2.4.2 (च) निर्माण—स्थल दौरा

प्र: परियोजना स्थल के किसी भी सर्वे या अध्ययन के लिए दौरा कौन करेगा?

उ: मान्यताप्राप्त ईआईए परामर्श द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल व इसके निकटतम क्षेत्रों के सर्वे का संचालन किया जाएगा। एनजीटी ऑर्डर 19 के अनुसार, ईआईए परामर्शक द्वारा क्षेत्र के सामाजिक—आर्थिक डेटा के बारे में कुछ प्राथमिक सामग्री एकत्रित की जाएगी और परियोजना क्षेत्र के लोगों की मूलभूत जरूरतों को समझने के लिए प्रारंभिक सर्वे क्रियान्वित किया जाएगा ताकि पर्यावरण प्रबंधन योजना बनायी जा सकें।

टीओआर द्वारा ईआईए सर्वे के लिए परियोजना स्थल की निकटतम दूरी तय की जाएगी।

प्र: ईएसी/एसईएसी सदस्यों द्वारा निर्माण—स्थल का दौरा कब किया जा सकता है?

उ: ईएसी/एसईएसी की उप—समिति द्वारा ईसी प्रक्रिया के किसी भी चरण पर निर्माण—स्थल का दौरा किया जा सकता है। सामान्य रूप से इसे टीओआर जारी करने से पहले और/या ईआईए प्रारूप जमा करने के बाद किया जाता है।

2.4.2 (छ) संदर्भ शर्तें (टीओआर)

प्र: टीओआर और ईआईए सीमा कौन तैयार करता है?

उ: ईएसी/एसईएसी

ईएसी/एसईएसी द्वारा जारी टीओआर में ईआईए मापदण्ड (अर्थात् अध्ययन अवधि (ऋतुओं की संख्या), अध्ययन सीमा (प्रस्तावित योजना स्थल के आसपास किलोमीटर संख्या) इत्यादि का उल्लेख किया जाता है।

2.4.2 (ज) अंतिम ईआईए

प्र: ईआईए प्रारूप और अंतिम ईआईए के बीच अनुमत सीमा अंतर क्या है?

उ: प्रारूप ईआईए से अंतिम ईआईए में काफी अंतर नहीं हो सकता है। लोक परामर्श के भाग के रूप में आवश्यक परिवर्तनों की अनुमति है।

लोक सुनवाई से पूर्व तैयार और उपलब्ध ईआईए को ईआईए प्रारूप कहा जाता है। इसमें सभी मूलाधार अध्ययन जानकारी, शमन उपाय और टीओआर में निर्दिष्ट किसी भी विशिष्ट अध्ययन को शामिल किया जाता है।

लोक परामर्श प्रक्रिया के बाद संशोधित व जमा ईआईए में लोक समस्याएं और इन समस्याओं के निस्तारण के अतिरिक्त उपायों को सम्मिलित करना ही अंतिम ईआईए है।

19 <http://www.indiankanoon.org/doc/161693875/>

टीओआर के निर्देशानुसार, लोक परामर्श प्रक्रिया के बाद मूलाधार डेटा में परिवर्तन या विशेषीकृत अध्ययन के अंतर्भाव को शामिल नहीं किया जा सकता है।

प्र: क्या परियोजना स्थल की वर्तमान पर्यावरण स्थिति का अध्ययन किया जाता है?

उ: हाँ! मान्यताप्राप्त परामर्श द्वारा अधिग्रहित मूलाधार अध्ययन भाग के रूप में प्रस्तावित परियोजना स्थल व इसके निकटतम क्षेत्रों की पर्यावरण स्थिति का अध्ययन किया जाता है। एमओईएफ/एसईआईएए द्वारा जारी टीओआर में उल्लेखित अध्ययन क्षेत्र को ईआईए अध्ययन माना जाता है। ईआईए में परिवेशी वायु, ध्वनि, भूमिगतजल, जीवविज्ञान, जमीन, सामाजिक-आर्थिक पहलूओं सहित 12 कार्यात्मक क्षेत्र नामक विभिन्न पर्यावरण घटकों का मूल्यांकन होता है।

प्र: आमतौर पर ईआईए अध्ययन संचालन में कितना समय लगता है?

उ: यह टीओआर में उल्लेखित अध्ययन सीमा पर निर्भर करता है। ईआईए अध्ययन में कम से कम 3 माह (1 ऋतु) से 1 वर्ष लगता है।

प्र: क्या लोक संवीक्षा के लिए अंतिम ईआईए उपलब्ध होती है?

उ: अगस्त 2013 में जारी एमओईएफ परिपत्र में एमओईएफ/एसईआईए को इसी जारी करने से पहले अंतिम ईआईए अपलोड करना होता है। यदि अंतिम ईआईए में कोई आपत्तिजनक तथ्य है, तो जनता इसके बारे में एमओईएफ को सूचित कर सकती है या एनजीटी में याचिका दायर कर सकती है।

2.4.2 (झ) ईआईए परामर्शक

प्र: ईआईए परामर्श की जरूरत और जिम्मेदारियां क्या हैं?

प्रस्तावित संयंत्र के पर्यावरण प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए, परियोजना प्रस्तावक को राष्ट्रीय शिक्षा व प्रशिक्षण प्रत्यायन मण्डल/भारतीय गुणवत्ता परिषद (एनएबीईटी/क्यूसीआई) द्वारा मान्यताप्राप्त परामर्श की सेवाएं लेना होता है।

मान्यताप्राप्त परामर्श द्वारा परियोजना के लिए नहीं की गई ईआईए को समाशोधन नहीं माना जाता है। टीपीपी के ईआईए संचालन कार्य के लिए जिम्मेदार परामर्श उस विशिष्ट क्षेत्र के लिए अधिकृत होना चाहिए।

मान्यताप्राप्त परामर्शक सूची

<http://nabet.qci.org.in/environment/pop.asp?file=documents/Annexure7.pdf> से प्राप्त करें।

प्र: परियोजना के लिए ईआईए परामर्शक टीम का संयोजन व भूमिका क्या है?

उ: ईआईए प्रक्रिया, नियम और कार्य, क्षेत्र जानकारी, क्षेत्र से संबंधित संभावित पर्यावरण प्रभाव, और ईआईए टीम की योजना बनाने, चयन करने और उन्हें दिशानिर्देश देने के लिए आवश्यक नेतृत्व गुणवत्ता के बारे में, ईआईए समन्वयक द्वारा परियोजना के लिए ईआईए परामर्श टीम का संचालन किया जाता है।

ईआईए समन्वयक के अलावा, इस टीम में 12 विशेष क्षेत्रों के लिए कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे।

इन क्षेत्रों में शामिल है:

1. भू-प्रयोग
2. वायु प्रदूषण निरीक्षण, रोकथाम और नियंत्रण
3. मौसम विज्ञान, वायु गुणवत्ता प्रतिरूपण और पूर्वानुमान
4. जल प्रदूषण निरीक्षण, रोकथाम और नियंत्रण
5. पारिस्थितिकी और जैव-विविधता
6. ध्वनि व कम्पन
7. सामाजिक-आर्थिक पहलू
8. जल-विज्ञान, भूजल और जल संरक्षण
9. भूविज्ञान
10. मृदा संरक्षण
11. जोखिम व खतरा प्रबंधन
12. ठोस व जोखिमपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन (नगरीय ठोस अपशिष्ट सहित)

विशेषज्ञ के लिए न्यूनतम योग्यता है:— http://nabet.qci.org.in/environment/pop.asp?file=documents/EIA_Scheme.pdf&heading=About%20EIA%20Consultant%20Organizations%20Scheme

आवश्यक योग्यता मापदण्ड वाले टीम सदस्य, ईआईए समन्वयक और कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ, दोनों हो सकते हैं। विशेषज्ञ अधिकतम 4 अधिकार क्षेत्र के लिए एफएई, या अधिक 5 क्षेत्र के लिए ईआईए समन्वयक बन सकता है।

2.4.2 (ज) ईसी जारी करने के बाद

प्र: ईसी जारी करने पर, क्या परियोजना प्रस्ताव द्वारा संयंत्र निर्माण प्रारंभ कर सकता है?

उ: नहीं! परियोजना प्रस्तावक को संबंधित एसपीसीबी में स्थापन स्वीकृति के लिए आवेदन करना होता है। इसे प्राप्त करने पर, संयंत्र का निर्माण प्रारंभ कर सकते हैं।

संयंत्र में परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व, एसपीसीबी से परिचालन स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

2.4.2 (ट) चिमनी ऊँचाई

प्र: क्या चिमनी ऊँचाई के लिए कोई मानदण्ड है?

उ: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत टीपीपी के लिए अपेक्षित धुआँरा ऊँचाई सूचित की गई है।

संयत्र क्षमता : चिमनी ऊँचाई

≥500 मेगावाट : 275 मीटर

210मेगावाट से 500मेगावाट : 220 मीटर

210 मेगावाट से कम : एच=14 क्यू 0.3 (क्यू यानि SO₂ उत्सर्जन दर किग्रा/घंटे, और एच यानि मीटर में धुआँरे की ऊँचाई)।

2.4.2 (ठ) स्वीकार्य प्रदूषण स्तर

प्र: टीपीपी के लिए स्वीकार्य प्रदूषण स्तर क्या है?

उ: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचना में पर्यावरण प्रदूषक निस्सरण मानकों का वर्णन किया गया है। तापीय विद्युत संयत्र तकनीक ईआईए दिशानिर्देश मैनुअल के संलग्नक में विभिन्न मापदण्ड संकलन प्राप्त कर सकते हैं। इस मैनुअल को यहाँ

http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/Form1A/HomeLinks/TGM_Thermal%20Power%20Plants_010910_NK.pdf से प्राप्त कर सकते हैं।

2.4.2 (ड) भू-अधिग्रहण

प्र: परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के किस चरण में भूमि अधिग्रहित की जा सकती है?

उ: परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईसी के लिए आवेदन जमा कराने से पहले भी भू-अधिग्रहण प्रारंभ किया जा सकता है। हालांकि, परियोजना प्रस्तावक को इस चरण में परियोजना के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण जमीन को खरीदना आवश्यक नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मान्यताप्राप्त ईआईए परामर्शक संघ द्वारा संभावित सामाजिक-आर्थिक मुद्दों और पुनर्स्थापन व पुनर्वास की जाँच-पड़ताल की जाती है।

प्र: अपेक्षित परियोजना भूमि की दर किस प्रकार निर्धारित की जाती है?

नवीनतम विधान, उचित मुआवजा और भू-अधिग्रहण का अधिकार, पुनर्स्थापन व पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, मुआवजा गणना का एक सूत्र है और जिला कलेक्टर द्वारा प्रक्रिया अनुपालन सुनिश्चित की जाती है।

2.4.3 मौजूद संयत्र

प्र: ग्रीनफील्ड ईआईए और डाउनफील्ड ईआईए में क्या अंतर है?

यदि किसी स्थान पर प्रस्तावित परियोजना नयी है, तो इसे ग्रीनफील्ड परियोजना कहा जाता है। ऐसी परियोजना में प्रभाव मूल्यांकन और अपेक्षित शमन उपायों की संक्रिया के बाद परियोजना क्षेत्र का आधारभूत अध्ययन और अपेक्षित परिवर्तन की मांग की जाती है।

डाउनफील्ड परियोजना, पहले से ही परिचालित निर्माण-स्थल का विस्तार होता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए, मूलभूत अध्ययन में सभी शर्तों की अनुपालन स्थिति, और व्यापक प्रभाव मूल्यांकन और अपेक्षित शमन उपायों वाले अपेक्षित परिवर्तन सहित मौजूद शमन उपायों की प्रभावशीलता शामिल होती है।

प्र: स्थापित संयंत्र का निरीक्षण कैसे किया जाता है?

उ: एसपीसीबी द्वारा टीपीपी सहित सभी उद्योगों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि इनका परिचालन ईसी में निर्दिष्ट स्वीकार्य उत्सर्जन स्तर और अन्य शर्तों के अनुरूप किया जा रहा है।

परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित अनुपालन रिपोर्ट जमा करानी होती है:

- ◆ एसपीसीबी को तिमाही निरीक्षण रिपोर्ट
- ◆ क्षेत्रीय एमओईएफ कार्यालय को अर्द्धवार्षिक अनुपालन स्थिति रिपोर्ट
- ◆ (फलाई ऐश उपयोगिता नियम के अंतर्गत) विनिर्दिष्ट प्रारूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को जमा की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, जिसकी एक प्रतिलिपी एसपीसीबी को भेजनी होती है।
- ◆ एसपीसीबी को वार्षिक पर्यावरण विवरण
- ◆ एसपीसीबी द्वारा (लोक शिकायतों के आधार पर) मांगी गई अतिरिक्त रिपोर्ट

प्र: अनुपालन रिपोर्ट में क्या-क्या शामिल करें? इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है?

उ: प्रत्येक टीपीपी के ईसी में ऐसी विशिष्ट शर्तें होती हैं जिसे प्रस्तुत की जाने वाली अनुपालन रिपोर्ट में पालन व सम्मिलन करना होता है।

इन रिपोर्ट को सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराना होता है और नवीनतम अनुपालन रिपोर्ट को एमओईएफ/एसईआईएए वेबसाइट पर अपलोड करना होता है।

एमओईएफ/एसईआईएए द्वारा जनता के अनुरोध पर किसी भी अनुपालन रिपोर्ट को उपलब्ध कराना होता है।

प्र: जनता द्वारा एक्सेस किये जाने वाले अन्य कौन से दस्तावेज हैं?

क) एसपीसीबी को प्रस्तुत तिमाही अनुपालन रिपोर्ट

ब) एसपीसीबी को प्रस्तुत वार्षिक पर्यावरण विवरण

स) एसपीसीबी और एमओईएफ सहित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत वार्षिक फलाई ऐश उपयोगिता रिपोर्ट

2.4.4 अन्य समाशोधन

2.4.4 (क) तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) समाशोधन

प्र: सीआरजेड समाशोधन और इसका ईआईए प्रक्रिया से क्या संबंध है?

समुद्री तट के निकटतम स्थित परियोजनाओं के लिए सीआरजेड समाशोधन आवश्यक है। 2011 सीआरजेड अधिसूचना में व्यक्त है कि सीआरजेड कहाँ आवश्यक है। यदि प्रस्तावित टीपीपी का निर्माणस्थल, सीआरजेड के अंतर्गत आता है, तो सीआरजेड समाशोधन के लिए राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश पर परियोजना के लिए ईसी जारी होगी। यदि परियोजना सीआरजेड अनुशंसित है तो अपनी वेबसाइट पर अपलोड—राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की मितिग के कार्यवृत्त का प्रकाशन किया जाएगा।

2.4.4 (ख) वन समाशोधन

प्र: वन समाशोधन कौन जारी करता है?

उ: जब परियोजना में वन्य जमीन का प्रयोग किया जाता है, तो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वन समाशोधन जारी किया जाता है।

2.4.4 (ग) अतिरिक्त समाशोधन

प्र: एमओईएफ ईसी के अलावा, अन्य कौनसे समाशोधन की जरूरत होती है?

उ: कुछ अन्य आवश्यक समाशोधन में शामिल है:

1. पंचायत से अपनी सीमाओं में टीपीपी स्थापित करने के लिए एनओसी
2. संबंधित एसपीसीबी से स्थापन स्वीकृति और परिचालन स्वीकृति
3. यदि पानी बारहमासी नदी का है तो राज्य जल प्राधिकरण से पानी लेने की अनुमति
4. भारतीय विमान प्राधिकरण से चिमनी ऊँचाई के लिए समाशोधन प्राप्त करना
5. रेलवे साइडिंग/रेलवे ट्रेक के लिए मार्ग अधिकार हेतु भारतीय रेलवे की अनुमति

प्रतिकार

प्र: संयंत्र ईसी प्रक्रिया के किसी भी पहलू के बारे में शिकायत कहाँ करें?

उ: ईआईए प्रक्रिया के किसी भी चरण के उल्लंघन के बारे में एमओईएफ को सूचित किया जा सकता है। यदि उल्लंघन वाली परियोजना के लिए ईसी जारी की गई है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

प्र: रोजगार, सीएसआर और अन्य से संबंधित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो मौजूद टीपीपी के बारे में कहाँ शिकायत करें?

उ: यदि ईसी में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो एमओईएफ और एसपीसीबी को तुरंत सूचित करें।

प्र: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) क्या है?

उ: एनजीटी एक अर्द्ध-न्यायिक स्थापित निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निर्णय करती है। अधिकरण स्थापित करने का प्रमुख स्थान नई दिल्ली है और अधिकरण स्थापित करने के अन्य चार स्थल भोपाल (केन्द्रीय क्षेत्र), पुणे (पश्चिमी क्षेत्र), कोलकाता (पश्चिमी क्षेत्र) और चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र) हैं।

प्र: क्या एनजीटी में याचिका दर्ज करने की समय-सीमा है?

उ: हाँ! एनजीटी में याचिका दर्ज करना समय-बाधित है, वाद हेतुक के 30 दिन के अंतर्गत याचिका दर्ज की जा सकती है, जिसे विलम्ब का उचित कारण बताने पर 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी परियोजना के लिए जारी ईसी के विरुद्ध अपील करने वाले व्यक्ति को अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर, ईसी जारी करने से 30 दिन के अंतर्गत याचिका दायर करना होगा।

2.5 राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदेशों का लैंडमार्क

- I. एमओईएफ/एसईआईए वेबसाइट पर 7 दिन के अंतर्गत पर्यावरण समाशोधन अपलोड करना
- II. एमओईएफ वेबसाइट पर अपलोड की ईसी तिथि को एनजीटी में आवेदन-पत्र दर्ज करने के लिए सीमा अवधि गणना का प्रयोग किया जाता है
- III. एमओईएफ द्वारा परियोजना के बारे में संबंधित सभी जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाएगी।
- IV. पारिस्थितिकी रूप से नाजुक पारिस्थितिकी-तंत्र के निकट स्थित संयंत्र के लिए अपेक्षित संचयी प्रभाव मूल्यांकन
- V. एमओईएफ द्वारा टीओआर के प्रति ईआईए अनुपालन सुनिश्चित करना होगा
- VI. लोक सुनवाई संचालन के लिए एनजीटी सुझाव
- VII. लोक सुनवाई सिर्फ परियोजना स्थल के निकट रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं है
- VIII. एसपीसीबी द्वारा परियोजना जानकारी को अपनी वेबसाइट पर जारी रखना होगा
- IX. टीओआर में कोयला न्यूक्लियर रेडियोधर्मिता शामिल करना होगा
- X. लोक सुनवाई मुख्य रूप से परियोजना स्थल के 1 किमी के अंतर्गत संचालित करनी होगी
- XI. ईएसी को अंतिम ईआईए की यह जांच-पड़ताल करनी होगी कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का किस तरह निस्तारण किया गया है
- XII. प्रारूप और अंतिम ईआईए के बीच कोई विशेष अंतर न हो
- XIII. ईआईए में सामाजिक-आर्थिक डेटा के लिए प्राथमिक डेटा आवश्यक है
- XIV. एमओईएफ द्वारा ईएसी मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करनी होगी

I. एमओईएफ/एसईआईए वेबसाइट पर 7 दिन में पर्यावरण समाशोधन अपलोड करना

1. ईसी स्वीकृति तिथि से 7 दिन से पहले जितना जल्दी हो सके एमओईएफ/एसईआईए वेबसाइट पर स्वीकृति ईसी को अपलोड करना होगा।
2. एसईआईए/एमओईएफ वेबसाइट द्वारा उचित रूप से संधारण करना होता है।
3. एमओईएफ द्वारा क्रियान्वित ईसी शर्तों में से एक यह है कि ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार सभी हितधारकों द्वारा स्वीकृत समाशोधन को व्यापक रूप से प्रकाशित करना होगा।

प्रकरण विवरण:
2013 की 1 अपील
मेधा पाटकर और अन्य बनाम पर्यावरण मंत्रालय व अन्य

फैसला लिंक:
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/pench%20thermal%20project_11July2013_final_order-1.pdf
फैसला तिथि: 11 जुलाई 2013

II. एमओईएफ वेबसाइट पर अपलोड की गई ईसी तिथि को एनजीटी में याचिका दर्ज करने के लिए सीमा अवधि गणना हेतु प्रयोग करें

1. एनजीटी में (एनजीटी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत) याचिका दायर करने की सीमा अवधि, ऑर्डर देने की तिथि से प्रारंभ होता है। यह उस दिन को सूचित करता है जब एमओईएफ अपनी वेबसाइट पर ईसी अपलोड करती है जिससे इसको बिना किसी बाधा के डाउनलोड किया जा सकता है और सूचना पट्ट पर आदेश तिथि लिखी जाती है।

या

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी वेबसाइट पर समाशोधन अपलोड किया जाता है जहाँ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है और समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।

प्रकरण विवरण:

उपर्युक्त अपील 2013 का समीक्षा आवेदन 9

मेधा पाटकर व अन्य बनाम पर्यावरण मंत्रालय व अन्य

फैसले का लिंक:

[http://www.greentribunal.gov.in/judgment/9_2013\(RA\)_28Nov2013_final_order.pdf](http://www.greentribunal.gov.in/judgment/9_2013(RA)_28Nov2013_final_order.pdf)

फैसला तिथि: 28 नवम्बर 2013

III. एमओईएफ द्वारा परियोजना से संबंधित सभी जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाएगी।

IV. पारिस्थितिकी रूप से नाजुक पारिस्थितिकी-तंत्र के निकटतम स्थित संयंत्र के लिए आवश्यक संचयी प्रभाव मूल्यांकन

1. एमओईएफ द्वारा विशिष्ट अध्ययनों के कार्यकारी संक्षिप्त विवरण सहित-परियोजना मूल्यांकन के दौरान नियत ईआईए रिपोर्ट और लोक सुनवाई रिपोर्ट के अलावा सभी संबंधित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा।
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (एसपीसीबी) द्वारा लोक सुनवाई प्रक्रिया, स्थापन स्वीकृति और परिचालन स्वीकृति, अनुपालन स्थिति से संबंधित उचित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के संबंध में किये गये विशिष्ट अध्ययन की कार्यकारी संक्षिप्त विवरण सहित ईसी शर्तों की अनुपालन स्थिति को अपलोड करना होगा और इसे समय-समय पर अपडेट करना होगा।
4. निवारक सिद्धांत और सतत विकास दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, संचयी प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना आवश्यक होता है ताकि पर्याप्त शमन उपाय और पर्यावरण सुरक्षा उपाय प्रस्तुत कर, पिचावरम मैंग्रोव की पारिस्थितिकी नाजुक पारिस्थितिकी-तंत्र और इसके निकटतम जैविक समुद्री पर्यावरण पर वितरीत प्रभाव को रोका जा सकता है।

प्रकरण विवरण:

अपील सं. 17, 2011 (टी), एनईए सं. 20, 2010
टी मुरुगंदम और अन्य बनाम एमओईएफ व अन्य
फैसले का लिंक:

http://www.ercindia.org/files/EIA-Review-PP/judgments/NGT_Muruganandam.pdf

फैसला तिथि: 23 मई 2012

v. एमओईएफ को टीओआर के प्रति ईआईए अनुपालन सुनिश्चित करना होगा

v. लोक सुनवाई के लिए सुझाव

1. एमओईएफ द्वारा यह जांच करने के लिए सख्त कार्यविधि तैयार करनी होगी कि टीओआर वेबसाइट पर लोक सुनवाई के लिए अपलोड करने से पहले ईआईए प्रारूप में विधिवत रूप से संकलित करना होता है।
2. अंतिम रिपोर्ट को ईएसी मूल्यांकन के लिए देने से पहले लोक सुनवाई के दौरान किये प्रस्तुत टीओआर, ईआईए प्रारूप और सुझावों के संदर्भ में एमओईएफ द्वारा अंतिम ईआईए रिपोर्ट का मूल्यांकन करना होगा।
3. एमओईएफ द्वारा पृथक दृष्टिकोण बनाने से परियोजना का पर्यावरण व पारिस्थितिकी रूप से खंडित, अधूरा/असंतुलित मूल्यांकन हो सकता है, के बजाय परियोजना के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में आवश्यक सभी समाशोधनों को स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है।
4. टीओआर में किसी तरह अस्पष्टता से बचने के लिए ईआईए प्रारूप रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए आवश्यक प्रक्रिया का परिचय देना होगा।
5. एमओईएफ द्वारा लोक सुनवाई (पीएच) प्रक्रिया को मजबूत किया जा सकता है और इसे निम्नलिखित सुझाव लेते हुए अधिक सार्थक बनाया जा सकता है:
 - a) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के लिए उपस्थित सभी लोगों के सामने ईआईए प्रारूप को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा
 - b) स्थानीय संगठन के नेता जैसे ग्राम पंचायत, समिति, विधायक और सांसदों से लोक सुनवाई में उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। वे भी परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में बोल सकते हैं या अपने लिखित प्रतिरूपण जमा करा सकते हैं।
 - c) पीएच को ईआईए प्रारूप रिपोर्ट से उठने वाले मुद्दों व संबंधित समस्याओं तक ही सीमित किया जाना चाहिए।
 - d) लोक सुनवाई में बोलने वाले व्यक्ति से निर्धारित प्रपत्र सूचक विवरण में उनका नाम पूछा जा सकता है जैसे नाम, पिता/पति का नाम, गांव का नाम, तालुक/तहसील, प्रभावित जमीन की सीमा, यदि कोई हो, और विषय जिस पर वह बोलना चाहता है इत्यादि

- e) लोक सुनवाई संचालित हॉल में पार्टी के झण्डे लगाये हुए किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति न दें और उन्हें पार्टी के नारें लगाने की भी अनुमति न दें।
 - f) जो व्यक्ति बोलना नहीं चाहते हैं उन्हें पृथक अहाते में बोलने के इच्छुक व्यक्तियों के पीछे खड़े होने/बैठने के लिए कहें।
 - g) जिन लोगों ने बोलने के लिए नाम दिया है उन्हें एक-एक करके मंच पर बुला सकते हैं और सूचित विषय पर ही बोलने के लिए लगभग पांच मिनट का समय दे सकते हैं
 - h) लोक सुनवाई संचालनकर्ता अधिकारी से लोक सुनवाई संचालन करने के लिए आवश्यक प्रत्येक व हर कार्यवृत्त प्रक्रिया का पालन करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कह सकते हैं।
 - i) अंत में, परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के पक्ष या विपक्ष के सभी विचारों को विषय-वार/मुद्दे अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है और उनका संक्षेप में जवाब दिया जा सकता है।
 - j) लोक सुनवाई संचालनकर्ता अधिकारी द्वारा ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुरूप सख्त रूप से मिटिंग कार्यवृत्त तैयारी की जाएगी और इसके बारे में जनता को अवगत कराया जाएगा।
 - k) लोक सुनवाई प्रक्रिया सारणी रूप में तैयार की जाएगी जिसमें पीएच में उठाये गये प्रत्येक व हरेक मुद्दों का निस्तारण और परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब होंगे।
 - l) यदि परियोजना में विज्ञान और तकनीक मुद्दों की जानकारी के लिए आवश्यक प्रस्तुतीकरण या स्पष्टीकरण है, तो पर्यावरणविद् या वैज्ञानिक को जनता की उपस्थिति के उपलक्ष में बोलने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और इस विषय पर उनके विचार लिखित में प्रस्तुत किया जा सकता है।
6. ईएसी कार्यवृत्त में पीएच में उठने वाले व प्रस्तुत पक्ष-विपक्ष के प्रत्येक मुद्दों के विस्तृत कारणों को लिखित में सम्मिलित किया जाएगा।
7. एमओईएफ द्वारा अग्रिम प्रक्रिया शोधन के लिए ईएसी से पहले इन सुझावों को लोक सुनवाई संचालन करने में अपनाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रकरण विवरण:

अपील सं. 12, 2011

ओसी फर्नाडिस और अन्य बनाम एमओईएफ व अन्य

फैसले का लिंक:

[http://www.greentribunal.gov.in/judgment/12-2011\(AP\)_30May2012_final_order.pdf](http://www.greentribunal.gov.in/judgment/12-2011(AP)_30May2012_final_order.pdf)

फैसल तिथि: 30 मई 2012

VII. लोक सुनवाई सिर्फ परियोजना स्थल के निकट रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं है

VIII. एसपीसीबी को अपनी वेबसाइट पर परियोजना जानकारी बनाये रखनी होगी

1. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत परियोजना स्थल के निकट न रहने वाले लोगों को लोक सुनवाई में भाग लेने से न तो रोका जाता है और न ही प्रतिबंध किया जाता है—वे भी पीएच में भाग लेकर परियोजना के पक्ष—विपक्ष में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

2. स्थानीय प्रभावित व्यक्ति संबंधित अधिकारी को लिखित में अपने दे सकते हैं चाहे वे लोक सुनवाई में भाग लेने में असमर्थ हो।

3. ईआईए अधिसूचना के अंतर्गत संयंत्र से दूरी रहने वाले व्यक्ति को लोक सुनवाई में भाग लेने के लिए प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है

4. यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाइट में विचाराधीन लोक सुनवाई की परियोजना या गतिविधि के बारे में संबंधित जानकारी नहीं है, तो यह स्थानीय लोगों के लिए अधूरी सूचना मानी जा सकती है, और इस प्रकार लोक सुनवाई भंग की जा सकती है।

प्रकरण विवरण

रिट याचिका (सिविल) सं. 9317, 2009

समर्थ ट्रस्ट व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य

फैसला लिंक: <http://indiankanoon.org/doc/1050363/>

फैसले की तिथि: 28 मई 2010

IX. टीओआर में कोयला न्यूक्लियर रेडियोधर्मिता स्तर को शामिल करें

X. पीएच को मुख्य रूप से परियोजना स्थल से 1 किमी दायरे के अंतर्गत आयोजित करें

1. पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा सभी भावी परियोजनाओं की संदर्भ शर्तों में परियोजना प्रस्तावक से संयंत्र के प्रयोग के लिए प्रस्तावित कोयला न्यूक्लियर रेडियोधर्मिता स्तर का संभावित विवरण तैयार करने की मांग शामिल करनी होगी।

2. परियोजना स्थल के निकटतम यानि 1 किमी दायरे में लोक सुनवाई आयोजित करना आवश्यक है।

3. लोक आमंत्रण अधिसूचना में स्पष्ट शब्दों में लोगों को लोक सुनवाई में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। अधिकारियों को अस्पष्ट या अनुपयुक्त शब्दों से बचना होगा।

प्रकरण विवरण

अपील सं. 7, 2011 (टी)

कृषि विज्ञान अरोग्य संस्था व अन्य बनाम एमओईएफ व अन्य

फैसला लिंक: <http://www.ercindia.org/files/Koradi%201.pdf>

फैसले की तिथि: 20 सितम्बर, 2011

XI. ईएसी को अंतिम ईआईए की यह जांच-पड़ताल करनी होगी कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का किस तरह निस्तारण किया गया है।

ईएसी द्वारा अंतिम ईआईए की विस्तृत जांच-पड़ताल संचालित करनी होगी और यह व्यक्त करना होगा कि लोक सदस्यों द्वारा की गई आपत्तियों का परियोजना प्रस्तावक ने किस तरह निराकरण किया है।

प्रकरण विवरण:

अपील सं. 10/2011 (टी)

जीत सिंह कंवर व अन्य बनाम एमओईएफ व अन्य

फैसला लिंक:

<http://www.indiankanoon.org/doc/16871829/>

फैसला तिथि: 16 अप्रैल 2013

XII. प्रारूप व अंतिम ईआईए के बीच कोई विशेष अंतर न हो

एमओईएफ के लिए सुझाव

1. एमओईएफ को परियोजना प्रस्तावक द्वारा तैयार की गई प्रारूप ईआईए को टीओआर के अनुसार जांच करने के लिए एक क्रियाविधि विकसित करनी होगी।
2. एमओईएफ को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईआईए प्रारूप, टीओआर के अनुरूप है, और इसे लोक सुनवाई संचालन से पूर्व अपनी वेबसाइट पर रखना होगा।
3. यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा तैयार ईआईए प्रारूप रिपोर्ट, प्रदत्त टीओआर के अनुसार नहीं है, तो इसे निरस्त कर, नवीन ईआईए प्रारूप की मांग की जा सकती है।
4. पीएच संचालन व अंतिम ईआईए प्रस्तुती के बाद, एमओईएफ को यह मूल्यांकन करना होगा कि यह टीओआर और पीएच प्रक्रिया के अनुरूप है।
5. एमओईएफ को यह ध्यान रखना है कि परियोजना से संबंधित कुछ आंतरिक तकनीक व वैज्ञानिक सूचना, और अग्रिम पर्यावरण व पारिस्थितिकी रूचि के लिए आवश्यक बातों को छोड़कर, ईआईए प्रारूप और अंतिम ईआईए में कोई विशेष अंतर न हो।
6. एमओईएफको ईसी जारी करने से पहले लोक क्षेत्र में अंतिम ईआईए को प्रदर्शित करने पर विचार करना होगा ताकि ईएसी के समक्ष प्रतिरूप किया जा सकें।
7. यदि एमओईएफ द्वारा ईआईए प्रारूप प्राप्ति तिथि से 45 दिन के अंतर्गत संचालित नहीं की गई है तो लोक सुनवाई को भंग नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण विवरण:

अपील सं. 20/2011 (टी)

रमेश अग्रवाल व अन्य बनाम एसईआईएए व अन्य

फैसला लिंक: <http://www.indiankanoon.org/doc/59958653/>

फैसला तिथि: 31 मई 2012

XIII. ईआईए में सामाजिक-आर्थिक आंकड़े के लिए प्राथमिक डेटा आवश्यक है

ईआईए रिपोर्ट तैयार करने के दौरान, पर्यावरण परामर्शक को परियोजना क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के संबंध में कुछ प्राथमिक सामग्री एकत्रित करना और परियोजना क्षेत्र के लोगों की मूलभूत जरूरतों को समझने के लिए कुछ प्रारंभिक सर्वे क्रियान्वित करना होगा ताकि उचित पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जा सकती है।

प्रकरण विवरण:

अपील सं. 25, 2011

विनोद आर. पटेल बनाम गुजरात राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण

फैसला लिंक: <http://www.indiankanoon.org/doc/161693875/>

फैसला तिथि: 18 दिसम्बर 2012

XIV. एमओईएफ द्वारा ईसी जांच तंत्र की समीक्षा करनी होगी

1. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा अपने सदस्यों के बीच हुई तकनीक विचार-विमर्श के विवरण का रिकॉर्ड व संधारण करना होगा। यह आवश्यक है कि समिति के प्रत्येक व हर सदस्य द्वारा प्रदत्त विचार, राय, टिप्पणी और सुझावों को संरचित घोषणा-पत्र/प्रारूप में रिकॉर्ड किया जाए।
2. यदि ईएसी द्वारा किसी विशिष्ट बात का फैसला सर्वसम्मति से नहीं किया जाता है, तो विशिष्ट टिप्पणी तैयार करें और प्रमुख विचार को स्वीकार करने के वैज्ञानिक कारणों को रिकॉर्ड करना और भावी संदर्भ के लिए रखना होगा।
3. कभी-कभी ईएसी मीटिंग कार्यवृत्त में अपने विचार के लिए प्रस्तुत लोक सुनवाई के विडियोग्राफ को देखने के बारे में विशेष उल्लेख करना होगा। ईएसी को इस बात पर ध्यान देना होगा और भविष्य में इस पर मीटिंग के कार्यवृत्त में अपने विचार सम्मिलित करना है।
4. ईएसी को लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के संबंध में अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए निर्देश दें और मूल्यांकन की शुरुआती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी बिन्दु में चुक की गई है तो इस पर ध्यान दें और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करें।
5. एमओईएफ द्वारा पर्यावरण समाशोधन दस्तावेज की सामान्य शर्तों को न्यूनतम करने और प्रकरण दर प्रकरण आधार पर विशिष्ट मुद्दों के निस्तारण के लिए आवश्यकता व व्यवहार्यता को दर्शाने वाली शर्तों को लागू करने हेतु निर्देश देना होगा।
6. एमओईएफ द्वारा ईएसी के जांच-तंत्र की समीक्षा करनी होगी और अधिक स्पष्ट प्रलेखन तैयार कर, भविष्य के लिए संधारण करना होगा। ईएसी अध्यक्ष को सभी भावी मूल्यांकनों में इस पहलू का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना होगा।

प्रकरण विवरण:

अपील सं. 9, 2011

समता व अन्य बनाय यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य

फैसला लिंक:

[http://www.greentribunal.gov.in/judgment/92011\(SZ\)\(Ap\)_13Dec2013_final_order.pdf](http://www.greentribunal.gov.in/judgment/92011(SZ)(Ap)_13Dec2013_final_order.pdf)

फैसला तिथि: 13 दिसम्बर 2013

2.6 महत्वपूर्ण एमओईएफ परिपत्र

- 2.6.1 सूचना प्रस्तुतीकरण व उपलब्धता
- 2.6.2 कोयला संयोजन
- 2.6.3 अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी)
- 2.6.4 ईसी / एफसी / सीआरजेड का उल्लंघन
- 2.6.5 लोक सुनवाई
- 2.6.6 मौजूद संयंत्रों का निरीक्षण
- 2.6.7 एक ही जमीन पर परियोजनाएं
- 2.6.8 कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति
- 2.6.9 ईसी जारी करने से पहले स्वीकार्य गतिविधियां
- 2.6.10 परियोजना विस्तार
- 2.6.10 टीओआर वैधता
- 2.6.12 अंतरसंबद्ध परियोजनाएं

2.6.1 सूचना प्रस्तुतीकरण व उपलब्धता

वेबसाइट पर अपलोड करना:

परियोजना प्रस्तावक को टीओआर प्रेषित करने से पहले एमओईएफ वेबसाइट पर टीओआर, प्रपत्र 1 और पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट अपलोड करना होगा। संबंधित निदेशक और क्षेत्रीय ईएसी सदस्य सचिव की यह जिम्मेदारी है कि उस अधिकारी द्वारा भी परियोजना प्रस्तावक को ईसी प्रेषित करने से पहले एमओईएफ वेबसाइट पर ईएमपी, लोक सुनवाई कार्यवृत्त, ईएसी कार्यवृत्त और ईसी अपलोड करने के बारे में सुनिश्चित करना होगा।

आदेश दिनांक: 29 अगस्त 2013

लिंक: <http://www.MoEF.nic.in/sites/default/files/OM-reg-sStorage-of-files-29.8.13.pdf>

अतिरिक्त सूचना का प्रस्तुतीकरण:

यदि ईएसी, परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना प्रस्तुत करने की मांग की जाती है, तो उसे ईएसी मितिंग तिथि से 6 महीने के अंतर्गत जमा कराना होता है। इस अवधि के बाद, यदि सूचना जमा नहीं की जाती है, तो उस परियोजना को विचाराधीन परियोजना सूची से हटा दिया जाएगा। यदि परियोजना ईएसी सूचना अनुरोध की तिथि से तीन से छः महीने तक विचाराधीन है, तो परियोजना प्रस्तावक को इस अतिरिक्त जानकारी को एक माह में उपलब्ध कराने के लिए एक स्मरण-पत्र भेजा जा सकता है। यदि परियोजना प्रस्तावक ऐसा करने में विफल रहता है, तो परियोजना को विचाराधीन सूची से हटा दिया जाएगा।

दिनांक: 30 अक्टूबर 2012

लिंक: <http://MoEF.nic.in/assets/ia-30102012.pdf>

परियोजना दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपी जमा करना:

कागजी प्रतिलिपी के अलावा, परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की पीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपी एमओईएफ/एसईआईए को जमा करनी होगी:

- ◆ प्रपत्र 1
- ◆ पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट
- ◆ टीओआर प्रारूप
- ◆ ईआईए
- ◆ ईआईए परियोजना के लिए पूर्ण प्रश्नावली
- ◆ लोक सुनवाई प्रक्रिया
- ◆ ईएसी घटना में चालू सभी अध्ययन रिपोर्ट
- ◆ परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएसी को प्रस्तुत अन्य अतिरिक्त जानकारी

इन दस्तावेजों को एमओईएफ/एसईआईए वेबसाइट पर अपलोड करना है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपी व कागजी प्रतिलिपी के बिना प्रस्तुत किसी भी सूचना को अधूरी माना जाएगा और उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। ईएसी सदस्य सचिव और एसईआईए को ईएसी/एसईएसी निर्माण-स्थल दौरा रिपोर्ट सहित इन दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।

दिनांक: 20 मार्च 2012

Link: <http://envfor.nic.in/downloads/public-information/order-20032012-a.pdf>

उचित व मूल जानकारी प्रदान करना:

ईआईए में उचित आंकड़े प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की है क्योंकि इसमें एमओईएफ या ईएसी को एक ईआईए सामग्री से प्रतिलिपी डेटा या सूचना जांच की तुलना करने में समय लगता है। इसलिए, परियोजना प्रस्तावक को ईआईए में अधिग्रहण रिपोर्ट जमा करना और ईआईए सामग्री प्राप्त करना होगा। यदि किसी भी चरण में ईआईए में अन्य रिपोर्ट से डेटा लिये जाता है और इसके बारे में एमओईएफ को सूचित किया जाता है, तो परियोजना को तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। बाद में परियोजना प्रस्तावक को नवीन ईसी के लिए आवेदन करना होगा। यदि प्रतिलिपी ईआईए रिपोर्ट के आधार पर ईसी जारी किया गया है, तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। इस मामले में समाशोधन प्रक्रिया को नवीनतम रूप से चालू करना होता है।

इसके अतिरिक्त, ईआईए परामर्शक को मान्यताप्राप्त परामर्शक सूची से हटा दिया जाएगा।

दिनांक: 5 अक्टूबर 2011

लिंक: http://envfor.nic.in/downloads/public-information/OM_IA_ownershipEIA.pdf

2.6.2 कोयला संयोजन

ईसी/एफसी वाले कोल इंडिया या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी की बास्केट कोयला की स्वदेशी कोयला पर निर्भर तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए, ईसी प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा जब बास्केट कोयले का कैलोरिफिक मान, भस्म और सल्फर मात्रा ईआईए/ईएमपी में वर्णित हो।

कोयला संयोजन, प्रस्तावित परियोजना के लिए समाशोधन प्रदान करने हेतु एक पूर्व-अपेक्षा है। स्थायी कोयला मंत्रालय संयोजन समिति द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट खदान/खदान बास्केट/समर्पित कोयला ब्लॉक से ईंधन आपूर्ति अनुबंध या संयोजन करना आवश्यक है। इस संयोजन द्वारा कैलोरिफिक मान के अलावा कोयला भस्म और सल्फर मात्रा प्रदान करनी होगी। परियोजना के लिए ईआईए तैयार करते समय इन कोयले की मात्रा का ध्यान रखना होगा।

इसके बाद, यदि कोयले के इन मापदण्डों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो ईसी शर्तों के पुनर्लोकन के लिए और परिशुद्धता की जांच के लिए एमओईएफ को सूचित करना होता है। इसमें सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए ग्रिप गैस डिसल्फराइजेशन प्रावधान सहित अतिरिक्त शर्तों को शामिल किया जा सकता है।

दिनांक: 19 अप्रैल 2012

लिंक: <http://envfor.nic.in/downloads/public-information/notif-20042012.pdf>

ईआईए रिपोर्ट में कोयला संयोजन आवश्यक है न कि संदर्भ शर्तों के जारी करने के लिए।

दिनांक: 19 जनवरी 2011

Link : <http://envfor.nic.in/downloads/public-information/Cir-19-01-2011.pdf>

2.6.3 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी)

अक्षत क्षेत्र ऐसी जगह होती है जिसमें विशेष औद्योगिकी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं होती है। यदि यूएमपीपी से संबद्ध कोयला अक्षत क्षेत्र में नहीं आता है, तो यूएमपीपी के ईसी को कोयला आवंटन के लिए आवश्यक ईसी व चरण 1 एफसी से जोड़े बिना पृथक से विचार किया जाएगा।

आयातित कोयला प्रयोग करने वाले यूएमपीपी के लिए, निम्नलिखित मापदण्ड आवश्यक हैं:

कुल कैलोरिफिक मान (Kcal/Kg) – न्यूनतम

भस्म मात्रा – अधिकतम 12%

सल्फर मात्रा – अधिकतम 0.8%

इन मापदण्ड की अनुपालना में ईसी की वैधता होगी।

इन परियोजना के ईआईए/ईएमपी में निम्नलिखित विवरण को भी सम्मिलित करना होगा:

- ◆ आयातित कोयले के लिए आवश्यक बंदरगाह, घाट, रेलवे लाइन

- ◆ बंदरगाह की कोयला संचालन क्षमता
- ◆ कोयले का बंदरगाह से संयंत्र तक परिवहन

आदेश 1 दिनांक— 30 दिसम्बर 2013

Link : <http://MoEF.nic.in/sites/default/files/OM%2030.12.2013.pdf>

आदेश 2 दिनांक—5 फरवरी 2013

Link : <http://MoEF.nic.in/assets/om-050513.pdf>

2.6.4 ईसी / एफसी / सीआरजेड का उल्लंघन

परियोजना प्रस्तावक को गैर-वन भूमि पर परियोजना स्थित करने की व्यवहार्यता को स्पष्ट करना होगा। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो वन-भूमि परिवर्तन अनुमोदन की मांग करते हुए प्रपत्र¹ जमा करने से पहले पूर्व आवेदन करना होगा। वन भूमि (वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत) परिवर्तन अनुमोदन प्राप्त करने के चरण 1 के बाद ही इस तरह की परियोजनाओं के लिए ईसी जारी किया जाता है।

- ◆ यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वैध सीआरजेड या एफसी या ईसी के बिना या इसकी शर्तों के उल्लंघन में निर्माण कार्य जारी रखता है, तो एमओईएफ द्वारा मौजूद स्तर पर अपेक्षित समाशोधन प्राप्त करने या संशोधन करने तक निर्माणकारी गतिविधियों को स्थगित करने का आदेश दिया जाएगा।
- ◆ यदि परियोजना प्रस्तावक सीआरजेड / ईसी जारी करने की क्षमता से अधिक उत्पादन करने में कार्यरत है, तो एमओईएफ द्वारा प्रस्तावक को यह आदेश दिया जाएगा कि वह विस्तारित मात्रा के लिए समाशोधन प्राप्त करने तक अनुमत क्षमता के उत्पादन को रोक दें।
- ◆ यदि कोई संयंत्र सीआरजेड / ईसी के बिना परिचालित है, तो समाशोधन प्राप्त करने तक एमओईएफ द्वारा उत्पादन को पूरी तरह रोकने का आदेश दिया जाएगा।
- ◆ एमओईएफ द्वारा परियोजना का आधुनिकीकरण या इसके उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन को समाशोधन प्राप्त करने तक रोक दिया जाएगा और इस तरह के आधुनिकीकरण / परिवर्तन की पूर्व स्थिति को जारी रखा जाएगा।

एमओईएफ इन आदेशों को परियोजना प्रस्तावक से अनुपालन प्राप्त करने के अलावा इन्हें जारी करने के कार्य के प्रति उत्तरदायी है। उपर्युक्त निर्देशों का किसी भी तरह उल्लंघन करने पर, एमओईएफ द्वारा ईपीए 1986 प्रावधान के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और समाशोधन को तुरंत निरस्त किया जा सकता है।

आदेश तिथि: 27 जून 2013

Link : <http://www.MoEF.nic.in/sites/default/files/om-270613.pdf>

समाशोधनरहित प्रचालन:

यदि एमओईएफ को अपेक्षित सीआरजेड/ईसी रहित संयंत्र प्रचालन के बारे में शिकायत मिलती है, तो तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य सरकार या क्षेत्रीय एमओईएफ कार्यालय द्वारा शिकायत की सत्यता का सत्यापन किया जाएगा। 60 दिन में, परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस मामले को निदेशक मण्डल (कम्पनियों के लिए) या सीईओ (न्यास के लिए) के समक्ष लाकर, उल्लंघन न दोहराने के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा। इसी बीच, एमओईएफ द्वारा इस परियोजना को सूची से हटा दिया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक का विवरण और प्रस्ताव प्रतिलिपी को एमओईएफ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

यदि 60 दिन के अंतर्गत कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि परियोजना प्रस्तावक परियोजना को जारी नहीं रखना चाहता है और इसकी फाइल बंद कर दी जाएगी। यदि परियोजना प्रस्तावक फिर भी परियोजना में रूचि रखता है तो नवीन प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी।

राज्य सरकार द्वारा उल्लंघन अवधि के लिए परियोजना प्रस्तावक पर कानूनी कार्यवाही करने हेतु विश्वसनीय कदम उठाये जाएंगे। फिर अमल में लाई गई विश्वसनीय कार्यवाही के प्रमाण एमओईएफ को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

उल्लंघन पर कार्यवाही करने के बाद, समाशोधन प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिश्स अमल में लायी जाएगी। हालांकि, इन मामलों के लिए टीओआर या ईसी प्रदान करना, परियोजना प्रस्तावक के अधिकार की बात नहीं होगी। यदि उल्लंघन प्रकृति गंभीर है, तो मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को पूर्णतया निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक: 12 दिसम्बर 2012

लिंक: <http://MoEF.nic.in/assets/om-12122012-b.pdf>

2.6.5 लोक सुनवाई

प्रचार:

विभिन्न परियोजना से संबंधित सुनवाई को प्रदत्त दिन पर एक ही समय आयोजित नहीं किया जा सकता है। यदि दो सुनवाई एक ही दिन की जानी है, तो उनके बीच पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

एसपीसीबी द्वारा लोक सुनवाई प्रक्रिया के प्रचार विवरण में उल्लेख करना होगा। एसपीसीबी को यह प्रमाणित करना होगा कि अनुपालित प्रक्रिया पर्याप्त थी।

Link: http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/pub_hear_EIA.pdf

एसईजेड में लोक सुनवाई:

यदि सम्पूर्ण एसईजेड में लोक सुनवाई होती है, तो इसकी व्यक्तिगत इकाई में दूसरी सुनवाई का संचालन नहीं हो सकता है। लेकिन शुरूआती लोक सुनवाई के दौरान किसी भी व्यक्तिगत इकाई/प्रक्रिया, जो कि एसईजेड का भाग न हो, के लिए नवीन सुनवाई का संचालन करना होगा।

दिनांक: 1 नवम्बर 2012

लिंक: <http://MoEF.nic.in/assets/ia-01112012.pdf>

लोक सुनवाई (पीएच) कार्यवाही अपलोड करना:

सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा अपने संबंधित वेबसाइट में लोक सुनवाई कार्यवाही को नियमित व उचित प्राथमिकता के साथ प्रदर्शित करना होगा।

दिनांक: 20 मार्च 2012

लिंक: Link : <http://envfor.nic.in/downloads/public-information/order-20032012-b.pdf>

2.6.6 मौजूद संयंत्रों की निरीक्षण

क्षेत्रीय एमओईएफ कार्यालय द्वारा निर्माण-स्थल का दौरा कर, मौजूद परियोजनाओं की ईसी शर्तों के अनुपालन के निरीक्षण के साथ ईसी शर्तों की पारदर्शिता अनुपालन की भी जांच करनी होगी। इसे उनकी निगरानी रिपोर्ट में शामिल करना होगा।

ईसी पत्रों की पारदर्शिता शर्त में आमतौर पर प्रस्तावक की वेबसाइट पर अनुपालन स्थिति और निगरानी डेटा को अपलोड करने की शर्त शामिल की जाती है। नवीनतम अनुपालन रिपोर्ट को एमओईएफ/एसईआईए वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। सभी अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक प्रपत्र है।

दिनांक: 5 अगस्त 2011

लिंक: <http://envfor.nic.in/downloads/public-information/O.M-dated-05.08.2011.pdf>

500 मेगावाट से अधिक क्षमता के मौजूद तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा अपने संयंत्र के धुआँरे (स्टैक) उत्सर्जन और परिवेशी वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करनी होगी। स्वीकार्य सीमा के अंतर्गत उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय अपनाने होंगे।

एसपीसीबी, क्षेत्रीय एमओईएफ कार्यालय में छ:माही निरीक्षण रिपोर्ट जमा करानी होगी और इसे परियोजना प्रस्तावक कम्पनी की वेबसाइट में अपलोड करना होगा। कम्पनी के मुख्य द्वार के निकट सामान्य लोक क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता और धुआँरा उत्सर्जन डेटा प्रदर्शित करना और उचित समय पर अपडेट करना होगा।

दिनांक: 6 अप्रैल 2011

लिंक: Link : <http://envfor.nic.in/downloads/public-information/Addtnl-Con-mega-prjt.pdf>

2.6.7 एक ही जमीन पर परियोजनाएं

यदि एक ही जमीन पर दो परियोजनाएं पर्यावरण समाशोधन के लिए आवेदन की जाती है, तो दोनों परियोजनाओं को रोक दिया जाएगा, और संबंधित राज्य सरकार से इस मसले पर सलाह ली जाएगी। राज्य सरकार द्वारा अनुमत परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा, और ईआईए प्रक्रिया विधिवत रूप से पालन किया जाएगा।

दिनांक: 8 जून 2011

लिंक: <http://envfor.nic.in/downloads/public-information/App-rcvd-prcdr.pdf>

2.6.8 कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति

500 मेगावाट के समान व अधिक क्षमता के सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और टीपीपी द्वारा वानिकी/पर्यावरण समाशोधन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति अपनाना होगा। मंत्रालय या किसी भी लोक अधिकारी द्वारा प्राप्त किसी भी ईसी व एफसी शर्तों के उल्लंघन के बारे में उनके निदेशक मण्डल को सूचित करना होगा और इसके बारे में परियोजना प्रस्तावक की वेबसाइट व वार्षिक रिपोर्ट में घोषणा करनी होगी। सभी परियोजना प्रस्तावों के लिए, ईएसी द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति से संबंधित पहलू, विशेष रूप से इसके अनुपालन व व्यापकता के बारे में विचार करना होगा।

दिनांक: 26 अप्रैल 2011

लिंक: <http://envfor.nic.in/downloads/public-information/corporate-env-res.pdf>

2.6.9 ईसी जारी करने से पहले स्वीकार्य गतिविधियां

निर्माण-स्थल को अतिक्रमण से बचाने के लिए तारबंदी करना।

सुरक्षाकर्मी के लिए अस्थायी आवास का निर्माण करना।

किसी भी अन्य गतिविधि के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान के अंतर्गत टीओआर का स्थगित या प्रत्याहार किया जा सकता है और परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक: 19 अगस्त 2010

लिंक: <http://envfor.nic.in/downloads/public-information/Act-prior-EC.pdf>

2.6.10 परियोजना विस्तार

पिछले चरण का क्रियान्वयन प्रारंभ होने पर ही परियोजना विस्तार के ईसी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यदि शुरूआती चरण के लिए ईसी जारी नहीं किया गया है, तो परियोजना प्रस्तावक को सभी चरणों को एकत्रित करने के लिए नवीनतम आवेदन करना होगा ताकि पर्यावरण मुद्दों का समग्र मूल्यांकन किया जा सके।

दिनांक: 22 मार्च 2010

लिंक: http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/EXP_EC.pdf

जब परियोजना प्रस्तावक मौजूद परियोजना विस्तार के लिए ईसी हेतु आवेदन करता है, तो क्षेत्रीय एमओईएफ कार्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाणित रिपोर्ट को ईसी शर्तों के अनुपालन पर जमा करानी होगी। इस प्रपत्र के बिना, विस्तार आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अनुपालन रिपोर्ट के बारे में परियोजना विस्तार मूल्यांकन ईएसी मितिग में विचार-विमर्श किया जाएं और इसके कार्यवृत्त को विधिवत रूप से रिकॉर्ड किया जाएं।

दिनांक: 30 मई 2012

लिंक: <http://MoEF.nic.in/downloads/public-information/eia-300512.pdf>

2.6.11 टीओआर वैधता

ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 वर्ष की वैधता अवधि के साथ टीओआर जारी किया जाएगा। उचित कारण और ईएसी/एसईएसी की स्वीकृति पर तीन वर्ष की छूट दी जा सकती है।

22 मार्च 2010

लिंक: http://envfor.nic.in/divisions/iass/Cir/TOR_EC.pdf

2.6.12 अंतरसंबद्ध परियोजनाएं

बहु-क्षेत्रीय घटकों वाली एकीकृत व अंतरसंबद्ध परियोजना को प्रत्येक क्षेत्रीय ईएसी/एसईएसी से टीओआर प्राप्त करने के बाद, व्यापक रूप से प्रत्येक घटकों को सम्मिलित करते हुए सामान्य ईआई रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस सामान्य ईआई रिपोर्ट को प्रत्येक क्षेत्रीय ईएसी/एसईएसी का सामूहिक विचार माना जाएगा। उनकी सिफारिशों के बाद, विनियामक प्राधिकरण से एकसाथ अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इन प्रस्तावों की पृथक फाइलें तैयार की जाएगी।

दिनांक: 24 दिसम्बर 2010

लिंक: <http://envfor.nic.in/downloads/public-information/integrated-interlinked-prjt.pdf>

2.7 ईसी व ईआईए के लिए आरटीआई अधिनियम प्रयोग करना

2.7.1 ईसी/ईआईए दस्तावेज के लिए आवेदन

2.7.2 आटीआई निवेदन के लिए पता व भुगतान विधि

2.7.3 आरटीआई पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

2.7.4 आरटीआई प्रवाह-संचित्र

2.7.5 केन्द्र सरकार का अपील प्रारूप

2.7.6 एमआईइएफ का आवेदन प्रारूप

2.7.1 आरटीआई के माध्यम से ईसी/ईआईए दस्तावेज के लिए आवेदन

चरण	(निवेदन करने पर) जनता के लिए उपलब्ध दस्तावेज	(परियोजना क्षमता <500मेगावाट है) तो			(परियोजना क्षमता ≥500मेगावाट है) तो		
		आरटीआई आवेदन-पत्र भेजें			आरटीआई आवेदन-पत्र भेजें		
		पीआईओ	एए	2 अपील	पीओईओ	एए	2 अपील
टीओआर जारी करने से पहले	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावक के टीओआर सहित प्रपत्र 1 2. पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट 3. परियोजना प्रस्तावक से अतिरिक्त जानकारी 4. एसईएसी/ईएसी मितिंग की तिथि के लिए एसईआईएए/एमओईएफ को पत्र 5. एसईएसी/ईएसी मितिंग का कार्यवृत्त 6. एसईएसी/ईएसी की निर्माण-स्थल दौरा रिपोर्ट, यदि आयोजित हो 	एसईआईएए	एसईआईएए	सीआईसी	एमओईएफ	एमओईएफ	सीआईसी
टीओआर जारी करने पर	<ol style="list-style-type: none"> 7. एसईआईएए/एमओईएफ द्वारा जारी टीओआर 						
लोक परामर्श की घोषणा करने पर	<ol style="list-style-type: none"> 8. परियोजना प्रस्ताव द्वारा ईआईए प्रारूप 9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए प्रारूप का कार्यकारी संक्षिप्त विवरण 						
लोक परामर्श समापन होने पर	<ol style="list-style-type: none"> 10. तुलनात्मक लिखित प्रत्युत्तर 11. लोक सुनवाई रिपोर्ट 12. लोक सुनवाई का विडियोटेप 	एसपीसीबी	एसपीसीबी	एसआईसी	एसपीसीबी	एसपीसीबी	एसआईसी

चरण	(निवेदन करने पर) जनता के लिए उपलब्ध दस्तावेज	(परियोजना क्षमता <500मेगावाट है) तो			(परियोजना क्षमता ≥500मेगावाट है) तो		
		आरटीआई आवेदन-पत्र भेजें			आरटीआई आवेदन-पत्र भेजें		
		पीआईओ	एए	2 अपील	पीओआईओ	एए	2 अपील
ईसी जारी करने/ आवेदन निरस्त करने से पहले	13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम ईआईए 14. टीओआर की अनुपालना में अंतिम ईआईए पर एसईआईए/एमओईएफ की टिप्पणियां 15. परियोजना प्रस्तावक के साथ एसईएसी/ईएसी मिटिंग का कार्यवृत्त 16. एसईएसी/ईएसी द्वारा ईसी जारी/निरस्त करने के लिए सिफारिश	एसईआईएए	एसईआईएए	सीआईसी	एमओईएफ	एमओईएफ	सीआईसी
ईसी जारी करने पर	17. पर्यावरण समाशोधन 18. परियोजना प्रस्तावक की अनुपालन रिपोर्ट	एसईआईएए	एसईआईएए	सीआईसी	एमओईएफ	एमओईएफ	सीआईसी
	19. एसपीसीबी की निरीक्षण रिपोर्ट	एसपीसीबी	एसपीसीबी	एसआईसी	एसपीसीबी	एसपीसीबी	एसआईसी

2.7.2 आरटीआई आवेदन के लिए पता व भुगतान विधि

प्राधिकरण	पता	स्वीकार्य भुगतान विधि	आवेदन शुल्क	अपील शुल्क ²⁰
एमओईएफ	पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 फोन: 11-24362064	पीएओ एमओईएफ नई दिल्ली के पक्ष में नगद, पोस्टल ऑर्डर, डीडी व चेक	10 रु.	नहीं
एसईआईएए, आंध्रप्रदेश	पर्यावरण भवन, ए-III, औद्योगिक क्षेत्र, सानत नगर, हैदराबाद-500018, फोन: 040-23887594	नगद	लोक प्राधिकरण गांव: नि:शुल्क मण्डल: 5 रु. अन्य: 10रु.	नहीं
एसईआईएए, आंध्रप्रदेश. कर्नाटक	7वीं मंजिल, एम.एस. भवन, 4 फेज, बैंगलोर-560001. कर्नाटक फोन: 080-22032497	पोस्टल ऑर्डर	10 रु.	नहीं

20 गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं।
इस मामले में आवेदन-पत्र के साथ बीपीएल की एक प्रतिलिपी संलग्न करें।

प्राधिकरण	पता	स्वीकार्य भुगतान विधि	आवेदन शुल्क	अपील शुल्क ²⁰
एसईआईएए, केरल	पाल्लिमुक्कू पेट्टाह पीओ, त्रिवेन्द्रम-695024 केरल. फोन: 0471-2742264	राज्य लोक सूचना अधिकारी, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में कोर्ट शुल्क स्टाम्प, बैंकर्स चेक	10 रु.	नहीं
एसईआईएए, तमिलनाडु	3 मंजिल, पानागल मालिगल, नं. 1, जीनिस रोड, सेदापेट, चेन्नई: 600015, तमिलनाडु फोन: 044-24359974	कोर्ट शुल्क स्टाम्प, डिमाण्ड ड्राफ्ट	10 रु.	नहीं

2.7.3 आरटीआई पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम क्या है?
2. लोक प्राधिकरण कौन है?
3. मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
4. लोक प्राधिकरण को लिखित पत्र/याचिका देने से आरटीआई आवेदन किस प्रकार भिन्न है?
5. क्या आरटीआई आवेदन के लिए कोई शब्द सीमा है?
6. मुझे आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?
7. आरटीआई के प्रयोग से क्या-क्या प्राप्त किये जा सकते हैं?
8. आरटीआई के प्रयोग से कौनसी सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है?
9. मैं कौनसी भाषा में सूचना की मांग कर सकता हूँ/सकती हूँ?
10. मैं आवश्यक सूचना को किस तरह देख/नकल प्राप्त कर सकता हूँ?
11. मांग गई सूचना को अधिकारी किस प्रकार प्रदान करेंगे?
12. क्या आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगने का कोई नमूना-पत्र है?
13. क्या मैं ऑनलाइन आरटीआई दर्ज करा सकता हूँ?
14. जवाब प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है?
15. क्या उचित लोक अधिकारी को संबोधित न करने के कारण आरटीआई आवेदन-पत्र को लौटाया जा सकता है?
16. क्या मुझे सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क अदा करनी पड़ेगी?
17. मेरे आरटीआई आवेदन का जवाब न मिलने पर क्या करना होगा?
18. यदि प्राप्त सूचना गलत/अधूरी है तो क्या होगा?
19. क्या मुझे सूचना के लिए मना किया जा सकता है?

20. यदि मैं अपीलीय अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ तो क्या कर सकता हूँ?
21. क्या एसआईसी/सीआईसी समय-सीमा के अंदर आदेश जारी करने के लिए बाध्य है?
22. मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने वाले अधिकारी के साथ क्या होता है?

1. सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है?

राज्य व केन्द्र सरकार की कार्यप्रणाली में अत्यधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के लिए वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। यह भारत के सभी नागरिकों को दोनों सरकारों के लोक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है।

2. लोक प्राधिकरण कौन है?

लोक प्राधिकरण का संबंध संविधान, संसद या राज्य विधानसभा के नियम से गठित सभी प्राधिकरण, निकाय और अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं से है। इसमें सरकार द्वारा अधिकृत, नियंत्रित और मूल रूप से वित्तपोषित सभी निकाय, और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित एनजीओ भी शामिल होते हैं।

3. मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकरण में नियुक्त लोक सूचना अधिकारी, मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएंगे। इसलिए, आरटीआई आवेदन उनके नाम संबोधित हो। लोक प्राधिकरण में उप-जिला या उपखण्ड स्तर पर, आवेदन/अपील प्राप्त करने और उन्हें पीआईओ को प्रेषित करने के लिए सहायक-पीआईओ नियुक्त किया जाता है।

4. लोक प्राधिकरण को लिखित पत्र/याचिका देने से आरटीआई आवेदन-पत्र किस प्रकार भिन्न है?

सूचना के लिए नियमित पत्र/याचिका के विपरीत, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण को समय-सीमा के अंतर्गत निवेदन का जवाब देना होता है।

निर्दिष्ट समय-सीमा के अंतर्गत उचित सूचना प्रदान न करने वाले अधिकारी को दण्डित करने, और जरूरत पड़ने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, आरटीआई के प्रयोग से सूचना प्राप्त करने की प्रकृति अनगिनत है। इस अधिनियम के अनुसार, संसद और राज्य विधानसभा को प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी को आरटीआई के प्रयोग से जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है।

किसी भी सूचना का अनुरोध करने वाले व्यक्ति को मांगी जाने वाली सूचना का कारण बताने की जरूरत नहीं है, और न ही उन्हें अपने संपर्क पते के अलावा व्यक्तिगत जानकारी व्यक्त करने की जरूरत है।

5. क्या आरटीआई आवेदन के लिए कोई शब्द सीमा है?

हाँ! संलग्नक को छोड़कर, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और आवेदक के पते सहित पांच सौ शब्दों से अधिक न हो।

आपके आवेदन में 500 से अधिक शब्द होने पर सूचना को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

6. मुझे आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?

संबंधित लोक प्राधिकरण से आपकी इच्छित सूचना की मांग करते हुए मानक शुल्क के साथ एक सामान्य पत्र प्रस्तुत किया जाता है। यह आवेदन-पत्र संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें आरटीआई अनुरोध प्राप्त करने व कार्यवाही करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रयोजन के लिए लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) का लिखना आवश्यक नहीं है। यह आवेदन-पत्र सिर्फ पीआईओ के पते पर भेजा जा सकता है। यदि आप पत्र लिखने में असक्षम हैं, तो संबंधित पीआईओ आवेदन-पत्र लिखने में आपकी मदद करेगा।

7. आरटीआई के प्रयोग क्या-क्या प्राप्त किया जा सकता है?

आरटीआई के अंतर्गत, आप निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

◆ दस्तावेज, रिकॉर्ड, ज्ञापन, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, कार्य-पंजी, संपर्क, रिपोर्ट, लेखा-पत्र, परिपत्र, नमूने, मॉडल।

◆ इलेक्ट्रॉनिक रूप में आंकड़े, दस्तावेज की अनुलिपी प्रति।

◆ माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिचे या माइक्रोफिल्म छवियों की प्रतिलिपी।

8. आरटीआई के प्रयोग से कौनसी सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है?

प्राप्त न की जा सकने वाली सूचना में शामिल हैं:

i) जो भारत की अखण्डता व सम्प्रभुता को प्रभावित कर सकती है

ii) जो भारत की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक और आर्थिक हित से संबंधित है, या विदेश राज्य के संबंध है या हिंसा भड़काने वाली हो

iii) जो किसी भी अदालत, नियम या अधिकरण द्वारा प्रकाशन करने पर प्रतिबंधित हो

iv) जिसके खुलासे से न्यायालय की अवमानना हो

v) जिसके खुलासे से संसद या राज्य विधानसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो

vi) जिसमें व्यापार रहस्य और बौद्धिक सम्पत्ति सम्मिलित हो, जिसको प्रकट होने पर किसी तीसरी पार्टी के प्रतिस्पर्धी पद को नुकसान हो, चाहे इस खुलासे से अत्यधिक लोक हित ही क्यों न हो

- vii) जो किसी व्यक्ति के विश्वासाश्रित संबंध के लिए उपलब्ध हों, चाहे इस खुलासे से अत्यधिक लोक हित होता हो
- viii) जो विदेशी सरकार के विश्वास से प्राप्त हो
- ix) जिसके खुलासे से किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को खतरा हो सकता है
- x) जो अपराधियों की जाँच-प्रक्रिया या गिरफ्तारी या अभियोग में बाधा पहुंचा सकती है
- xi) फैसला सार्वजनिक होने तक फैसले पर मंत्रिमण्डल के लेखापत्र
- xii) जो किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से असंबंधित व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो, या जिससे गोपनीयता पर हमला हो सकता है
9. मैं कौनसी भाषा में सूचना की मांग कर सकता हूँ/सकती हूँ?
अंग्रेजी, हिन्दी या जहाँ आवेदन दर्ज किया जाता है उस क्षेत्र की कार्यालय भाषा में सूचना की मांग की जा सकती है।
10. मैं अपेक्षित सूचना को किस तरह देख/नकल प्राप्त कर सकता हूँ?
आरटीआई अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि आप निम्नलिखित अवलोकन करने में सक्षम हैं:
- ◆ अपेक्षित दस्तावेज, हस्तलेख और रिकॉर्ड का निरीक्षण
 - ◆ टिप्पणी लेना, प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां या उनके अंशों की प्रतिलिपी प्राप्त करना
 - ◆ सामग्री का प्रमाणित नमूना लेना
 - ◆ सीडी, फ्लोपी, टेप, विडियो कैसट, प्रिंटआउट (सूचना कम्प्यूटर में स्टोर होने पर) या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त करना
11. मांगी गई सूचना को अधिकारी किस प्रकार प्रदान करेंगे?
मांगी गई सूचना को आपके द्वारा चाहे गये रूप में ही उपलब्ध कराना होगा, चाहे इससे लोक प्राधिकरण को 'अधिकतर स्रोत से वंचित होना पड़े'। या आपके द्वारा मांगी गये रूप में उपलब्ध कराने पर रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए खतरा हो।
12. क्या आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगने का कोई नमूना-पत्र है?
नहीं! आरटीआई आवेदन के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है। लेकिन आवेदक को निम्नलिखित विवरण शामिल करना होता है:
- ◆ आवेदन तिथि
 - ◆ संबंधित पीआईओ का पता
 - ◆ आवेदक का पता
 - ◆ मांगी गई सूचना (यह सलाह दी जाती है कि सूचना संख्या रूप या सारणी रूप में मांग करें ताकि इसके जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा)

- ◆ प्रपत्र जिसमें सूचना मांगी गई है—प्रिंटआउट, सीडी, ई-मेल
- ◆ भुगतान जोड़े/संलग्न करें
- ◆ भुगतान विधि का उल्लेख करें
- ◆ हस्ताक्षर

कई राज्य सरकार और केन्द्र सरकारी प्राधिकरणों ने आरटीआई अनुरोध के लिए नमूना प्रपत्र निर्धारित किया है। पर्यावरण व वन मंत्रालय ने यहाँ एक प्रारूप निर्दिष्ट किया है:

http://envfor.nic.in/sites/default/files/app_pro.pdf

केन्द्रीय सूचना आयोग का भी अपील प्रारूप है। हालांकि, इसका पालन करना अनिवार्य नहीं है और इस कारण से किसी भी आवेदन/अपील की सूचना को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

13. क्या मैं ऑनलाइन आरटीआई दर्ज करा सकता हूँ?

यह संबंधित लोक प्राधिकरण पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लांच किया है:—<http://rtionline.gov.in/>

इस पोर्टल के जरिये आप चयनित केन्द्र सरकारी मंत्रालयों में आरटीआई आवेदन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए कुछ राज्य वेबसाइट लांच करने की प्रक्रिया में कार्यरत है।

यदि मांगी सूचना किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता के संबंध में है, तो अनुरोधित सूचना 48 घंटे में उपलब्ध करा दी जाएगी।

14. जवाब प्राप्त करने की क्या समय-सीमा है?

आरटीआई अनुरोध प्राप्त करने की तिथि से 30 दिन के अंतर्गत पीआईओ द्वारा सूचना प्रदान की जाएगी। यदि आवेदन एपीआईओ को जमा की गई, तो जवाब देने में 5 दिन अधिक लगेंगे। यदि मांगी सूचना किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता के संबंध में है, तो अनुरोधित सूचना 48 घंटे में उपलब्ध करा दी जाएगी।

15. क्या उचित लोक प्राधिकरण को संबोधित न करने के कारण आरटीआई आवेदन-पत्र को लौटाया जा सकता है?

नहीं! इस अधिनियम के अंतर्गत, आपके पीआईओ के नाम सूचना अनुरोध आवेदन-पत्र को निवेदन प्राप्ति की तिथि से 5 दिन के अंतर्गत उचित पीआईओ को प्रेषित कर दिया जाएगा।

16. क्या मुझे सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क अदा करनी होगी?

हाँ! राज्य सरकार इसके लिए शुल्क निर्धारित करती है जिसे राज्य लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए वसूल कर करती है।

अपने आरटीआई आवेदन को भेजने से पहले इसकी एक प्रतिलिपी अपने पास रखें! रसीद पावती के लिए आरटीआई आवेदन-पत्र को पंजीकृत डाक से भेजें।

केन्द्र सरकार ने प्रति आवेदन-पत्र 10 रु. शुल्क की घोषणा की है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिरोपित शुल्क और उनके द्वारा भुगतान विधि के लिए सारणी II (उपर्युक्त) देखें।

यदि आपके पास गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी का कार्ड है, तो आपको आरटीआई शुल्क अदा करने की जरूरत नहीं है, और आपको सूचना अनुरोध के साथ इस कार्ड की एक प्रतिलिपी संलग्न करनी होगी।

आवेदन-शुल्क के अलावा, प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक रूप में मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए भी लोक प्राधिकरण आपसे शुल्क अधिरोपित कर सकते हैं। यह अनुरोधित डेटा मात्रा पर निर्भर करता है। आमतौर पर, कई पृष्ठों वाली सूचना के लिए प्रति पृष्ठ 2 रुपये के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। पीआईओ द्वारा अपने जवाब में सूचना के लिए अपेक्षित अतिरिक्त शुल्क का उल्लेख किया जाएगा।

यदि सूचना निर्दिष्ट 30 के अंदर प्रदान नहीं की जाती है, तो उस जानकारी को निःशुल्क प्रदान करना होगा।

17. मेरे आरटीआई आवेदन का जवाब न मिलने पर क्या करना होगा?

आपको अपील करनी चाहिए। यह अपील, उस अपीलीय प्राधिकारी को करनी होगी, जिसे प्रत्येक लोक प्राधिकरण में आरटीआई अपील पर कार्यवाही करने का काम दिया हो। आपके आवेदन-पत्र का जवाब मिलने के उचित समय बाद 30 दिन के अंतर्गत अपील करनी होगी—अर्थात्, आपका आरटीआई आवेदन-पत्र लोक प्राधिकरण के पास पहुंचने के बाद 30 से 60 दिन के बीच अपील करना होगा।

18. प्राप्त सूचना गलत/अधूरी है तो क्या करना होगा?

आपको अपीलीय प्राधिकारी को अपील करना होगा। यह अपील जवाब प्राप्ति के 30 दिन के अंतर्गत करना होगा। यदि विलम्ब का कोई उचित कारण है, तो अनुमत समयावधि के बाद भी अपील की जा सकती है।

19. क्या मुझे सूचना के लिए मना किया जा सकता है?


हाँ! खास जानकारी को आरटीआई के प्रयोग से व्यक्त नहीं करना पड़ता है। ऐसे मामले में, सूचना को अस्वीकार किया जा सकता है। फिर भी यदि आपको लगता है कि वह सूचना आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध होनी चाहिए तो आप इस अस्वीकृति के विरुद्ध अपील कर सकते हैं

यह अपील जवाब प्राप्त करने की तिथि से 30 दिन के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी को सूचित करनी होगी।

जब पीआईओ द्वारा आपके अनुरोध को निरस्त किया जाता है, तो अस्वीकरण का कारण, आप किस तरह अस्वीकरण के विरुद्ध अपील कर सकते हैं और जिस अपीलीय प्राधिकारी का अपील भेजनी होगी वह सब उनके जवाबों में उल्लेख होगा।

20. यदि मैं अपीलीय प्राधिकरण के जवाब से असंतुष्ट रहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ?
- इस मामले में, आप संबंधित केन्द्र/राज्य सूचना आयोग से दूसरी अपील कर सकते हैं। आरटीआई अपील जवाब समापन अवधि 90 दिन के अंतर्गत या अपील के लिए जवाब प्राप्ति से 90 दिन में अपील कर सकते हैं। इस अवधि के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है यदि विलम्ब का कोई वैध कारण प्रदान किया हो।
21. क्या एसआईसी/सीआईसी समय-सीमा के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए बाध्य है? नहीं, एसआईसी/सीआईसी आदेश के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।
22. मांगी सूचना उपलब्ध न कराने वाले अधिकारी के साथ क्या होता है?
- यदि सीआईसी/एसआईसी को लगता है कि पीआईओ ने
- आरटीआई आवेदन प्राप्त करने के लिए अनुचित रूप से मना किया है
 - निर्दिष्ट समय में सूचना प्रदान करने के लिए अनुचित रूप से मना किया है
 - जानकारी का विलम्ब किया है
 - जानबूझकर गलत, अधूरी, भ्रामक जानकारी दी है
 - अनुरोधित सूचना को नष्ट कर दिया है
 - किसी भी तरीके से सूचना प्रदान करने में रूकावट डाली है
- पीआईओ द्वारा आवेदन प्राप्त करने या सूचना प्रदान करने तक, उस पर रोजाना जुर्माना 250/-रुपये अधिरोपित किया जा सकता है। अधिरोपित किया जाने वाला अधिकतम जुर्माना 25,000/-रुपये है।

2.7.4 आरटीआई प्रवाह-संचित्र



2.7.5 केन्द्र सरकार का अपील प्रारूप

1. अपीलार्थी का नाम व पता
2. आवेदन संबोधित किये जाने वाले केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता
3. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी जिसने आवेदन का जवाब दिया है, का नाम व पता
4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पता
5. जिसने प्रथम अपील का फैसला किया है?
6. आवेदन का विवरण
7. जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उस आदेश की संख्या सहित विवरण, यदि कोई हो
8. संक्षिप्त तथ्य जिसके कारण अपील की जानी है
9. प्रार्थना या मांगी गई राहत
10. प्रार्थना या राहत के लिए आधार तथ्य
11. अपील से संबंधित अन्य कोई सूचना
12. अपीलार्थी द्वारा सत्यापन / प्रमाणीकरण

नोट:-

इस नमूना-प्रत्र का पालन करना अनिवार्य नहीं है और इसकी पालन न करने वाले आवेदन/अपील को सूचना प्रदान करने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लिंक: यह अपील प्रारूप, सूचना का अधिकार नियम, 2012 का भाग है। इसे यहाँ प्राप्त किया जा सकता है:

http://ccis.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D2/D02rti/1_35_2009-IR-1.pdf

3. अक्षय ऊर्जा में स्थानांतरण

3.1 अक्षय ऊर्जा स्रोत

3.2 अक्षय विद्युत परियोजनाएं

3.3 अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां व प्रोत्साहन योजनाएं

स्थायी व स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन के लिए अक्षय ऊर्जा (आरई) में अनन्त व प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है जैसे सूर्य, वायु, पेड़-पौधे और पानी। अक्षय ऊर्जा के पर्यावरण व आर्थिक लाभ हैं:

- ◆ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बिना ऊर्जा उत्पादन और वायु प्रदूषण में कमी।
- ◆ ऊर्जा विविधता से आयातित ईंधन पर निर्भरता में कमी आती है।
- ◆ आर्थिक विकास और विनिर्माण, इंस्टॉलेशन में नौकरी और अन्य।

3.1 अक्षय ऊर्जा स्रोत

सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन के लिए सूर्य की प्रकाश शक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे भवन में उजाला करने, पानी गर्म, ठंडा करने और अन्य विविध कमर्शियल व औद्योगिक उपयोगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

वायु ऊर्जा में बिजली उत्पादन, बैटरी चार्ज करने, पानी खींचने और अनाज पीसने के लिए वायु की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। पवन-चक्की संयंत्र का निर्माण करने के लिए पास-पास कई टरबाइन बनाये जाते हैं ताकि उपयोगिता-स्तर ग्रिड विद्युत उत्पादन प्रदान किया जा सकें।

बायोमास ऊर्जा में विद्युत उत्पादन के लिए जैविक सामग्री का प्रयोग किया जाता है जैसे:—कृषि व वानिकी से पेड़-पौधे, अवशिष्ट पदार्थ और नगरीय व औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के जैविक पदार्थ। उदाहरण के लिए, हजारों वर्षों तक ताप प्रदान करने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।

पन ऊर्जा में बिजली उत्पादन के लिए बहते पानी की पकड़ का प्रयोग किया जाता है। विशाल व लघु-स्तरीय पन ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।

भू-तापीय ऊर्जा में पृथ्वी से ऊर्जा स्रोत के रूप में ताप का प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत सीमा छिछली जमीन से गर्म पानी तक होती है और पृथ्वी सतह के नीचे कुछ मीलों की दूरी पर गर्म चट्टान पायी जाती है।

समुद्री ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन करती है। सूर्य की गर्मी से तापीय ऊर्जा और ज्वार व लहरों से यांत्रिक ऊर्जा। पृथ्वी सतह से 70% से अधिक भाग में समुद्र है, जो विश्व का विशालतम सौर संग्राहक है। सूर्य का ताप ही सतह जल को अत्यधिक गहराई तक गर्म करता है और यह तापमान अंतर ही तापीय ऊर्जा का निर्माण करता है।

3.2 अक्षय विद्युत परियोजनाएं

3.2.1 लघु स्तरीय प्रौद्योगिकी

इन अक्षय ऊर्जा तंत्र या उपकरणों को ऐसी जगह स्थित किया जाता है जहाँ विद्युत का प्रयोग किया जाता है (जैसे) भवन की छतों पर। लघु-स्तरीय अक्षय प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण व विकेन्द्रीकरण किया जाता है (अर्थात्-स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली या शीतलन/ताप प्रदान किया जाता है जैसे अपार्टमेंट, औद्योगिक संयंत्र, मनोरंजन केन्द्र या स्थानीय समुदाय)। लघु-स्तरीय अक्षय ऊर्जा प्रणालियों को या तो (1)बिजली ग्रिड में लगाया (अर्थात्-भौतिक रूप से जोड़ा) जाता है, (2) ताप और/या शीतलन नेटवर्क से जोड़ा जाता है या (3) स्टैंड-अलोन ऑफ-ग्रिड सिस्टम के रूप में प्रयोग किया जाता है।



रूफटॉप सोलर

रूफटॉप सोलर बिजली सिस्टम में फोटोवोल्टिक पैनल का प्रयोग किया जाता है जिसे भवन की छतों पर लगाकर, धूप को बिजली में परिवर्तित किया जाता है।

लघु-स्तरीय पवन चक्की

लघु पवन चक्की एक ऐसे आकार को सूचित करती है जो घरेलू आवास या लघु कारोबार की जरूरतों को पूरा करती है। ये 100केवी से कम होती है और ज्यादातर 1-10 केवी की होती है।



घरेलू सोलर वॉटर हीटर

घरेलू सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम को ज्यादातर आवासीय घरों में गर्म पानी उपलब्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोलर हॉट वॉटर सिस्टम में छत-पर लगाये गये संग्राहक (या पैनल) होते हैं जो गर्म पानी, व पानी भण्डार टैंक को गर्म करने के लिए धूप का अवशोषण करते हैं। इन सिस्टम में गैस या इलेक्ट्रिक बूस्टर भी हो सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने या बादल छाने पर आवश्यकता अनुसार पानी को गर्म किया जा सकें।



हीट पम्प

हीट पम्प तकनीक घरों की गर्मी (जहाँ आप नहीं चाहते हैं) या तो अन्यत्र निकालती है, या इसे पानी में बदलती है। और आपके घरों का अत्यधिक ताप या सूर्य के ताप से पर्यावरण में गर्मी आने पर, सोलर हॉट वॉटर का रूप माना जाता है।



कमर्शियल औद्योगिक सोलर वॉटर हीटर्स

सोलर तापीय प्रणाली का कमर्शियल व लघु औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए अन्य आशाजनक प्रयोग है (अर्थात्) अस्पताल, धुलाईघर, विद्यालय, बहु-पारिवारिक घर।

सोलर कूलिंग सिस्टम

सोलर कूलिंग सिस्टम का संबंध वातानुकूलन प्रणाली से है जिसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा निष्क्रिय सौर, सौर तापीय ऊर्जा परिवर्तन और फोटोवॉल्टेक परिवर्तन (धूप से बिजली में) के माध्यम से किया जा सकता है।



3.2.2 विशाल स्तरीय अक्षय ऊर्जा प्रणाली

अक्षय ऊर्जा प्रणाली को बिजली ग्रिड फीड से स्थापित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा, बायोमास और सौर (1 मेगावाट से अधिक) और लघु पन (25 मेगावाट) ऊर्जा पर आधारित ग्रिड-इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं मुख्य रूप से राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा स्थापित शुल्क नीति व्यवस्था के साथ निजी निवेश से संचालित होती है।

3.2.3 मध्य-स्तरीय आरई प्रणाली

समुदाय आधारित-विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी)



सौर ऊर्जा संयंत्र

पवन ऊर्जा संयंत्र

बायोमास संयंत्र

लघु स्तरीय पन ऊर्जा संयंत्र

डीडीजी में जहाँ ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है वहाँ या उसके आसपास लघु, मॉड्यूलर, विकेन्द्रीकृत ऑफ-ग्रिड आरई सिस्टम लगाये जाते हैं। यह ऐसे गाँवों के लिए आदर्श मानी जाती है जो ऑफ-ग्रिड क्षेत्र में स्थित है या दूर/इलाके के कारण इलेक्ट्रिक ग्रिड से जुड़े हुए नहीं है। हालांकि ये स्टैण्ड-अलोन सिस्टम, स्थानीय रोजगार, स्थानीय अपशिष्ट पुनःचक्रण और इन्फ्रास्ट्रक्चर व ऊर्जा प्रयोग पर स्थानीय नियंत्रण की सुविधा के कारण उपयुक्त है।

डीडीजी सिस्टम, एकल स्रोत (अर्थात केन्द्रीय वायु या सौर) या बहु (हाइब्रिड) स्रोत (अर्थात-वायु व सौर संयोजन) के हो सकते हैं। डीडीजी द्वारा पारंपरिक विद्युत ऊर्जा प्रणाली के लिए एक विकल्प या इसमें बढ़ोतरी प्रदान की जाती है। यह इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन इकाई होती है जो ग्राहक साइड के नेटवर्क से जुड़ी होती है। इसमें न्यूनतम टी व डी नुकसान होता है।



वितरित सौर संयंत्र



वितरित बायोगैस संयंत्र



वितरित पवन संयंत्र

3.3 अक्षय ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए नीतियां व प्रोत्साहन राशि

- ◆ अक्षय पोर्टफोलिया मानक (आरपीएस)

भारत के राज्य द्वारा अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए आरपीएस दिया जा रहा है। आरपीएस व्यवस्था सामान्य रूप से (क) बिजली आपूर्ति कम्पनी को अक्षय ऊर्जा स्रोत से अपनी बिजली का निर्दिष्ट अंश उत्पादन करने और (ख) वितरण कम्पनियों को अक्षय ऊर्जा स्रोत से बिजली खरीदने के लिए बाध्य करता है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युतीय उपयोगिताओं को ग्रिड में पोषित आरई (अक्षय ऊर्जा) के लिए पूर्व-स्थापित उपर्युक्त बाजार दरों का भुगतान करने के लिए बाध्य करते हुए अक्षय ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये शुल्क, प्रयुक्त स्रोत प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं, जो अपनी परियोजनाओं से निर्धारित आमदनी प्रवाह के साथ अक्षय जनरेटर प्रदान करती है।

- ◆ अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र

आरई प्रमाण-पत्रों के माध्यम से भी आरई स्थानांतरण को प्रोत्साहित किया जाता है। ये प्रमाण-पत्र, अक्षय ऊर्जा से उत्पादित बिजली के तकनीकी व पर्यावरण विशेषताओं के लिए दिये जाते हैं जो उत्पादित विद्युत से अलग होते हैं। ये विशेषताएं भौतिक बिजली से प्रारंभ होती है और पहले वाले के लिए आरईसी (अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र) जारी किया जाता है। असल में, दो उत्पाद बेचने या व्यापार करने के लिए उपलब्ध है—आरई प्रमाण-पत्र और उत्पादित ऊर्जा। एक आरईसी प्रतीक है अक्षय ऊर्जा से उत्पादित 1 मेगावाट विद्युत। व्यापार या निवेश करने के इच्छुक लोगों को आरई प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आरई विद्युत प्रयोग करने की जरूरत नहीं है।

- ◆ नेट मीटरिंग

नेट मीटरिंग सिस्टम में ग्रिड में की जाने वाली रूफटॉप सिस्टम (जैसे—सौर फोटोवाल्टैक या पवनचक्की) के माध्यम से कार्यस्थल पर आरई विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। विद्युत उत्पादक को ग्रिड में प्रविष्ट मात्रा के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है। नेट मीटरिंग सिस्टम में यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनरेटर का इलेक्ट्रिक मीटर कार्यस्थल पर प्रयुक्त बिजली मात्रा और ग्रिड में प्रविष्ट मात्रा को ट्रेक करता है। जब कार्य-स्थल जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन में कमी आ जाती है, तो ग्रिड से बिजली का प्रयोग किया जा सकता है।

- ◆ ऑपन एक्सेस (सभी के लिए उपलब्ध)

ऑपन एक्सेस के जरिये विशेष रूप से 1 मेगावाट (एमडब्ल्यू) भार से जुड़ने वाले—विशाल विद्युत प्रयोक्ता—स्वतंत्र बाजार या अक्षय ऊर्जा स्रोत से सस्ती बिजली खरीद सकते हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 के जरिये ग्राहक द्वारा लाइनों (व्हीलिंग प्रभार) का प्रयोग करने हेतु अधिभार व भुगतान सहित लाइसेंस पारिषण व वितरण (टी व डी) नेटवर्क का ऑपन एक्सेस होता है

ताकि उनके राजस्व नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति किया जा सकें। इस योजना का विचार यह है कि ग्राहक अपनी मौजूद यूटिलिटी एकाधिकार से बिजली खरीदने के लिए मजबूर होने के बजाय, असंख्य प्रतिस्पर्धी विद्युत कम्पनियों में से चयन कर सकेंगे। यह बड़े ग्राहक विशेष रूप से रूग्ण वस्त्र, सीमेंट और इस्पात औद्योगिक इकाइयों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर नियमित विद्युत आपूर्ति प्रदान कर, विद्युत एक्सचेंज कारोबार को बढ़ाने में मदद करती है।

◆ आर्थिक सहायता

नव व अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) और राज्य सरकारों के माध्यम से आरई विकास प्रोत्साहन के लिए अनुदान, ऋण, छूट, और कर रियायतें जैसी वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

◆ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन—राशि (जीबीआई)

भारत सरकार द्वारा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन—राशि के माध्यम से ग्रिड—कनेक्टेड वायु और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से अतिरिक्त बिजली उत्पादन का सूत्रपात व प्रोत्साहन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, ग्रिड में प्रविष्ट विद्युत मात्रा के लिए शुल्क—पोषित भुगतान के अलावा— पवन व सौर विद्युत उत्पादकों को वित्तीय प्रोत्साहन—राशि दी जाती है। इस योजना के अधीन, उच्चतम सीमा प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये सहित न्यूनतम 4 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए ग्रिड में पोषित विद्युत के लिए प्रति यूनिट 0.50 रुपये की दर से पवन विद्युत उत्पादकों को जीबीआई दी जाएगी।

◆ वृद्धित मूल्यहास

वृद्धित मूल्यहास का संबंध कई विधियों में किसी एक विधि को सूचित करती है जिसके द्वारा कम्पनी, 'वित्तीय लेखांकन' या कर प्रयोजन के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों का इस तरीके से मूल्यहास करती है कि प्रति वर्ष ली जाने वाली मूल्यहास राशि, परिसंपत्ति जीवन के शुरुआती वर्षों के दौरान अधिक होती है। वित्तीय लेखांकन प्रयोजन के लिए, वृद्धित मूल्यहास में अपने प्रारंभिक वर्षों में अत्यधिक उत्पादक होने की उम्मीद होती है, ताकि मूल्यहास व्यय अत्यधिक सटिकता से यह दर्शाते हैं कि प्रति वर्ष कितनी परिसंपत्ति का प्रयोग किया जा रहा है। टैक्स उद्देश्य के लिए, वृद्धित मूल्यहास, भावी वर्षों में वृद्धित कर योग्य आय के बदले, वर्तमान वर्षों में कर योग्य आमदनी को घटाते हुए कॉर्पोरेट आयकर को टालने का एक तरीका होता है। यह एक मूल्यवान कर प्रोत्साहन राशि होता है जो नयी परिसंपत्ति खरीदने के लिए कारोबार को प्रोत्साहित करती है।

सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में, उद्यमियों को सौर विद्युत उत्पादन बाजार में प्रविष्ट करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र को चालू करने के प्रथम वर्ष में 80: मूल्यहास क्लेम करने की अनुमति प्रदान की है।

विद्युत अधिनियम 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 और राष्ट्रीय शुल्क नीति में अक्षय ऊर्जा

<p>विद्युत अधिनियम 2003</p>	<p>भूमिका (पृष्ठ सं.-1) “एक ऐसा अधिनियम जो विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार व प्रयोग से संबंधित नियमों को समेकित करता है और बिजली उद्योग विकास...., कुशल संवर्द्धन और पर्यावरण हितकारी नीतियों के लिए सहायक उपाय अपनाया जाता है...”</p>
<p>आरई प्रोत्साहन के लिए विनियामक जनादेश</p>	<p>धारा 2 (47) “उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुरूप उत्पादन में कार्यरत किसी भी लाइसेंसधारी या ग्राहक या व्यक्ति द्वारा पारेषण या वितरण प्रणाली या इस तरह की लाइनें या सिस्टम से संबंधित सुविधाओं के प्रयोग के लिए अभेदमूलक प्रावधान।” विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) (ड़) में स्पष्ट है कि राज्य आयोग द्वारा ग्रिड सहित कनेक्टिविटी के लिए उचित मापदण्ड और किसी भी व्यक्ति के लिए विद्युत बिक्री प्रदान करते हुए अक्षय ऊर्जा स्रोत से विद्युत सह-उत्पादन व उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा, और इस तरह के स्रोत से विद्युत खरीद के लिए, वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में कुल बिजली खपत की प्रतिशत को भी निर्दिष्ट किया जाता है। धारा 61 (ज) उचित आयोग द्वारा.....शुल्क निर्धारण के लिए नियम व शर्तें निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसा करने में निम्नलिखित अधिकारी मार्गनिर्देशन करेगा:..... (ज) अक्षय ऊर्जा स्रोत से विद्युत सह-उत्पादन व उत्पादन में प्रोत्साहन। (छ) राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति।</p>
<p>राष्ट्रीय विद्युत नीति</p>	<p>“5.2.20 गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की पारंपरिक संभावना, मुख्य रूप से जल, वायु और बायोमास का पूरी तरह उपयोग करना होगा ताकि अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण किया जा सकें। विद्युत मिश्रण में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की पूर्ण सहभागी को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उपयुक्त प्रचार उपायों के माध्यम से निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किया जाएगा।”</p>
<p>राष्ट्रीय शुल्क नीति</p>	<p>6.4 “...विद्युत लागत के संदर्भ में गैर-पारंपरिक तकनीक को पारंपरिक स्रोत से मुकाबला करने से पहले इसमें कुछ समय लगेगा। इसलिए, उचित आयोग द्वारा निर्धारित अधिमाम्य शुल्कों पर वितरण कम्पनियों की खरीदारी की जाएगी। (2) इस प्रकार के गैर-पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा प्रदान करने वाले आपूर्तिकर्ताओं अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से भावी जरूरतों के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा इस तरह की खरीदारी की जाएगी....।</p>

आरई प्रोत्साहित करने वाले संस्थान

संस्थान	उद्देश्य	विवरण	पता
नव व अक्षय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनआरई)	नव व अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार के नोडल मंत्रालय	ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक व कमर्शियल क्षेत्र में परिवहन, संवहन और स्थायी अनुप्रयोगों के लिए नव व अक्षय ऊर्जा प्रणाली/उपकरण के अनुसंधान, रूपरेखा, विकास, विनिर्माण और परिनियोजन में सुविधा प्रदान करना	ब्लॉक-14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110 003, भारत. दूरभाष:- +91-11-24362772 ईमेल: secy-mnre@nic.in
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए)	अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा कार्यकुशलता/संरक्षण परियोजना को प्रोत्साहित करना, विकास करना और आर्थिक सहायता बढ़ाना	ऊर्जा कार्यकुशलता के माध्यम से नव व अक्षय ऊर्जा स्रोत व ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से विद्युत व ऊर्जा उत्पादन के लिए निर्दिष्ट परियोजनाएं व योजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना	3 मंजिल, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066. दूरभाष: +91 11 26717400 - 413 फैक्स: +91 11 26717416 ईमेल: cmd@ireda.gov.in
अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	आरई प्रोत्साहन के लिए राज्य नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है एमएनआरई छाते के अंतर्गत काम करती है और इसकी नीतियों व संबंधित राज्य नीतियों से निर्दिशित है	नव व अक्षय ऊर्जा स्रोत (एनआरएसई) प्रयोग को प्रोत्साहित करना और इसके आधार पर परियोजनाओं को क्रियान्वित करना। ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। अक्षय ऊर्जा स्रोत पर अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहित करना।	तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी ई.वी.के सम्पत मालिंगै, 5वीं मंजिल, सं. 68, कॉलेज रोड़, चेन्नई-600 006 फोन: (044) 28224830 व 28236592 फैक्स: 2822 2971 ईमेल: info@teda.in

संस्थान	उद्देश्य	विवरण	पता
			<p>कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी नं. 39, "शांतिगृह" भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बिल्डिंग पैलेस रोड</p> <p>दूरभाष:(080)22207851/22208109/9480691041.</p> <p>फैक्स: 080-22257399 ईमेल: kredlnce@yahoo.co.in</p> <p>गैर-पारंपरिक ऊर्जा व ग्रामीण प्रौद्योगिकी के लिए केरल एजेंसी, पुलिस पैरेड मैदान, थार्डकोड, तिरुवनंतपुरम-695014.</p> <p>दूरभाष: (0471)2329854, 2338077,2334122, 2333124 &2331803</p> <p>फैक्स:(0471)2329853 ईमेल: director@anert.in</p> <p>आंध्रप्रदेश: आंध्रप्रदेश लिमिटेड की गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास कॉर्पोरेशन (एनईडीसीएपी) 5-8-207 / 2, पिसगा कॉम्प्लेक्स, नामपल्ली, हैदराबाद-500 001.</p> <p>दूरभाष-(040)2320 2391 फैक्स:(040)23201666 ईमेल: info@nedcap.gov.in, nedcap@ap.nic.in</p>
राज्य विद्युत विनियामक आयोग	विद्युत शुल्क, आर्थिक सहायता से संबंधित नीतियों की पारदर्शिता, कार्यकुशल व पर्यावरण हितकारक नीतियों और इनसे संबंधित या बाह्य मामलों के प्रोत्साहन के लिए युक्तिकरण	धारा 84 (1) (ड) विद्युत विनियामक आयोग को आरई प्रोत्साहन के लिए आदेश देती है	<p>तमिलनाडु: नं. 19ए, रूक्मिणी लक्ष्मीपति सलाई, एगमोर, चेन्नई-600 008.</p> <p>दूरभाष:(044) 28411376,28411378 फैक्स: (044) 28411377. ईमेल: tnerc@nic.in</p>

संस्थान	उद्देश्य	विवरण	पता
			<p>कर्नाटक: 6 व 7वीं मंजिल, महालक्ष्मी चैम्बर्स, # 9/2, एम.जी. रोड, बैंगलोर- 560 001</p> <p>दूरभाष: (080) 25320213 / 214, 25320339, 25323765 फैक्स: 080-25320338, ईमेल: kerc35@bsnl.in</p> <p>आंध्र प्रदेश: 4 व 5वीं मंजिल 11-4-660, सिंगरेनी भवन, रेड हिल्स, हैदराबाद 500 004</p> <p>दूरभाष: (040) 23397381 फैक्स: (040) 23397378 व 23397489 ईमेल: chmn@aperc.gov.in</p> <p>केरल: के.पी.एफ.सी. भवन, सी.वी. रमण पिल्लै रोड, वेल्लायमबलम, तिरुवंतपुरम केरल 695010</p> <p>दूरभाष: 0471 2735544 फैक्स: 0471 2735599 ईमेल: kserc@erckerala.org</p>

संलग्न क: प्रपत्र 1 प्रारूप

1. मूलभूत जानकारी

- ◆ परियोजना का नाम:
- ◆ प्रकृति
- ◆ प्रस्तावित क्षमता:
- ◆ किमी. दूरी के साथ निकटतम कस्बा/शहर/रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा:
 - ◆ डाक पता व संपर्क नं. सहित ग्राम पंचायत/जिला परिषद/नगर निगम/स्थानीय निकाय:
- ◆ उल्लेख करें कि निम्नलिखित के अंतर्गत परियोजना की स्वीकृति/समाशोधन शामिल है:
 - क. वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
 - ख. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और
 - ग. सीआरजेड अधिसूचना 1991
- ◆ टोपो शीट के साथ निरीक्षण किये गये वैकल्पिक निर्माण-स्थलों का विवरण, यदि कोई हो:
- ◆ अंतरसंबद्ध परियोजनाएं और प्रस्तुत अंतरसंबद्ध परियोजनाओं के लिए आवेदन विवरण:
- ◆ आवेदक का नाम, पता और पदनाम:
- ◆ निर्माण-स्थल से संबंधित सरकारी आदेश/नीति पर सूचना:
 - क. वन भूमि
 - ख. परियोजना/भूमि के विरुद्ध लम्बित किसी मुकदमेबाजी का विवरण

2. गतिविधि विवरण

- ◆ भवन-निर्माण
- ◆ परियोजना का प्रचालन या सेवा मुक्त में ऐसे कार्य आते हैं जिससे इलाके-स्थलाकृति, भूप्रयोग, जल निकाय व अन्य प्रभारों का भौतिक परिवर्तन हो जाएगा।
- ◆ भूप्रयोग में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन
- ◆ भूप्रयोग की तीव्रता (स्थानीय भूप्रयोग योजना के संबंध में) में वृद्धि सहित आवरण या स्थलाकृति
- ◆ मौजूद जमीन का समाशोधन

- ◆ वनस्पति व इमारतें
- ◆ नवीन भू-प्रयोगों का निर्माण
- ◆ पूर्व-निर्माण जांच-पड़ताल- बोरवेल, मृदा परीक्षण व अन्य
- ◆ भवन-निर्माण कार्य
- ◆ तोड़क कार्य
- ◆ निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त अस्थयी निर्माण-स्थल या भूतल भवन संरचना के ऊपर निर्माणकारी श्रमिकों का आवास या लाइनर संरचनाओं सहित मिट्टी खुदाई कार्य
- ◆ काटना, भरना या उत्खनन कार्य
- ◆ खान, सुरंग सहित भूमिगत कार्य
- ◆ भूमि-सुधार कार्य
- ◆ तलमार्जन
- ◆ अपतटीय संरचना
- ◆ उत्पादन व विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं
- ◆ सामान या सामग्री भण्डार सुविधाएं
- ◆ ठोस अपशिष्ट या तरल अपशिष्ट के शोधन या निस्तारण के लिए सुविधाएं
- ◆ परिचालन श्रमिकों के दीर्घकालीन आवास के लिए सुविधाएं
- ◆ नयी सड़क
- ◆ निर्माण या परिचालन के दौरान रेल या समुद्री परिवहन
- ◆ नयी या परिवर्तित मार्ग व स्टेशन, बंदरगाह, हवाई अड्डे सहित नयी सड़, रेल, वायु, जलजनित या अन्य परिवहन ढांचे;
- ◆ मौजूद परिवहन मार्गों का बंद होना या विचलन होना या ढांचे के कारण परिवहन संचलन में परिवर्तन
- ◆ नयी या विचलित पारेषण लाइने या पाइपलाइन
- ◆ परिबंधन / बांध / पुलिया
- ◆ जल मार्ग या जलवाही स्तर जलविज्ञान का पुनःगठन या अन्य परिवर्तन
- ◆ झरना क्रोसिंग
- ◆ भूतल या सतही पानी के रूप का पृथक्करण या स्थानांतरण

- ◆ जल निकाय या जलनिकास या अपवाह को प्रभावित करने वाली भू-सतह में परिवर्तन
- ◆ निर्माण-कार्य के लिए कार्मिक या सामग्री का परिवहन; परिचालन या दीर्घकालीन विखण्डीकरण पर पाबंदी या कार्य की पाबंदी या पुनःवापसी
- ◆ पाबंदी के दौरान पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्रक्रियारत गतिविधि
- ◆ लोगों का किसी क्षेत्र में अस्थायी या स्थायी रूप से प्रवेश करना
- ◆ अज्ञात प्रजाती का परिचय
- ◆ मूल प्रजाती या आनुवंशिकी विविधता में नुकसान
- ◆ अन्य कोई भी गतिविधियां

3. स्रोत जानकारी व डेटा सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग

- ◆ भूमि-विशेष रूप से अविकसित या कृषि भूमि-हेक्टेयर में
- ◆ पानी-अपेक्षित स्रोत व प्रतिस्पर्धी प्रयोक्ता-यूनिट किलो लीटर / दिन में
- ◆ मीट्रिक टन में खनिज पदार्थ
- ◆ निर्माण सामग्री-पत्थर, कुलयोग, रेत / मिट्टी-अपेक्षित स्रोत-मीट्रिक टन में
- ◆ वन व इमारती लकड़ी-स्रोत-मीट्रिक टन में
- ◆ ऊर्जा-स्रोत सहित बिजली व ईंधन, प्रतिस्पर्धी प्रयोक्त-मीट्रिक टन में ईंधन इकाई और मेगावाट में बिजली
- ◆ अन्य कोई भी प्राकृतिक स्रोत (उपयुक्त मानक इकाइयों का प्रयोग)

4. मानव स्वस्थ या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक पदार्थों का भण्डार, परिवहन, संचालन या उत्पादन

- ◆ रोग की घटना में परिवर्तन
- ◆ रोग वैक्टर को प्रभावित करते हैं (अर्थात्-कीट या जलजनित रोग)
- ◆ लोक कल्याण को प्रभावित करते हैं (अर्थात्-रहन-सहन हालतों में परिवर्तन)
- ◆ परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों को कमजोर वर्ग (अर्थात्-अस्पताल मरीज, बच्चे, बुजुर्ग इत्यादि)
- ◆ अन्य कोई भी कारण

5. निर्माण / परिचालन / पाबंदी के दौरान ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन

- ◆ रद्दी
- ◆ अधिभार या खान अपशिष्ट पदार्थ
- ◆ नगरी अपशिष्ट पदार्थ (घरेलू और या कमर्शियल अपशिष्ट पदार्थ)
- ◆ जोखिमकारक अपशिष्ट पदार्थ (जोखिमकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार)
- ◆ अन्य औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट पदार्थ
- ◆ अधिशेष उत्पाद
- ◆ मलप्रवाह गाद या प्रवाह शोधन से अन्य तलछट
- ◆ निर्माण या तोड़क अपशिष्ट
- ◆ अनावश्यक मशीन या उपकरण
- ◆ संदूषित मिट्टी या अन्य सामग्री
- ◆ कृषि अपशिष्ट पदार्थ
- ◆ अन्य ठोस अपशिष्ट पदार्थ

6. हवा में प्रदूषक तत्व या अन्य खतरनाक; विषाक्त या हानिकारक पदार्थों का स्राव

- ◆ स्टेशनरी या मोबाइल स्रोत से जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जन
- ◆ उत्पादन प्रक्रिया से उत्सर्जन
- ◆ भण्डार या परिवहन सहित सामग्री संचालन से उत्सर्जन
- ◆ संयंत्र व उपकरण सहित निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जन
- ◆ निर्माण सामग्री, मलप्रवाह और अपशिष्ट पदार्थ सहित सामग्री संचालन से धूल या गंध
- ◆ अपशिष्ट पदार्थों को जलाने से उत्सर्जन
- ◆ खुली हवा में अपशिष्ट पदार्थ (अर्थात्—दलदली सामग्री; निर्माण कचरा) जलाने से उत्सर्जन;
- ◆ अन्य किसी भी स्रोत से उत्सर्जन

7. ध्वनि उत्पादन, कम्पन और प्रकाश व ताप से उत्सर्जन

- ◆ उपकरण परिचालन से (अर्थात्—इंजन, वेंटिलेशन संयंत्र, क्रशर)
- ◆ औद्योगिक या समान्तर प्रक्रियाओं से

- ◆ निर्माण या तोड़न कार्य से
- ◆ विस्फोटन या ढेर लगाने से
- ◆ निर्माण कार्य या परिचालन परिवहन से
- ◆ प्रकाश या शीतलन प्रणाली से
- ◆ अन्य किसी भी स्रोत से

8. भूमि या जल संदूषण का खतरा

- ◆ भूतल / सीवर / सतह जल / भूमिगतजल / तटीय जल / समुद्र में प्रदूषक—तत्व छोड़ना
- ◆ जोखिमकारक सामग्री के संचालन, भण्डारण, प्रयोग या फैलने से
- ◆ पानी या भूमि पर मलप्रवाह या अन्य अपशिष्ट पदार्थ निस्तारित करना (निस्तारित करने की अपेक्षित विधि व स्थान)
- ◆ जमा प्रदूषक तत्वों को हवा से जमीन या पानी में छोड़ना
- ◆ पर्यावरण में इन स्रोतों से लम्बे समय तक प्रदूषक तत्व जमा होने से
- ◆ अन्य स्रोतों से

9. मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित करने वाले निर्माण—कार्य या परिचालन के दौरान दुर्घटना के खतरे

- ◆ विस्फोटन, बिखराव, अग्नि से
- ◆ हानिकारक पदार्थों के भण्डारण संचालन प्रयोग या उत्पादन से
- ◆ पर्यावरण को नुकसान पहुंचानी वाली प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़ सहित अन्य किसी भी कारणों से

10. पर्यावरण प्रभावित होने वाले कारक या स्थानीय संचयी प्रभाव की संभावना

- ◆ परियोजना द्वारा निर्दिष्ट सहायक विकास या समर्थन करने वाले विकास जो पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। (जैसे—सहायक बुनियादी ढांचे, सड़क, विद्युत आपूर्ति, अपशिष्ट या अपशिष्ट जल शोधन इत्यादि)
- ◆ आवास विकास
- ◆ खनन उद्योग

- ◆ आपूर्ति उद्योग;
- ◆ अन्य
- ◆ निर्माण—स्थल पर उपयोग बाद के कारण; जो पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं
- ◆ बाद के क्रमागत विकास के लिए मिसाल कायम करना
- ◆ अन्य मौजूद या समान्तर प्रभावों से नियोजित परियोजनाओं के कारण संचयी प्रभाव होना

11. पर्यावरण संवेदनशीलता

- ◆ पारिस्थितिकी भूदृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन; राष्ट्रीय या स्थानीय विधान के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र
- ◆ पारिस्थितिकी कारणों के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील क्षेत्र—जैसे आद्रभूमि, जलमार्ग या अन्य जल निकाय, तटीय क्षेत्र, जीवमण्डल, पर्वत और जंगल
- ◆ प्रजनन, घोंसला बनाना, भोजन की तलाश करना, आराम करना, सर्द ऋतु बिताना, प्रवास के लिए संरक्षित महत्वपूर्ण या वनस्पति या जीव-जन्तु की संवेदनशील प्रजातियों द्वारा प्रयुक्त क्षेत्र
- ◆ अंतर्देशीय, तटीय, समुद्री या भूमिगत जल
- ◆ राज्य, राष्ट्रीय परिसीमा
- ◆ मनोरंजन या अन्य पर्यटक तीर्थस्थल में पहुंचने के लिए लोक प्रयुक्त मार्ग या सुविधाएं
- ◆ रक्षा प्रतिष्ठान
- ◆ घनी आबादी या निर्मित क्षेत्र
- ◆ संवेदनात्मक मानव-निर्मित भू-प्रयोग द्वारा अधिकृत क्षेत्र (जैसे-अस्पताल; स्कूल; पूजा-स्थल; सामुदायिक सुविधाएं)
- ◆ महत्वपूर्ण, उच्च गुणवत्ता या दुर्लभ स्रोत वाले क्षेत्र (जैसे-भूमिगत जलस्रोत, सतही स्रोत, वानिकी, कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन, खनिज-पदार्थ)
- ◆ पहले से प्रदूषित या पर्यावरण नुकसान वाले क्षेत्र और जहाँ मौजूद वैध पर्यावरण मानक अधिक हो जाते हैं।
- ◆ प्राकृतिक जोखिम के प्रति अतिसंवेदनशील क्षेत्र जिससे परियोजना को वर्तमान पर्यावरण समस्या हो सकती है (जैसे- भूकम्प, अवतलन, भूस्खलन, अपरदन, बाढ़ या अत्यधिक या प्रतिकूल जलवायु स्थितियां)

12. प्रस्तावित संदर्भ शर्तें (टीओआर)

इसका पालन करते हुए; एक शपथ—पत्र लिखें;

“मैं एतद्वारा सशपथ बयान करता हूँ कि आवेदन में प्रदान किये गये आंकड़े व सूचना मेरी बेहतर जानकारी व विश्वास अनुसार सही है और मैं जानता हूँ कि यदि किसी भी चरण में प्रस्तुत आंकड़े व सूचना का कोई भाग गलत या भ्रामक पाया जाता है; तो परियोजना को निरस्त कर दिया जाएगा और परियोजना के लिए जारी समाशोधन; यदि कोई हो, को अपने जोखिम व लागत पर रद्द कर दिया जाएगा।”

दिनांक:

आवेदन के हस्ताक्षर

स्थान:

नाम व पूर्ण पते के साथ
जमा करायें।

नोट:

सीआरजेड अधिसूचना 1991 के अंतर्गत समाशोधन में सम्मिलित परियोजनाओं के संबंध में, आवेदन—पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करायें—

1. सीआरजेड संदर्भ सहित परियोजना गतिविधियों को प्रदर्शित करते हुए प्राधिकृति एजेंसी द्वारा विधिवत रूप से सीआरजेड नक्शे का सीमांकन हो। (टीओआर चरण में)
2. राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश (ईसी जारी करने से पहले)
राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण आरक्षित जीवमण्डल और जंगली जानवरों को प्रवासी कोरिडोर के 10 किमी के दायरे में स्थिति परियोजनाओं के संबंध में आवेदन—पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराना होगा—
 1. इन विशेषताओं और परियोजना स्थान को प्रदर्शित करते हुए मुख्य वन्यजीव संचालक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणिकृत नक्शा
 2. मुख्य वन्यजीव संचालक की टिप्पणियां

संलग्न ख: संदर्भ शर्तें

1. निर्माण—स्थल की भावी दीर्घकालीन योजना, यदि कोई हो का वर्णन करते हुए लक्ष्य—प्रपत्र तैयार कर, जमा करें।
2. विगत चरण के पर्यावरण व सीआरजेड समाशोधन के लिए निर्दिष्ट शर्तों यदि लागू हो की अनुपालना स्थिति जमा करें।
3. अनुमोदित निर्माण स्थल के नवीनतम फोटो सहित संबंधित विवरण को सूचित करते हुए परियोजना का संक्षिप्त कार्यकारी विवरण जमा करें।
4. समय—सीमा कार्यवाही योजना और इसके लिए संबोधित बजट आवंटन सहित लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों के प्रत्युत्तर और लिखित प्रतिरूपण (यदि कोई हो) को सारणी रूप में प्रत्येक प्रस्तावित कार्यवाही के समक्ष प्रस्तुत करें।
5. संयंत्र क्षेत्र के परिसर विशेष रूप से रूफटोप व अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध सौर ऊर्जा के उपयोगिता तैयार करें और इसकी क्रियान्वयन स्थिति मंत्रालय को जमा करायें।
6. भस्म कुण्ड के स्थान अनुमोदित निर्माण स्थल के निर्देशांक को टोपोशीट (1:50,000 स्तर) के साथ जमा करें और संयंत्र परिसीमा की संपुष्ट जीपीएस रिडिंग और क्षेत्र के एनआरएस सैटेलाइट नक्शा जमा करें। जल निकाय/नाला/नदी के एचएफएल के संबंध में संयंत्र स्थल और भस्म कुण्ड की ऊंचाई का उल्लेख करें, यदि निर्माण—स्थल इनके निकट स्थित है।
7. संयंत्र क्षेत्र, भस्म कुण्ड, ग्रीन बेल्ट क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड़ विवरण को सूचित करते हुए मसौदा योजना प्रस्तुत करें।
8. परियोजना के लिए जमीन आवश्यकता को अनुकूल बनायें और किसी भी मामले में सीआईए द्वारा समय—समय पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो। जमीन आवश्यकता और संशोधित मसौदा (ईएसी द्वारा संशोधित) का क्रमवार विवरण प्रस्तुत करें।
9. कोयला परिवहन प्रणाली और आरओडब्ल्यू सहित पाइपलाइन बिछाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान भू प्रयोग (सभी बाधाओं से मुक्त प्रस्तावित साइट तैयार करें। जमीन की सूचना प्राप्त करें) यदि कोई हो, का विशेष रूप से वर्णन करें।
10. समय—सीमा कार्यवाही योजना सहित भू—अधिग्रहण और आरएंडआर योजना से संबंधित मुद्दें तैयार करें और ईआईए रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वर्णन करें।
11. अध्ययन क्षेत्र में जल निकासी, फसल पद्धति, जल निकाय (आद्रभूमि, नदी प्रणाली, झरने, नाला, ताला इत्यादि) निकटतम गांवों की स्थिति, खाड़ियां, सदाबहार, नदी, जलाशय इत्यादि प्रस्तुत करें।

12. परियोजना स्थल के 10 किमी. के दायरे में यदि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, हाथी/चीता रिजर्व (मौजूद व प्रस्तावित), प्रवासी मार्ग/वन्यजीव कोरिडोर हो, तो उल्लेख करें और संबंधित क्षेत्र के मुख्य वन्यजीव संचालक कार्यालय द्वारा नक्शे को विधिवत रूप से प्रमाणित करें।
13. यदि साइट में किसी भी प्रकार भरने की जरूरत हो तो बड़े पैमाने के नक्शों अधिमानत 1:25,000 पैमाने सहित भारतीय सर्वे के 1:50,000 स्तर पर टोपोशीट द्वारा समर्थित अध्ययन क्षेत्र की स्थलाकृति और विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत करें। ऐसे मामले में, भरने का विवरण, भरने की आवश्यक सामग्री की मात्रा; इसके स्रोत, परिवहन विवरण भी प्रस्तुत करें।
14. अध्ययन क्षेत्र में भू-प्रयोग पद्धति पर विस्तृत अध्ययन का संचालन करें जिसमें उपलब्ध सामान्य संपत्ति के स्रोतों की पहचान (जैसे चरागाह और सामुदायिक जमीन, जल स्रोत इत्यादि) और इसके संरक्षण व प्रबंधन के लिए कार्यवाही योजना तैयार करें। यदि चरागाह भूमि का अधिग्रहण शामिल किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करें कि वैकल्पिक रूप से चरागाह भूमि के समान क्षेत्र अर्जित कर विकसित किया जाएगा और विवरण योजना जमा की जाएगी।
15. प्रस्तावित निर्माण—स्थल की खनिजीय नक्शा (मिट्टी प्रकार सहित) और यह सूचना (यदि उपलब्ध हो) कि निर्माण स्थल आर्थिक रूप से संभावित खनन खनिज पदार्थ तलछट पर स्थिति नहीं है, का विवरण जमा करें।
16. अन्य उपयोगों के साथ—साथ संवेदक पार्टी से फर्म अनुबंध/एमओयू सहित भारत सरकार का नवीनतम फ्लाइ एश प्रयोग अधिसूचना के अनुसार 100% फ्लाइ एश उपयोगित योजना का विवरण प्रस्तुत करें। इस योजना में सतही भस्म की निस्तारण विधि/क्रियाविधि भी शामिल की जाएगी।
17. सीईए द्वारा समय—समय पर निर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार अनुमानित जल आवश्यकता को जल संतुलन रेखाचित्र के साथ प्रस्तुत करें। अनुमानित जल संतुलन विवरण में अपशिष्ट प्रवाहित जल का पुनःप्रयोग व पुनःसंचरण पर विचार करते हुए, स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
18. साइट से गुजरने वाले जल निकाय/नाले (यदि कोई हो) जहां तक संभव हो बाधित नहीं होने चाहिए। यदि कोई नाला/नाली को मोड़ना हो, तो यह सुनिश्चित करें कि इस मुड़ाव से क्षेत्र की प्राकृतिक जल निकास प्रणाली बाधित न हो। अपेक्षित मुड़ाव विवरण तैयार कर, संबंधित विभाग से विधिवत रूप से अनुमोदित करायें।
19. यह भी सुनिश्चित करें कि नदी प्रणाली/झरने इत्यादि से संयंत्र सीमा की न्यूनतम दूरी 500 मीटर रखी गई हो।

20. जमीन व सतही जल प्रबंधन पर प्रभाव को मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठित संस्था / संघ द्वारा क्षेत्र का जलीय-भू-विज्ञान अध्ययन संचालित किया जाए। इसके क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट शमन उपायों का विश्लेषण और समसंबद्ध कार्यवाही योजना प्रस्तुत की जाए।
21. नदी / खाड़ी / समुद्र में प्रस्तावित जल निकास / शोधित अपशिष्ट जल के निस्तारण कारण नदी / खाड़ी / समुद्र के मत्स्य पालन सहित पारिस्थितिकी के प्रभाव पर विस्तृत अध्ययन का संचालन करें और इसे ईआईए रिपोर्ट से जमा करें। समुद्री प्रभाव आकलन अध्ययन की जरूरत के मामलों में, जल प्रवेश व निकास स्थान को जल खींचाव की गहराई और खुले समुद्र में निस्तारण के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
22. जल निकास से उत्पन्न होने वाले पारिस्थितिकी प्रभाव और अंतर-राज्य सहभागिता (यदि कोई हो) विवरण सहित जल स्रोत और सूखे मौसम में भी इसकी स्थायित्वता का विवरण प्रस्तुत करें। प्रस्तावित परियोजना के अन्य प्रतिस्पर्धी स्रोत अनुप्रवाह पर जानकारी। पुख्ता जल आवंटन का वर्णन करते हुए पत्र / दस्तावेज सहित सक्षम अधिकारी से अपेक्षित जल गुणवत्ता उपलब्धता के संबंध में प्रतिबद्धता विवरण प्रस्तुत करें।
23. वर्षाजल संग्रहण क्रियान्वयन और संयंत्र में इसकी प्रस्तावित उपयोगिता की विस्तृत योजना बनायें।
24. शून्य निस्तारण अवधारण व्यवहार्यता की गहन जांच और इसके विवरण प्रस्तुत करें।
25. परियोजना में अन्य जल संरक्षण उपायों के साथ सीओसी अनुकूलन का उल्लेख करें।
26. भस्म कुण्ड जल पुनःसंचरण और इसकी क्रियान्वयन योजना प्रस्तुत करें।
27. उचित अभिलेख रखरखाव सहित नियमित रूप से जल गुणवत्ता निरीक्षण के लिए विस्तृत योजना तैयार करें। निगरानी अंक (सतह / भूजल प्रवाह की दिशा में संयंत्र व जल निकास के बीच) कार्यप्रणाली और पहचान विवरण प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित करें कि निरीक्षण किये जाने वाले मापदण्डों में भारी धातु भी सम्मिलित है।
28. प्रतिष्ठित संस्थान / एजेंसी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में संयंत्र-स्थल से 10 किमी. दायरे सहित सामाजिक-आर्थिक अध्ययन का संचालित किया जाए जिसमें स्थानीय लोगों की आजीविका पर प्रभाव मूल्यांकन का विवरण भी शामिल करें।

29. परियोजना निर्माण व परिचालन चरणों के दौरान परियोजना व परियोजना में संभावित रोजगार से संबंधित कौशलता प्रशिक्षण के लिए स्थानीय रोजगारयोग्य युवाओं की पहचान के लिए कार्यवाही योजना तैयार करें और संख्या निर्दिष्ट करें।
30. यदि क्षेत्र आदिवासी जनसंख्या का है तो यह सुनिश्चित करें कि आदिवासी अधिकारों पूर्ण सुरक्षित रहें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा तदनुसार विभिन्न भूमि नियम प्रावधान के अंतर्गत आदिवासी मुद्दों की पहचान करनी होगी।
31. वित्तीय प्रतिबद्धता की गतिविधि अनुसार ब्यौरा सहित विस्तृत सीएसआर योजना तैयार करनी होगी। आवश्यकता आधारित मूल्यांकन अध्ययन पर विचार करते हुए सीएसआर संघटकों की पहचान करनी होगी। गरीब सामाजिक वर्ग के उत्थान में सहायक स्थायी आय उत्पादक उपाय, जो लोगों की पारंपरिक कौशलता के अनुरूप हो, की पहचान करनी होगी। सामुदायिक विकास गतिविधियों और आय उत्पादक कार्यक्रमों के लिए पृथक बजट का उल्लेख करना होगा।
32. सीएसआर योजना तैयार करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि ज्ञात योजना के लिए निर्मित निगरानी व क्रियाविधि यथास्थिति हो और निकटतम क्षेत्र की प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान से वार्षिक सामाजिक ऑडिट संचालन कार्यप्रणाली तैयार की जाएं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी सरकारी योजना के अनुरूप योजना क्रियान्वयन स्थिति के लिए समय-समय पर कार्यवाही योजना भी प्रस्तुत की जाएं। पूर्व में किये गये सीएसआर के विवरण को परियोजना विस्तार की स्थिति में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
33. परियोजना से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रीय लोगों के अधिकारों व आजीविका के संरक्षण की क्रियाविधि को ध्यान में रखते हुए लागू आर एंड आर तैयार किया जाएं। परियोजना में आने वाली जमीन पर निर्भर और जमीन पर निर्भर भूमिहीन लोग के सामाजिक आर्थिक सर्वे के आधार पर विस्तृत जनगणना के बाद आर एंड आर योजना तैयार करें।
34. पर्यावरण मूल के स्थानिक रोगों के रूप में व्यावसायिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करें और इसे कम करने के लिए कार्यवाही योजना तैयार करें।
35. स्वास्थ्य खतरों से संबंधित कार्य की पहचान सहित मजदूरों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा उपाय बनायें। कम्पनी द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षित पूर्ण कालीन दक्ष डॉक्टरों की नियुक्त की जाएगी। समय-समय पर मजदूरों का स्वास्थ्य निरीक्षण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा। प्रतिकूल वातावरण में काम करने से मजदूरों के स्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक प्रभाव के कारण उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम कार्यान्वित करें और व्यक्तिगत उपकरण का प्रयोग जैसे पूर्वोपाय प्रस्तुत करें।

जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ उत्कृष्ट अनुपालन कार्यवाही योजना के साथ दो वर्ष के अंतराल पर किये विभिन्न स्वास्थ्य उपायों के प्रभाव की समीक्षा करें।

36. एमओईएफ अधिसूचना दिनांक 16.11.2009 के अनुसार एक पूर्ण ऋतु साइट विशिष्ट ऋतुविज्ञान संबंधित और एएक्यू डेटा (मानसून ऋतु को छोड़कर) संग्रहित करें और निरीक्षण तिथियों का रिकॉर्ड करें। एएक्यू के सम्मिलित किये जाने वाले मापदण्ड में एसपीएम, आरएसपीएम (पीएम10, पीएम2.5), SO₂, NO_x, Hg और O₃ (भूतल) शामिल करें। प्रमुख हवा की दिशा, आबादी क्षेत्र, निकटतम गांव और आरक्षित वन सहित संवेदनशील रिसेप्टर का ध्यान रखते हुए निरीक्षण केन्द्रों का स्थान निर्धारित करें। जहाँ अधिकतम भूतल सांद्रता की संभावना हो उस स्थान के प्रतिवात (हवा के विपरीत) और सर्वाधिक सहवात (हवा की दिशा) में कम से कम एक निरीक्षण केन्द्र होना चाहिए।
37. अध्ययन क्षेत्र में मौजूद व प्रस्तावित उद्योगों की सूची तैयार करें।
38. क्षेत्र के एएक्यू पर सभी उत्सर्जन स्रोत (परिवहन सहित) के संचयी प्रभाव का बेहतर ढंग से मूल्यांकन करें। प्रतिरूपण के लिए प्रयुक्त मॉडल व इनपुट डेटा विवरण भी प्रस्तुत करें। परियोजना स्थल के स्थान, निकटतम बस्ती, संवेदनात्मक रिसेप्टर, यदि कोई हो, को दिखाते हुए स्थानिक नक्शे पर वायु गुणवत्ता आकृति का रेखांकन करें। स्थानिक नक्शों में हवा के उठाव को भी दिखायें।
39. रेडियोधर्मिता और मंगायी जाने वाली भारी धातु की मात्रा का परीक्षण करें और प्रयोगशाला रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
40. ईंधन विश्लेषण प्रस्तुत करें। सहायक ईंधन, यदि कोई हो, की मात्रा, गुणवत्ता, भण्डारण इत्यादि का विवरण भी तैयार करें।
41. आवश्यक ईंधन की मात्रा, इसके स्रोत और विशेषताएं और पुख्ता ईंधन संयोजन की पुष्टि करने वाले दस्तवेज प्रमाण तैयार करें।
42. स्रोत (बंदरगाह संचालन सहित) से प्रस्तावित संयंत्र तक ईंधन परिवहन और परिवेशी एएक्यू पर इसका प्रभाव विवरण का उपयुक्त रूप से मूल्यांकन कर, प्रस्तुत करें। यदि लम्बी दूरी का परिवहन है तो सुनिश्चित करें कि निर्माण-स्थल के लिए रेल परिवहन का पहले मूल्यांकन करें। स्रोत स्थल पर साइलो/कन्वेयर बेल्ट से ही माल-डिब्बा लदाई करें।
43. आयातित कोयला, अंतर्देशीय परिवहन और बंदरगाह संचालन तथा रोलिंग स्टॉक्स/ रेल संचलन अवरोधक पर आधारित प्रस्तावों को विशेष निरीक्षण कर, विवरण तैयार करें।

44. मजदूर वर्ग को प्रस्तुत की जाने वाली निर्माण चरण के दौरान स्वच्छता, ईंधन, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित विवरण और परिचालन चरण के दौरान ट्रक चालक सहित अनियत श्रमिकों के लिए पर्याप्त साधनों की पूर्ति करना और इससे संबंधित विवरण तैयार करना।
45. परियोजना के कारण उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों के शमन के लिए ईएमपी के साथ इसके समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन के लिए लागत वस्तुवार विवरण का उल्लेख करें।
46. भण्डार व ईंधन प्रयोग के कारण उत्पन्न होने वाली आग व विस्फोटन समस्याओं के जोखिम मूल्यांकन अध्ययन सहित आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) कार्यान्वित करें। निर्माण-स्थल किसी भी समय-बिन्दु पर अधिकतम भण्डार वस्तुसूची का हिसाब रखें। दुर्घटना होने की स्थिति में प्रभावित होने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए संयंत्र मसौदा नक्शे पर जोखिम रूपरेखा का स्पष्ट आलेखन करें। इसके आधार पर, प्रस्तावित सुरक्षा उपाय प्रस्तुत करें। आग के खतरों से बचाव उपाय भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
47. तथाकथित प्रतिपादित डीएमपी में लागू संभावित सुनामी/चक्रवात/आंधी तूफान/भूकम्प के विरुद्ध उपाय शामिल करें। यह सुनिश्चित करें कि डीएमपी में संभावित आपदा के पूर्ण विवरण सहित ऑन-साइट और ऑफ-साइट दोनों योजना शामिल करें और नियत कार्य के लिए ज्ञात कार्मिकों का विशेष उल्लेख करें। अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में योजना का संक्षिप्त अनुवाद तैयार करें।
48. देशी प्रजातियों के लिए उचित चौड़ाई (50 से 100 मी) के ग्रीन बेल्ट विस्तार और लगभग 80% बेहतरीन उत्तरजीविता दर से प्रति हैक्टेयर 2000 से 2500 पेड़ घनत्व के साथ संयंत्र बाउंडरी के चारों तरफ न्यूनतम 3 टियर (असंभावित क्षेत्रों को छोड़कर) सहित विस्तृत योजना प्रस्तुत करें। फोटोग्राफिक प्रमाण भी तैयार करना होगा और एनआरएसए रिपोर्ट के साथ समय-समय पर जमा करना होगा।
49. जिला वन विभाग के परामर्श से अभिज्ञात अवनत वन समूहों में कार्बन सिंक के रूप में कार्बन बेल्ट से बढ़कर, अतिरिक्त वृक्षारोपण कार्यान्वित करें। इसकी अनुपालना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वित्तीय आवंटन के साथ समयबद्ध कार्यवाही योजना तैयार करना होगा और क्रियान्वयन स्थिति को हर छः महीने में संबंधित मंत्रालय को जमा करना होगा।
50. कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति
- क्या कम्पनी में अपने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित सु-निर्धारित पर्यावरण नीति है? यदि है, तो ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख करें।
 - क्या पर्यावरण नीति में पर्यावरण या वन प्रतिमान/शर्तों की अवहेलना/विचलन/उल्लंघन पर ध्यान देने के लिए

मानक परिचालन प्रक्रिया / कार्यवाही का निर्धारण है? यदि है, तो ईआईए में उल्लेख करें।

- c. पर्यावरण समस्या के निस्तारण और पर्यावरण समाशोधन शर्तों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की पदसोपन प्रणाली या प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। इस प्रणाली को विवरण प्रस्तुत करें।
 - d. क्या कम्पनी में पर्यावरण प्रतिमानों की अवमानना / उल्लंघन के बारे में कम्पनी के निदेशक मण्डल / शेयरधारक या हितधारकों को स्वतंत्र रूप से सूचित करने की कोई प्रणाली है? ईआईए रिपोर्ट में इस सूचना कार्यप्रणाली का उल्लेख करें।
51. उपर्युक्त सभी जानकारी को ईआई रिपोर्ट और समिति के प्रस्तुतीकरण में विस्तृत रूप से उल्लेख करें।
52. परियोजना के संबंध में किसी कोट, अधिकरण में विचाराधीन मुकदमेबाजी के विवरण को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

तटीय आधारित टीटीपी के लिए अतिरिक्त टीओआर:

उपर्युक्त सामान्य शर्तों के अलावा, निम्नलिखित शर्तों (यदि लागू हों) का भी सख्त पालन करें:

1. रामसर सम्मेलन के अनुसार आद्रभूमि की परिभाषा को पूरी करने वाले नीचे इलाकों की पहचान करें और प्रस्तावित निर्माण-स्थल में स्पष्ट सीमांकन करें।
2. यदि निर्माण स्थल में दलदली क्षेत्र व अप्रवाही स्थान आते हैं या इसके निकट स्थित हैं, तो इन क्षेत्रों को साइट से निकाल दें और परियोजना बाउंडरी, सीआरजेड लाइन से दूर होनी चाहिए। किसी भी प्राधिकृत एजेंसी से प्रमाणित सीआरजेड नक्शा प्रस्तुत करें।
3. मिट्टी की लेवलिंग से क्षेत्र की प्राकृतिक जल निकास प्रणाली न्यूनतम या कोई बाधा न पहुंचे। यदि छोटी नहरों (यदि कोई हो) को मोड़ना पड़े, तो जल-विचलन की इस तरह रूपरेखा हो कि विचलित नहरे न केवल संयंत्र क्षेत्र से निकले बल्कि इनमें आसपास के क्षेत्रों की बाढ़ जल मात्रा भी एकत्रित हो और इसका पानी दलदली क्षेत्र / खाड़ी में जाने वाली प्रमुख नहरों में प्रवाहित हो। प्रमुख नहरों का परिवर्तन न हो बल्कि उनके बांधों को मजबूत व उनकी गाद निकाली जाएं।
4. साइट लेवलिंग के लिए आवश्यक अतिरिक्त मिट्टी, जहां तक संभव हो इस तरीके से साइट के अंदर ही उत्पन्न करें कि क्षेत्र की प्राकृतिक जल-निकास प्रणाली सुरक्षित व समुन्नत रहें।
5. अधिकांश बाढ़ जल की मात्रा धारण करने वाले दलदली क्षेत्रों की पहचान करें और उनकी छेड़खानी न करें।

6. किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को उचित शोधन के बिना किसी भी खाड़ी, नहर प्रणाली, अप्रवाह, बांध, दलदली क्षेत्र और समुद्रों में न छोड़ें। आउटफाल (मुहाना) को पहले रक्षित तालाब (जहां कहीं संभव हो) में शोधित करें और फिर गहरे सागर (10 से 15 मीटर गहरा) में छोड़ें। इसी तरह, मछली एकत्रीकरण को रोकने के लिए गहरे सागर से इनटेक (अंतप्रवाही) करें और किसी भी स्थिति में मुहाने क्षेत्र में इनटेक न करें। अलवणीकरण संयंत्र (यदि कोई हो) से निकलने वाले खारे पानी को पर्याप्त विलयन के बिना समुद्र में न छोड़ें।
7. सदाबहार वन संरक्षण व उत्थान योजना तैयार करें और समयबद्ध क्रियान्वयन विवरण के साथ कार्यवाही योजना का उल्लेख करें, यदि अध्ययन क्षेत्र में सदाबहार वन मौजूद हो।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी बजट के अलावा सामान्य ग्रीन अक्षय निधि का निर्माण किया जाए। इससे अर्जित ब्याज राशि को क्षेत्र के हरित आवरण के विकास व प्रबंधन में प्रयोग करें।
9. विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर पर मत्स्यपालन पर प्रभाव का मूल्यांकन करें।
10. सीएसआर अनुदान के अलावा मत्स्यपालन कल्याण अक्षय निधि का निर्माण किया जाए ताकि मत्स्य लैंडिंग मंच/मछली पकड़ने का बंदरगाह/शीतगृह सुविधाओं के निर्माण के लिए न के उनके जीवन को बढ़ाया जा सकता है बल्कि अशांत समुद्र, उष्णकटिबंधी चक्रवात और तूफानों के कारण मछुआरे लापता होने जैसी आपातकालीन स्थितियों में राहत प्रदान की जा सकती है।
11. सुनामी आपातकालीन प्रबंधन योजना तैयार करें और यह योजना निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले प्रस्तुत करें।
12. परियोजना स्थल में और इसके आसपास की मिट्टी, सम्रद्री जल सहित भूतल और सतही जल (नहर व गांव के तालाब) में कोई संदूषण न करें। दूसरे शब्दों में पाइपलाइनों से बिखराव व बहाव के लिए आवश्यक निवारक उपाय अपनायें जैसे पानी को समुद्र में छोड़ने से पहले आउटफाल शोधन के लिए प्रयुक्त रक्षित तालाब अस्तर और आउटफाल की पाइपलाइनों के साथ सतही आरसीसी चैनल और इनटेक। यह इसलिए आवश्यक है कि परियोजना बाउंडरी के आसपास के क्षेत्र धान खेती के लिए प्रयुक्त उपजाऊ कृषि भूमि होती है।

संलग्न ग: ईआईए दस्तावेज और ईआईए कार्यकारी संक्षिप्त विवरण की विषय-वस्तु

ईआईए संरचना	विषय-वस्तु
परिचय	<ol style="list-style-type: none"> 1. रिपोर्ट का उद्देश्य 2. परियोजना व परियोजना प्रस्तावक की पहचान 3. परियोजना का संक्षिप्त विवरण-प्रकृति, आकार, स्थान, देश या क्षेत्र के प्रति इसका महत्व 4. अध्ययन कार्यक्षेत्र (टीओआर के अनुसार)
परियोजना	<ol style="list-style-type: none"> 1. पर्यावरण को प्रभावित करने वाले संभावित पहलूओं का विवरण 2. निम्नलिखित का चित्र सहित स्पष्ट वर्णन करें: <ul style="list-style-type: none"> ◆ प्रकार ◆ आवश्यकता ◆ स्थान (स्थान, परियोजना बाउंडरी; साइट प्रारूप प्रदर्शित करते हुए नक्शा) ◆ परिचालन आकार ◆ अनुमोदन व क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित अनुसूची ◆ तकनीकी व प्रक्रिया 3. परियोजना विवरण (परियोजना मसौदा प्रदर्शित करते हुए चित्रांकन सहित) 4. परियोजनाबद्ध प्रतिरूपण (ईआईए उद्देश्य के लिए आवश्यक सूचना देने वाली व्यवहार्यता चित्रांकन सहित) 5. शमन उपाय (पर्यावरण मानक व अन्य ईआईए मापदण्डों को पूरा करें) 6. नवीन व अपरीक्षित तकनीक का मूल्यांकन (तकनीक विफलता के खतरों के लिए) पर्यावरण विवरण <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्ययन क्षेत्र 2. अवधि 3. अवयव व कार्यप्रणाली 4. आधाररेखा की स्थापना (कार्यक्षेत्र में पहचाने गये मूल्यांकित पर्यावरण अवयव) 5. सभी पर्यावरण अवयवों का आधार नक्शा प्रत्याशित
पर्यावरण प्रभाव व शमन उपाय	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभिन्न पहलूओं के कारण शोध किये पर्यावरण प्रभावों का विवरण जैसे: <ul style="list-style-type: none"> ◆ स्थान ◆ प्रारूप ◆ निर्माण कार्य ◆ नियमित परिचालन ◆ (पूर्ण परियोजना की) अंतिम पाबंदी या पुनर्वास 2. ज्ञात प्रतिकूल प्रभावों को कम करने/बदलने के लिए उपाय 3. पर्यावरण अवयवों की अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता 4. महत्वपूर्ण प्रभावों का मूल्यांकन 5. शमन उपाय

ईआईए संरचना	विषय-वस्तु
वैकल्पिक विश्लेषण प्रत्येक विकल्प (यदि विकल्पों के लिए आवश्यक सूचना की गुंजाइश हो) का (तकनीक व साइट)	1. विवरण 2. प्रतिकूल प्रभावों का संक्षिप्त विवरण 3. प्रस्तावित शमन उपाय 4. विकल्प का चयन
पर्यावरण निरीक्षण कार्यक्रम	शमन उपायों के प्रभावी निरीक्षण के तकनीक पहलूओं में शामिल है: ♦ मापन कार्यप्रणाली ♦ आवृत्ति ♦ स्थान ♦ डेटा विश्लेषण ♦ रिपोर्टिंग अनुसूची ♦ आपातकालीन कार्यवाही; ♦ विस्तृत बजट ♦ खरीद अनुसूची
अतिरिक्त अध्ययन	♦ लोक परामर्श ♦ जोखिम मूल्यांकन ♦ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन
परियोजना से लाभ	भौतिक व सामाजिक मूलभूत रोजगार संभावना (कुशल/अर्द्ध-कुशल/अकुशल) में सुधार अन्य प्रत्यक्ष लाभ
पर्यावरण लागत लाभ ईएमपी विश्लेषण	यदि स्कोपिक दौरा अनुशंसित हो शमन उपायों के क्रियान्वयन और उनके प्रभावशीलता के निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ईआईए अनुमोदन के बाद प्रशासनिक पहलूओं का विवरण
सारांश व निष्कर्ष (इसमें ईआई रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण तैयार किया जाएगा)	♦ परियोजना क्रियान्वयन के लिए सम्पूर्ण औचित्य ♦ प्रतिकूल प्रभावों के शमन की व्याख्या नियुक्त परामर्शक का खुलासा नियुक्त परामर्शक के विवरण में शामिल है: नाम संक्षिप्त बायोडेटा परामर्श की प्रकृति

ईआईए रिपोर्ट के कार्यकारी संक्षिप्त विवरण की विषय-वस्तु

ईआईए रिपोर्ट की कार्यकारी संक्षिप्त विवरण में पूर्ण ईआईए रिपोर्ट का सारांश होगा जो कि अधिकतम कंडेसड से 10 ए4 साइज के पृष्ठों में होंगे। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित पूर्ण ईआईए रिपोर्ट अध्यायों का संक्षिप्त विवरण शामिल किया जाएगा:

1. परियोजना विवरण
2. पर्यावरण विवरण
3. प्रत्याशित पर्यावरण प्रभाव व शमन उपाय
4. पर्यावरण निरीक्षण कार्यक्रम
5. अतिरिक्त अध्ययन
6. परियोजना से लाभ
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना